पंचम माला, खंड 41, अंक 6, सोमवार, 29 जुलाई 1974/7 श्रावण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLI, No. 6, Monday, July 29, 1974/Sravana 7, 1896 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 28-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 41 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XLI contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए

PRICE TWO RUPEES

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 6, सोमवार, 29 जुलाई, 1974/7 श्रावण, 1896 (शक)

No. 6, Monday, July 29, 1974/Sravana 7, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर		ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	पृष्ठ/PAGES
तारा० प्र० संख्या Q. Nos.	विषय	SUBJECT	PAGES
02	जमा किये गये खाद्यान्नों को निकालने के लिये दिल्ली में छापे	Raids in Delhi to dehoard food-grains . .	1-4
103	वनस्पति से नियंत्रण हटाने की मांग	Demand for Vanaspati Decontrol . .	4-9
105	कृषि उत्पादन पर उर्वरकों की मूल्य वृद्धि का प्रभाव	Effect of Price hike in Fertiliser on Agricultural Production . . .	9-12
16	भारतीय खाद्य निगम तथा गैर-सरकारी व्यापार में प्रबन्ध व्यय	Handling charges by FCI and Private Trade.	12-16
37	विदेशी नस्लों की गायों के उपयोग के कारण श्वेत क्रांति का ठप्प हो जाना	White Revolution at Standstill due to Use of Foreign Breeds of Cows . . .	16-18
108	मंगलौर और बम्बई तथा बम्बई से पंजिम के बीच सड़क और समुद्री यात्रा का किराया	Road and Sea Journey Fare between Mangalore and Bombay and Bombay to Panjim ..	18-19
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
101	ग्रुप चार कोआपरेटिव, हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज को भूमि आवंटित न करने की न्यायिक जांच	Judicial Probe into Non-Allotment of Land to Group IV Cooperative House Building Societies	20
4	व्यक्ति के पोषण का न्यूनतम स्तर	Minimum Standard for Nutrition of Individual	20-22

किसी नात पर अंकित यह + इस बात का घातक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
109	वनस्पति एककों के सरकारीकरण की अनुमति के लिये पंजाब एवं हरियाणा सरकारों का अनुरोध	Request from Punjab and Haryana for Permission to take over Vanaspati Units . .	22
110	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये विशेषज्ञों के दल का प्रतिवेदन	Expert Team's Report on Setting up Shipyards in Fifth Plan . . .	22–23
111	धान के समर्थन मूल्यों में वृद्धि के बारे में मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श	Discussion with Chief Ministers and Food Ministers regarding increase in support price of paddy . . .	23
112	कृषि उत्पादन के संबंध में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Meeting of Chief Ministers on Agricultural Production . .	23–24
113	वर्ष 1972-73 के दौरान कृषि उत्पादन में कमी	Decline in Agricultural Production during 1972-73 . . .	24
114	इंगलड में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का एक मामले में अंतर्ग्रस्त होना	Involvement of Indian Cricketer in a case in England . .	24–25
115	दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों पर घटिया अनाज की बिक्री	Sale of Sub standard Food-grains at Fair Price Shops in Delhi	25
116	कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें	Recommendations of A.P.C. .	25–28
117	वनस्पति के चार किलो के डिब्बे अधिक संख्या में बनाये जाने के कारण	Reasons for production of more 4 K.G. Vanaspati Tins	28–29
118	खाद्यान्नों की वसूली और वितरण की नीति में परिवर्तन के कारण भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों का फालतू हो जाना	F.C.I. Employees surplus due to change in procurement and distributtion policy of Food-grains .	29
119	पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा के लिये एक खाद्य क्षेत्र	Single Food Zone for Punjab, Himachal Pradesh and Haryana .	29–30
120	रेगिस्तानों का विस्तार	Expansion of Deserts	30–31

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. No.

U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
855	फिरोजशाह कोटला, नई दिल्ली स्थित शिशु गृह से बच्चों का भागा जाना	Running away of Inmates of the Children's Home, Ferozeshah Kotla, New Delhi	31–32

अतां० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
856	पंजाब के स्कूलों के लिये निर्धारित "भारत का इतिहास" नामक पुस्तक में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना	Factual Distortions in 'Bharat Ka Ithas' prescribed in Punjab Schools . . .	32
857	गेहूं की वसूली संबंधी नीति के संबंध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य	Statement of P.M. on Wheat Procurement Policy	32
858	पांचवीं योजना में लद्दाख में परिवहन सुविधाओं के विस्तार की व्यवस्था	Extension of Transport facilities in Ladakh during the fifth Plan .	33
859	देश में शिशु आहार की कमी	Shortage of Baby Food in the country . .	33
860	जवाहर लाल नेहरू इंस्टिट्यूट आफ फिजीकल मैडिसन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को परेशान करना	Harassment of Staff of Jawaharlal Nehru Institute of Physical Medicine New Delhi .	33–34
861	राजस्थान के पेय जल बोर्ड की सिफारिशें	Recommendations of Drinking Water Board of Rajasthan . .	34
862	भारत में मछली उद्योग को सहयोग देने के लिए इच्छुक देश	Countries willing to collaborate with Fishing Industry in India .	34–35
863	छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने में प्रगति	Progress in Grant of Loan to Small and Marginal Farmers . .	35
864	राजधानी में बस अड्डों का बनाया जाना	Construction of Bus Stands in the Capital .	35–36
865	तकनीकी शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिषद की बैठक	Meeting of All India Council for Technical Education . . .	36
866	'मिन्हास मनी प्लान' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	'Minhas' Food Money Plan . . .	37
867	माल को तेजी से उतारने तथा चढ़ाने के तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिये अध्ययन दल का गठन	Constitution of Study Group to suggest way of Expeditious Handling of Cargo . .	37
868	पांचवीं योजना में शिपयार्डों के बारे में परियोजना प्रतिवेदन	Project Reports on the Shipyards in the Fifth Plan . . .	38
869	वीरदी नदी तल से स्वर्ण सिक्के तथा ऐतिहासिक चीजें बरामद होना	Recovery of Gold Coins and Historical Articles in Veerdi River . .	38–39

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
870	वर्ष 1972-73 और 1973-74 में हिमाचल प्रदेश को सप्लाई किया गया चावल और चीनी	Rice and Sugar Supplied to Himachal Pradesh during 1972-73 and 1973-74 . . .	39–40
871	वर्ष 1972-73 और 1973-74 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को चावल और चीनी की सप्लाई	Rice and Sugar Supplied to U.P. Madhya Pradesh and Bihar during 1972-73 and 1973-74 . .	40–41
873	तूतीकोरिन पत्तन परियोजना का निर्माण	Construction of Tuticorin Harbour Project . .	42
874	दूध के उत्पादन के लिये गुजरात में गहन ढोर विकास कार्यक्रम	Intensive cattle development programme in Gujarat for milk production . . .	42–43
875	गुजरात में दुर्लभ किस्म के वृक्षों का लगाया जाना	Plantation of valuable species of trees in Gujarat . . .	43
876	क्रिकेट और हाकी के खेल के स्तर को सुधारने का प्रस्ताव	Proposal to improve standards of Cricket and Hockey . . .	44–45
877	'यूथ एगेन्स्ट डर्ट एण्ड डिज़ीज' कार्यक्रम	Youth against dirt and Disease programme .	45–46
878	गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिये मत्स्य नौकाओं का आयात और इनका आवंटन	Import of deep sea fishing trawler and their allotment . . .	46–47
879	दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा में सुधार के लिये नई योजनाएं	New Schemes for improvement of DTC bus service . . .	47–48
880	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों में असंतोष	Dissatisfaction among scientists of Indian Agricultural Research Institute . . .	48–51
881	पंजाब में गेहूं की उपज में कमी	Decline in Wheat Yield in Punjab . .	. 51
882	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज संबंधी परीक्षा समिति	Review Committee on Regional Engineering College . . .	51–52
883	चौथी योजना के दौरान मछली उत्पादन के लक्ष्य	Fishing target during Fourth plan .	. 52–53
884	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए फ्लैटों के विक्रय में "अधिक मूल्य लेने" संबंधी आरोप की जांच	Enquiry into allegation of over charging in the sale of Flats constructed by DDA . . .	53

अता० प्र० संख्या

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
885	शहरों तथा कस्बों में विकास हेतु राज्यों को निदेश	Directives to States for development of cities and towns . . .	53-54
886	विश्वविद्यालय अध्यापकों की पेंशन, पदोन्नति तथा अन्य सुविधाओं में विषमताएं	Disparities in pension, promotion and other benefits of University Teachers . . .	54
887	गत वर्ष अन्न उत्पादन में कमी	Decline in Food Production during last year .	54-55
888	क्षतिग्रस्त अनाज तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया प्रबन्ध व्यय	Foodgrains damaged and maintenance charges incurred by FCI . .	55
889	पशुपालन और डेरी उद्योग के विकास हेतु राज्यों को धनराशि का नियतन	Development of Animal Husbandry and Dairying in States . . .	55-57
890	गुजरात के लिए स्वीकृत नलकूप	Tube wells sanctioned in Gujarat . . .	57
891	गुजरात में मुर्गीपालन एकक	Poultry units in Gujarat .	58
892	रोगों से खाद्यान्न की क्षति	Damage to Foodgrains due to Pests . .	58-59
893	भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन की नई दिल्ली में हुई बैठक	Meeting of Indian Olympic Association held in New Delni . .	59-60
894	ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च तकनीकी शिक्षा	Higher Technical Education in Rural Areas .	60
895	विभिन्न खेलकूद संघों के कार्य	Affairs of various Sports Federations . .	60-61
896	गत तीन वर्षों के दौरान केरल को सप्लाई किया गया गेहूं तथा चावल	Wheat and Rice to Kerala during Last Three Years	
897	किसानों को तुरन्त नकद भुगतान	Cash Payment on the spot to Farmers .	61
898	उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीषों के बंगलों के नवीनीकरण पर व्यय	Expenditure on Renovation of Bungalows for Judges of Supreme Court	62
899	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला गेहूं का मूल्य	Rate for wheat offered by M.P. Government .	62
900	विभिन्न राज्यों में 15 अप्रैल तथा 15 जून, 1974 को गेहूं के खुले बाजार में भाव	Open Market price of Wheat in different States on 15th April and 15th June, 1974 . . .	63

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
901	10+2 वर्षीय स्कूल अवधि के लागू करने पर फालतू हो जाने वाले अध्यापक	Teachers Rendered Surplus on Introduction of 10+2 Years Schooling ·	64
902	वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के बीच ग्रेड दो में विषमता	Anomaly in Grade II Teachers of Delhi Schools on Implementation of Pay Commission Recommendations · ·	64
903	खाद्यान्न की जमाखोरी रोकने के बारे में राज्यों को निदेश	Instructions to States for Dehoarding of Foodgrains . · · ·	65
904	उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलों द्वारा गन्नों के मूल्यों में कटौती को बहाल करना	Restoration of cut in Sugarcane Prices by Sugar Mills in U.P. ·	65
905	विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति लागू करना	Enforcement of Compulsory Retirement of University and College teachers . .	65–66
906	1974-75 के दौरान कृषि पर परिव्यय में कटौती	Cut in Outlay on Agriculture during 1974-75 ·	66
907	समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला क्विलोन (केरल) में संस्थाओं को अनुदान	Grants from Social Welfare Department to Institutions in Quilon (District Kerala) · ·	66–67
908	केरल को वनस्पति और मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Vanaspati and Kerosene Oil to Kerala	67–68
909	किसान की भूमि के रकबे के अनुसार उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilisers on the basis of Area of Land held by a Farmer ·	68
910	गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की वसूली के लिये निर्धारित लक्ष्य और वसूली की मात्रा	Target of Wheat and Rice Fixed and procured during the Last Three Years · ·	68–69
911	पश्चिम बंगाल में चावल का क्रय मूल्य	Purchase Price of Rice in West Bengal · ·	69
912	गुजरात में निम्न आय वर्ग के लिए मकान निर्माण हेतु ग्रामीण आवास बोर्ड योजना	Rural Housing Board Scheme for Construction of Houses for Low Income Group in Gujarat · · ·	69–70
913	एक नया शिपयार्ड बनाने के लिए स्थान चुनने संबंधी नरूला समिति की सिफारिश	Recommendation of the Narula Committee on Site Selection for a New Shipyard · · ·	70

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
914	गुजरात द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को उचित मूल्य दूकाने खोलने में सहायता	Help to educated unemployed by Gujarat in opening fair price shops	70–71
915	अखिल भारतीय गन्ना उत्पादन संघ द्वारा भार्गव आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित करने और चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग	Demand by All India cane growers Association to publish Bhargava Commission report and nationalise Sugar Industry . . .	71
916	गणेश फ्लोर मिल्स के पास पड़े वनस्पति का आबंटन	Allotment of Vanaspati lying with Ganesh Flour Mills . . .	72
917	बहराइच (उत्तर प्रदेश) में नलकूपों के लिए "डीप बोरिंग" रिगें	Deep boring rigs for tube wells in Baharaich (U.P) . . .	72
918	दिल्ली में राशन की अनियमित सप्लाई	Irregular supply of Ration in Delhi . . .	73
919	ब्रिगेडियर नरूला की अध्यक्षता में गठित लघु पत्तन समिति की सिफारिशें	Recommendation of Minor Port Committee headed by Brigadier Narula . . .	73
920	जगन्नाथ मन्दिर की मरम्मत के लिए धनराशि	Amount for repairing work of Jagannath Temple . . .	73–74
921	जम्मू तथा काश्मीर राज्य के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण	House building advance to the Central Government Employees belonging to State of Jammu and Kashmir . .	74
922	भारतीय नौवहन निगम द्वारा जापान से अर्जित टैंकर	Tankers acquired by the Shipping Corporation of India from Japan .	74–75
923	भारत द्वारा विदेशों से प्राप्त किए गए जहाज	Ships acquired by India from Foreign countries .	75–77
924	विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों द्वारा 65 वर्ष की आयु पार करना	Age of 65 crossed by Vice Chancellors of Universities . .	77
925	भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोज और खुदाई कार्यों की संख्या कम होना	Decline in number of exploration and excavation conducted by Archaeological Survey of India . . .	78

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
926	त्रिपुरा में विकास कार्यक्रमों के लिए परिवहन और संचार सुविधाएं	Transport and communication facilities for the development programmes in Tripura ·	78–79
927	पांचवीं योजना के दौरान बूचड़खाने	Slaughter houses during Fifth Plan · · ·	79
928	राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र को उपजाऊ भूमि में बदलना	Conversion of desert areas in Rajasthan into fertile land · · ·	79–81
929	अनधिकृत भूमि की खेती के लिए भूमिहीन आदिवासियों से शुल्क वसूल किया जाना	Fees charged from landless advasis of Rajasthan for cultivation of unauthorised land ·	81
930	मिथिला विश्वविद्यालय से अनुदान और सहायता के लिए अभ्यावेदन	Representation from Mithila University for grants and assistance ·	81–82
931	वालीराजगढ़, बिहार में खुदाई	Excavation at Baliragarh, Bihar . · ·	82–84
932	फालतू भूमि के उचित वितरण के लिए समिति	Committee for proper distribution of surplus land · · ·	84–85
933	विभिन्न राज्यों में साहूकारा अधिनियम का लागू किया जाना	Implementation of Money lenders Acts in various States · · ·	85
934	शिवाजी महाराज का 300वां राज्य-भिषेक समारोह	Tri Centenary Coronation celebration of Shivaji Maharaj . . ·	85–86
935	चीनी उद्योग में संकट	Crisis in Sugar Industry ·	87
936	अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान द्वारा आरम्भ की गई विश्वविद्यालय विकास का अध्ययन प्रतिवेदन	Study Report of Planning of University Development undertaken by International Institute for Educational Planning	
937	कृषि संग्रहालय	Agricultural Museum ·	88
938	दिल्ली में गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिए टेनमेंट बनाना	Construction of Tenements for Slum dwellers in Delhi · · ·	88
939	चालू वर्ष में बासमती चावल का निर्यात	Export of basmati Rice during current year ·	88–89
940	रामनगर (शाहदरा) दिल्ली में उचित मूल्य की दुकान पर लेखाबाह्य गेहूं का आटा	Unaccounted wheat flour in Fair price Shop at Ramnagar, Shahdara, Delhi · · ·	89

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
941	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम	Delhi Rent Control Act ·	89-90
942	सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं के मूल्य का ब्यौरा	Break up of wheat price fixed by Government ·	90
943	उड़ीसा में सूरज मुखी की खेती करने वाले किसानों को छोटे उपकरण सप्लाई करना	Mini kits to farmers of sun flower in Orissa ·	90-91
944	उड़ीसा में खत्तियों/धान्यकोष्ठों से चावल और धान के भण्डारों का अनाधिकृत रूप से निकाला जाना	Misappropriation of stocks of rice and paddy from silos/bins in Orissa · ·	· 91
945	कलकत्ता स्थित भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के जाली डाक्टरी बिलों की जांच	Enquiry into bogus Medical bills FCI Employees Calcutta · · ·	91-92
946	रक्षित भंडार के लिये विदेशों से गेहूं, माइलो और चावल की खरीद	Purchase of wheat, milo and rice from foreign countries for buffer stock · ·	· 92
947	खाद्यान्नों पर उर्वरक और ट्रैक्टर के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय	Safeguard against effect of hike in price of Fertiliser and Tractor on Foodgrains · ·	· 92
948	गेहूं के व्यापारियों द्वारा ऊंचे मूल्य पर गेहूं का बेचा जाना	Sale of wheat at higher price by wheat Dealers	93
949	लम्बे रेशे वाली कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही	Steps to encourage production of long staple cotton · ·	· 93
950	बारानी कृषि क्षेत्रों के अन्तर्गत नकदी फसलों के लिए वित्तीय सहायता	Financial Aid for Cash Crop under Dry Farming Areas · ·	· 94-96
951	पांचवीं योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था का विकास	Development of Inland Water Transport System in Fifth Plan · ·	96-97
952	भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ी वह सैक्रीन जो वर्ष 1968-69 में आयात की गई थी।	Saccharine imported in 1968-69 lying with FCI	97
953	केरल में नारियल की खेती की योजना	Scheme for Coconut Cultivation Kerala ·	98
954	गेहूं की खेती की जाने वाली भूमि में नकदी फसलें बोया जाना	Diversion of land under wheat to Cash Crop	· 98-99

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
955	नौवहन टनभार की आवश्यकता	Requirement of Shipping Tonnage . . .	99
956	ग्रामीण क्षेत्रों में उर्दू का पढ़ाया जाना	Teaching of Urdu in Rural Areas . .	100
957	शहरी संपत्ति अधिकतम सीमा विधेयक	Urban Property Ceiling Bill	100
958	कोयले की ढुलाई के लिए जहाज मालिकों को भाड़े की दर में वृद्धि करने की अनुमति	Permission to Ship Owners to increase Freights Rate for the Movement of Coal . . .	100
959	मध्य प्रदेश में उर्वरक के पुराने स्टाक की नए मूल्य पर बिक्री के बारे में शिकायत	Complaint re: sale of old stock of Fertiliser at New Rates in Madhya Pradesh . . .	100-101
960	वनस्पति का उत्पादन तथा उसके व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of Vanaspati Production and Trade .	101
961	धान तथा बाजरे की तस्करी	Smuggling of Paddy and Bajra	102
962	पशुवों का उपयोग	Utilization of Carcases .	102
963	प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र	Training cum Production Centres . . .	103-104
964	भारतीय जहाजरानी निगम को हुआ घाटा	Losses suffered by Shipping Corporation of India	104-105
965	दिल्ली में शिक्षा संस्थाएं	Educational Institutions in Delhi . . .	105
966	मुरादाबाद में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी में मिलावट पाया जाना	Adulterated Sugar found in Moradabad by FCI .	105-106
967	भूराजस्व को अनाज के रूप में लेने के लिए राज्यों को केन्द्रीय निदेश	Central Directive to States for Collection of Land Revenue in kind .	106
968	उर्वरकों के लिए दो मूल्य निर्धारित करने की पद्धति	Dual price system for fertiliser . . .	107
969	भू-जल नीति	Ground Water Policy .	107-108
970	भारतीय 'डिग्री मिलों' को काली सूची में रखना	Blacklisting of Indian degree Mill . . .	108
971	सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों की कमी	Dearth of Housing Accommodation for Government Employees	108-109

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
972	कलकत्ता महानगरी के विकास संबंधी कार्य की प्रगति	Progress of developments works of Metropolitan Calcutta . . .	109-110
973	मकान रहित व्यक्तियों के लिए अस्थाई मकानों का निर्माण	Construction of Temporary Houses for Homeless . . .	111
974	रेल माल डिब्बों में भरे खाद्यान्न का लापता होना	Foodgrains lost through Railway Wagons . .	111-112
975	"माइग्रेशन आफ टाप व्हीट ब्रीडर्स" शीर्षक के अंतर्गत समाचार	Migration of Top Wheat Breeders . . .	112-113
976	"डी० डी० ए० ड्यूप्ड आफ रुपीज 50 लैक्स" शीर्षक के अंतर्गत समाचार	DDA duped of Rs. 50 lakhs	183-114
977	केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को रोकना	Stoppage of construction work on National Highways in Kerala .	114
978	आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा केरल में विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि	Amounts sanctioned by HUDCO for different schemes in Kerala .	114-115
979	त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय खेल-कूद संस्थान की स्थापना	Setting up of Regional Sports Institute at Trivandrum . .	116
980	दुखी महिलाओं का पुनर्वास	Rehabilitation of Distressed Women . .	116
981	उड़ीसा में कालेज अध्यापकों के लिए विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान	UGC grade to college Teachers in Orissa .	117
982	बालासोर में छोटे पत्तन के विकास के लिए योजना	Schemes for Development of Small Port at Balasore . . .	117
983	प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी नीति .	Primary education policy	118
984	पाला पड़ने से फसल को क्षति	Damage to crop due to Frost	119
985	राज्यों में संकटग्रस्त डेरियों को केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव	Proposal for central Aid to Sick Dairies in States . . .	119
986	दिल्ली में पुलिस से खाद्य भंडारों की जांच करने का अधिकार वापिस लिया जाना	Powers withdrawn from Police in Delhi to check food stocks . . .	120

U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
987	"119 हाउसिंग स्कीम्ज सैंक्शन्ड"	119 Housing Schemes Sanctioned · · ·	120
988	दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्य की समीक्षा करने के लिए समिति की स्थापना	Setting up of a Committee to Review the Working of DDA · ·	121–122
989	दक्षिण दिल्ली की प्राविजन मर्चेण्ट्स एसोसियेशन द्वारा हड़ताल	Hartal by South Delhi's Provision Merchant Association · · ·	122–123
990	हैदराबाद से विजयवाड़ा को जाने वाला राष्ट्रीय मार्ग	National Highway from Hyderabad to Vijayawada · · ·	123
991	मद्रास से अंडेमान तक जहाज चलाना	Sailing of Ship from Madras to Andamans ·	124
992	नेशनल स्टूडेण्टस यूनियन आफ इंडिया द्वारा कार्यवाही करने की धमकी	Threatened Action by National Students Union of India · ·	124–125
993	सरकारी तथा सहकारी बीज भंडारों के माध्यम से घटिया किस्म के बीजों की कथित बिक्री	Alleged sale of Sub Standard seed through Government and Co-operative Stores · ·	125
994	फर्टिलाइजर ऐंड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड में श्रमिक विवाद को केरल को भेजी जाने वाली खाद्यान्न की सप्लाई के प्रश्न के साथ जोड़ना	Linking of Labour Dispute in FACT with supply of Foodgrains to Kerala · · ·	125–126

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re. Question of Privileges

विषय	SUBJECT	PAGES
विदेश मंत्री द्वारा बजट संबंधी गोपनीय जानकारी का कार्य भेद खोला जाना	Alleged Leakage of Budget Secrets by the Minister of External Affairs · · · ·	126–129
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	129–131
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance · · ·	
आसाम के विभिन्न भागों में भूख से मृत्यु तथा लाचारी के कारण बच्चों को बेचे जाने के समाचार	Reported starvation deaths and distress sale of children in different parts of Assam · ·	131–132
श्री अजीत कुमार साहा	Shri Ajit Kumar Shaha ·	132–133
श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे	Shri Anna Saheb P. Shinde	133–135

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
समितियों के लिए निर्वाचन	Elections to Committees	
(एक) समुद्री नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड	National Welfare Board for Seafarers · ·	136
(दो) राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति	National Food and Agriculture organisation Liaison Committee ·	136
नियम 377 के अंतर्गत मामले	Matters under Rule 377 ·	
(एक) कोसी तथा गंगा में बाढ़ के कारण बिहार में भूमि कटाव	Land Erosion in Bihar due to floods in Kosi and Ganga · · ·	137
(दो) मेघालय में बोर्डर रोड टास्क फोर्स के कर्मचारियों द्वारा लोगों पर हमले	Reported attack by BRTF. personnel on people in Meghalaya ·	137–138
चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973	Cinematograph (Second Amendment) Bill Motion	
राज्य सभा द्वारा पारित रुप में विचार करने का प्रस्ताव	to consider, as passed by Rajya Sabha ·	138–151
(1) श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar ·	138–139
(2) श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh ·	139–140
(3) श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	140–141
(4) श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder ·	141
(5) श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ramgopal Reddy	141–142
(6) श्री गिरिधार गोमागो	Shri Giridhar Gomango ·	142
(7) श्री टी० सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal ·	142–143
(8) श्री आर० आर० शर्मा	Shri R.R. Sharma · ·	143–144
(9) श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	144
खंड 2 से 4	Clauses 2 to 4	
आधे घंटे की चर्चा	*Half-an-Hour Discussion*	
जनवरी-जून, 1974 के दौरान राज्यों को खाद्यान आवंटित करने का मापदंड तथा उन्हें आवंटित किये गये खाद्यान की मात्रा	Criteria for Allotment and Quantity of Foodgrains Allotted to States during January-June 1974 · · · ·	151
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ·	151–152
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	154–155

लोक सभा वाद विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

पंचम माला, खंड 41, अंक 6, 29 जुलाई, 1974/

7 श्रावण 1896 (शक)

का

<u>शुद्धि पत्र</u>

सूची पृष्ठ संख्या (Xiii) पर शीर्षक 'राज्य सभा द्वारा रूप में विचार करने के प्रस्ताव' के अन्तर्गत सदस्य संख्या (9) के " (10) श्री आई0के0 गुजराल Shri I.K. Gujral" पढ़िये ।

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 29 जुलाई, 1974/7 श्रावण, 1896 (शक)

Monday, July 29, 1974/Srawana 7, 1896 (Saka)

वि

प

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Speaker in the Chair]

[प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS]

जमा किये गए खाद्यान्नों को निकालने के लिये दिल्ली में छापे

*102. **श्री राम सहाय पांडे :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में व्यापारियों द्वारा जमा किये गये खाद्यान्न को बाहर निकालने के लिये दिल्ली में छापे मारे गये थे,

(ख) यदि हां, तो कितना छिपा गेहूं निकाला गया, और

(ग) पकड़े गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 761.46 क्विंटल।

(ग) एक विवरण, जिसमें गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों का नाम दिया गया है, सभा के पटल पर रखा जाता है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8076/74)

Shri Ram Sahai Pandey : There are 67 names in the statement laid on the Table in whose cases raids were conducted by the Delhi Administration. I would like to know the items and quality of non-cereal goods seized during raids; the number of licences cancelled; the number of persons prosecuted and the number of those convicted; and the number of those whose cases are still pending ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं यह जानकारी अपने मुख्य उत्तर में दे चुका हूं। वनस्पति तेल् वनस्पति घी, सीमेंट, चीनी आदि के मामले में अनियमितताओं के लिए 46 लाइसेंस रद्द किये गय हैं। कुल 290 व्यापारियों पर मुकदमा चलाया गया जिनमें से 22 भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत आते हैं और 268 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत। अन्य वस्तुओं के बारे में मुझे जानकारी एकत्र करने के लिए थोड़ा समय चाहिए।

श्री रामसहाय पांडे : जो कार्यवाही की गई है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं और साथ ही यह सुझाव देना चाहता हूं कि जमाखोरी के विरोध में अभियान निर्धारित रूप से चलना चाहिए। लोगों को यह बता दिया जाना चाहिए कि जो लोग जमाखोरी करेंगे उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जायेगा।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस ओर हम ध्यान दे रहे हैं और यह प्रक्रिया निरन्तर चालू रखी जाने वाली है। आज जो स्थिति विद्यमान है उसमें किसी को भी कोई वस्तु अवश्यकता से अधिक नहीं रखनी चाहिए। यद्यपि उपलब्धता इतनी कम नहीं है फिर भी वस्तु उपभोकता तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती और उपलब्धता निराशाजनक बन जाती है। इस सम्बन्ध में हमने राज्य सरकारों को विभिन्न उपाय सुझाये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सही है कि गेहूं नियंत्रण आदेश में 17 जून को संशोधन किया गया था और ऐसे व्यापारियों द्वारा केन्दीय खाद्य मंत्री को दिये गये अभ्यावेदन पर किया गया। परिणामत: पुलिस के लिए छापे मारने के लिए खाद्य आयुक्त की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य हो गया और इससे इस प्रकार की कार्यवाही में विलम्ब होने लगा। यदि ऐसा किया गया है तो, उसके क्या कारण हैं और यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार ने इस आशय के समाचारों का खंडन क्यों नहीं किया ? श्री राधा रमण ने भी छापे मारे जाने के ढंग पर असंतोष प्रकट किया है क्योंकि कुछ बड़े व्यापारियों को छापों की जानकारी पहले ही मिल गई थी जिससे बड़े व्यापारी तो बच गये और छोटे व्यापारी ही फंस सके।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : 17 जून 1974 के आदेश में संशोघन किया गया था किन्तु यह कहना गलत है कि व्यापारियों या अन्य किसी के कहने पर ऐसा किया गया। दिल्ली प्रशासन और सरकार के बीच पुन: विचार विमर्श हुआ और यथापूर्व स्थिति बनाये रखने का निर्णय किया गया। अब पुलिस निरीक्षक को यह अधिकार है कि सिविल सप्लाई कमिश्नर की पूर्वानुमति के बिना ही तलाशी ले सकता है। दिल्ली प्रशासन ने आदेश में संशोधन किया है और उस पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और उस आशय की अधिसूचना एक या दो दिन में जारी कर दी जायेगी कि पुलिस इंसपैक्टर बिना सिविल सप्लाइज़ कमिश्नर के परामर्श के तलाशी ले सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि छापे मारने की शक्ति पुलिस से क्यों छीन ली गई ? छापा मारने से पूर्व पुलिस के लिए सिविल सप्लाई कमिश्नर से परामर्श करना क्यों आवश्यक बनाया गया ? वह संशोधन 17 जून को किया गया था ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक छापे से सम्बन्धित समाचारों के प्रकट हो जाने का सम्बन्ध है, इस समाचार का खंडन स्वंय श्री राधा रमण ने किया था और कहा था कि यह समाचार गलत है। वस्तुत : छापे इतने सफल रहे कि उनके बारे में कोई भी न जान सका था। यह कहना भी गलत है कि कुछ बड़ी पार्टियां बच निकली थीं। बड़े थोक व्यापारियों में से एक भी नहीं छोड़ा गया था।

श्री डी० एन० तिवारी : कुल 292 व्यापारियों में से कितने जमानत पर छोड़ दिये गये हैं और कितने अभी तक जेल में हैं। क्या उन्हें जमानत पर न छोड़ने के आदेश दिये गये हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जब मामला न्यायालय में चला जाता है तो उसमें हम किसी भी प्रकार के निदेश नहीं दे सकते। किसी को छोड़ना या न छोड़ना मैजिस्ट्रेट का अपना अधिकार होता है। माननीय सदस्य को मालूम है कि एक अध्यादेश के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है और उसमें कड़ी सजा की व्यवस्था कर दी गई है। ये मामले कानून के अनुसार निपटाये जायेंगे और दोषी व्यक्ति को कड़ा दंड दिया जायेगा, हमें ऐसी आशा है।

Shri T. Sohan Lal : Sir, wheat, rice and other commodities are brought into Delhi from outside. I would like to know why this thing is not checked at toll-tax posts and why the officers who are in collusion with the hoarders or dealers are not given stringent punishment. May I know the number of officers who have been given punishment on this account ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है कि अपने कार्य में असफल रहे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है अथवा नहीं। इसके लिए मुझे अलग से नोटिस चाहिए ताकि मैं दिल्ली प्रशासन से जानकारी एकत्र कर सकूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को पता है कि दिल्ली में नागरिक समितियों जैसे विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा राजनीतिक पार्टियों ने जमा खाद्यान्न को बाहर निकालने के लिए चलाये जा रहे आन्दोलन के लिए स्वयंसेवक देकर सहयोग देने की पेशकश की है और उन्होंने उन स्थानों के बारे में जानकारी देने को भी कहा है, जहां अनाज आदि छिपा कर रखा गया है ? क्या दिल्ली प्रशासन इनका सहयोग प्राप्त करने में अपेक्षा कर रहा है ? इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: यदि दिल्ली प्रशासन के बारे में टिप्पणियां अपेक्षित हैं तो दिल्ली प्रशासन बधाई का पात्र है कि उसने इतने छोटे प्रशासन-क्षेत्र में अब तक 1601 छापे मारे। इससे उनकी कार्यबद्धता का परिचय मिलता है। इसके अतिरिकत माननीय सदस्यों और जनता के सुझावों का हम स्वागत करते हैं और उन्हें हम दिल्ली प्रशासन को भेज देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार जमाखोरी-विरोधी अभियान में सुगमता से उपलब्ध नागरिक समितियों का सहयोग और सहायता प्राप्त करेगी ;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : इस सम्बन्ध में जो स्वय सेवक संगठन और सहायता और सहयोग देना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करेंगे । वास्तव में प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में अपील भी की थी ।

श्री जगन्नाथराव जोशी : क्या इन छापों और गिरफ्तारियों के पश्चात् बाजार में खाद्यान्न अधिक मात्रा में आने लगे हैं ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : दिल्ली कमी वाला क्षेत्र है। यहां अनाज पंजाब और हरियाणा से आता है । इन छापों के परिणामस्वरुप जमाखोरी की प्रवृत्ति में कमी हुई है । यहां बाजार में अनाज उपलब्ध हैं । दिल्ली एक बड़ा नगर है और इसे 35,000 टन गेहूं और 4,000 टन चावल केन्द्रीय पूल से दिया जाता है ।

श्री जी० विश्वनाथन् : माननीय मंत्री का यह कहना गलत है कि लगभग सभी बड़े खाद्यान्न व्यापारियों के यहां छापे मार गये । मैं नरेला, नजफ़गढ और महरौली के सैकड़ों खाद्यान व्यापारियों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने बड़ी मात्रा में गेहूं जमा कर रखा है और जिनके भंडारों पर छापे नहीं मारे गये क्योंकि उन्हें राजनीतिक समर्थन प्राप्त है । ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मने गेहूं के थोक व्यापारियों के बारे में कहा था जिनकी संख्य 280 है और उन सबके प्रतिष्ठानों की जांच की गई है ।

वनस्पति से नियंत्रण हटाने की मांग

*103. **श्री तरुण गोगोई** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनस्पति से नियंत्रण हटाने की मांग की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वनस्पति उत्पादकों ने वनस्पति के मूल्यों में हुई वृद्धि पर असन्तोष प्रकट किया है और क्या उन्होंने यह चेतावनी दी है कि देश को इस वस्तु की कमी का सामना काफी समय तक करना पड़ेगा, और

(ग) क्या मूल्य वृद्धि के बाबजूद देश में वनस्पति की कमी बराबर बनी हुई है और इस बारें में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) : जी हां।

(ख) : विभिन्न ज़ोनों में 15 जून, 1974 को सरकार द्वारा उत्पादक स्तर पर 1800 रुपये से 2200 रुपये प्रति मीटरी टन के बीच वनस्पति के मूल्य में वृद्धि करने से वनस्पति उद्योग संतुष्ट नहीं है क्योंकि यह वृद्धि उसकी आशा से लगभग 500 रुपये प्रति टन कम है। उद्योग ने यह कहा है कि यदि वनस्पति के मूल्यों से नियंत्रण नहीं उठाया जाता है अथवा उसका दूसरा वैकल्प पाक्षिक समीक्षा के आधार पर उसके निर्माण में प्रयुक्त देशी तेलों के मूल्य में वृद्धि के साथ उसके मूल्य वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वनस्पति के मूल्यों में प्रयुक्त होने वाले तेलों के मूल्यों में वृद्धि या गिरावट आने के साथ वनस्पति के उत्पादन में भी उसी प्रकार वृद्धि या गिरावट आएगी।

(ग) हालांकि पिछली मूल्य वृद्धि के वाद, वनस्पति के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है फिर भी उसकी कमी महसूस की जा रही है। वनस्पति के उत्पादन को मुख्यत : खाद्य तेलों की उपलब्धता में वृद्धि कर के सुधारा जा सकता है। सरकार परम्परागत और सोयाबीन तथा सूरजमुखी के बीजों जैसे गैर-परम्परागत तिलहनो के उत्पादन में वृद्धि करने और लगातार वित्तीय सहायता देकर बिनौले के तेल, चावल के चोकर के तेल आदि का अधिक प्रयोग करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयत्नशील है।

श्री तरुण गोगोई : वनस्पति नियमित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है जबकि वह काले बाजार में उपलब्ध है और काले बजार में उसका मूल्य 14-15 रुपये प्रति किलो है। क्या घी का अभाव जान कर पैदा किया गया है ताकि सरकार दबाव में आकर उत्पादकों की वनस्पति पर से नियंत्रण हटाने की मांग मान जाये। यदि बात ऐसी ही है तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं?

श्री बी०पी० मौर्य : जून के महीने में उत्पादन 17,600 टन था जबकि इसकी मांग प्रति मास 50,000 टन है। अत : यह कहना गलत है कि अभाव कृत्रिम प्रकार का है। हां यह सच है कि जब किसी वस्तु का अभाव होता है तो उसका कुछ भाग काले बाजार में चला जाता है। कुछ मामले ऐसे हैं जबकि वनस्पति निश्चित मूल्य पर उपलब्ध नहीं था परन्तु काले बजार में उपलब्ध था। इसका कारण कम उत्पादन ही है।

श्रीमती माया राय : क्या बाजार में वनस्पति का अभाव है अथवा नहीं?

श्री बी० पी० मौर्य : हां, उसका बाजार में अभाव है।

श्रीमती माया राय : यदि वनस्पति का अभाव है तो क्या सरकार वनस्पति में हो रही चोर-बाजारी को रोकने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री बी० पी० मौर्य : जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है उसकी ओर से वनस्पति पर नियंत्रण लागू है और उसका मूल्य निर्धारित है। परन्तु दुर्भाग्य से वनस्पति उस मूल्य पर अत्याधिक अभाव के कारण नहीं मिल पा रहा है।

श्री जे० माता गौडर : देश में वनस्पति का कुल कितना उत्पादन होता है और उसकी मांग कितनी है ?

श्री बी० पी० मौर्य : प्रतिवर्ष अनुमानित मांग 6.5 लाख टन है। गत वर्ष कुल उत्पादन 4.49 लाख टन हुआ। इस वर्ष अप्रैल में उत्पादन 40,400 टन हुआ, मई में यह घटकर 35,200 टन हुआ और जून में यह घटकर 17,600 टन रह गया।

श्री एस० आर० दामाणी : इस प्रकार प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने बताया वनस्पति की वार्षिक मांग 6.5 लाख टन है और उसका उत्पादन घटकर 17,600 टन हो गया है। इसीलिए उसका आभाव हो गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि उत्पादन न बढ़ने के क्या कारण हैं? क्या कच्चे माल की कमी है ? उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है और इस बारे में सरकार क्या कर रही है ?

श्री बी० पी० मौर्य : वनस्पति में प्रयुक्त होने वाले खाद्य-तेलों तथा विशेषकर मूंगफली के तेल व अन्य तेलों के दाम वनस्पति तेल के आधार से कहीं ऊंचे हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस उत्तर की अनुपुर्ति करते हुये मैं कहना चाहूंगा कि पहले वनस्पति का उत्पादन आयातित सस्ते तेल पर आधारित था। विश्व मंडी में भी दाम बढ़ गये हैं और उन तेलों को अपने वनस्पति निर्माताओं को बेचने हेतु उनका आयात करने की स्थिति में नहीं हैं। वास्तविक कठिनाई यही है। इसलिये, हमें देश के बाजारों से किये जाने वाले क्रम पर निर्भर करना पड़ता है जहां पर मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। वनस्पति के लिये कच्ची सामग्री स्वयं कच्चे खाद्य तेल हैं और इसलिये जब तक इन दोनों के बीच कोई संबंध न जुड़ पाये तब तक वनस्पति तैयार नहीं हो सकता। यदि हम इसका विनियंत्रण कर दें जैसा कि सुझाव दिया गया है उसका अर्थ यह होगा कि यहां कच्चे तेल की एक लूट सी मच जायेगी और दाम और ज्यादा बढ़ जायेंगे। इसीलिये हम उस पर नियंत्रण रखना चाहते हैं।

Shri Jagannath Mishra : There is grave scarcity of vanaspati in the country. It is not due to the fact that the demand of the manufacturer to increase price from Rs. 2,500 per ton to Rs. 3,000 a ton has not been met; and resultantly, 70 to 74 companies have stopped production, 20 companies are producing less than their capacity and whatever is produced that is being sold in black-market. Then the containers for this vanaspati are also in short supply ? If so, what steps do the Government propose to take to tackle this problem ?

Shri B.P. Maurya : As has been just now stated by the hon. Minister, formerly we used to subsidise and help the industry by importing cheap oil from abroad. We used to supply this imported oil to the industry keeping in view the rise in price of unprocessed oil in the market here. We used to give about 18,600 tons of imported oil or as much the quantity thereof as required, every month. Now that arrangement is not there since the prices of edible oil in the international market have gone up very high. Secondly, there is shortage

of foreign exchange also. There are the difficulties in the present situation. If is not so that all the factories had stopped productions, but it is not economic for them to purchase oil at high prices in the market and then sell the produce at the controlled rates. That is why the production is going down.

श्री पीलू मोदी : मैं इस विषय पर मंत्रीमंडलीय मंत्री से एक अत्यन्त रूप से विशिष्ट नीति वक्तव्य सुना। वह कहते हैं कि वनस्पति तैयार करने वाली कच्ची सामग्री भी खाद्य सामग्री है और यदि उसे वनस्पति तैयार करने के लिये उपयोग में लाया गया तो कच्ची सामग्री के दाम भी बढ़ जायेंगे। इसलिये, ऐसा लगता है कि सरकार की यह नीति है कि वनस्पति का उत्पादन रुकवा दिया जाये क्योंकि इस देश में वनस्पति उत्पादन की स्थापित क्षमता देश की मांग से ढाई गुना अधिक है, अर्थात् स्थापित क्षमता लगभग 15 लाख टन की है। जबकि देश की मांग $6\frac{1}{2}$ लाख टन के लगभग है। मंत्री महोदय कहते हैं कि वे आयात पर राजसहायता दे रहे थे। और अब आयात उपलब्ध नहीं है। यहां प्रश्न राजसहायता देने का नहीं है। इसलिये क्या यह निष्कर्ष निकालना तर्क संगत नहीं होगा कि वनस्पति का उत्पादन तब तक नहीं होगा जबकि सरकार उस पर से नियंत्रण न हटा ले और मूल्य को इस सीमा तक जाने दे कि उस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के दामों की प्रतिपुर्ति भी हो जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

श्री पीलू मोदी : मैं नीति के बारे में जानना चाहता हूं। क्या सरकार की नीति वनस्पति का उत्पादन रोकने की है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : वनस्पति का उत्पादन रोक देने की नीति नहीं है परन्तु सरकार की यह नीति भी नहीं है कि उन्हें इस परिस्थिति में शोषण करने की अनुमति दे दी जाये।

श्री पीलू मोदी : इसमें शोषण क्या है ? शोषण का अर्थ है उपलब्ध न होना। क्योंकि उन्हें घी संसद-भवन से मिल जाता है इसलिये वह नहीं चाहते कि वनस्पति का उत्पादन हो।

Shri K.M. Madhukar : It is not a fact that the Government are allowing the vanaspati industry to exploit the people and that is why they are producing less vanaspati ? It is not possible for the Government to introduce a better machinery to keep watch from production point to distribution point and ensure the proper distribution of vanaspati among the people ? To check and stop the present blackmarketing and bungling in respect of vanaspati; the Government should purchase the entire production at the production level itself and arrange for its fair distribution.

Shri B.P. Maurya : Had the hon. Minister been correct in saying that the Government are allowing the vanaspati Industry to exploit the people. Then the production would have not been less but it would have been far more. As per the statistics given by me, the production in June was only 17,600 tons whereas it should have been at least 50,000 tons according to the ration fixed. So the hon. Members statement is not correct. As regards distribution it is a matter of policy and we can examine that.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उहोंने श्री मधुकर के प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया है। निर्माताओं से नियंत्रित दामों पर माल खरीदने तथा फिर उसे सार्वजनिक वितरण एजेंसियों के माध्यम से वितरित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री बी० पी० मौर्य : मैंने कहा है कि यह एक नीति संबंधी मामला है और उसपर विचार करने की आवश्यकता है। इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : हो सकता है यह जान बूझकर बनाई गई नीति नहीं हो जिससे कि सामान्य उपभोक्ता जनता को परेशानी हो रही है और वह वनस्पति की कमी के कारण हताश हो रही है। स्थापित क्षमता मांग की मात्रा से दुगुने से भी अधिक की है। अपने वक्तव्य में श्री पीलू मोदी ने केवल यही बात सत्य कही है। इसलिये क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या विश्वमंडी में तेल की स्थिति पछिले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कुछ अच्छी है अथवा नहीं ? यदि हां, तो क्या सरकार सभा को यह आवश्वासन देगी कि सरकार खाद्य तेल का पर्याप्त मात्रा में आयात इसलिये नहीं करेगी कि जनता को शोषण करने वाले बड़े-बड़े उद्योग मुनाफ़ा खा जायें बल्कि इसलिये करेगी कि सरकार स्वयं एक रुपया प्रतिवर्ष के नाम मात्र के लाभ पर बनस्पति कारखानों को चलायेगी और इस प्रकार इस मुसीबत को दूर करेगी जिससे कि आज सारा देश बुरी तरह परेशान है ?

श्री सी० सुब्रह्ण्यम् : कुछ तेल का आयात करने का एक कार्यक्रम है परन्तु विदेशी मुद्रा की कमी के कारण समूची मांग पुरी करने के लिये वह पर्याप्त नहीं है। जहां तक वनस्पति कारखानों को अपने अधिकार में लेने की बात है सो यह एक नीति संबंधी मामला है और माननीय सदस्य प्रश्नकाल के दौरान मुझसे कोई नीति संबंधी घोषणा की आशा तो नहीं कर सकते।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : वनस्पति की कमी का एक कारण यह भी है कि परिष्कृति तैल तथा वनस्पति मक्खन पर नियंत्रण नही है। अधिकांश उद्योग परिष्कृत तेल तैयार करते हैं। क्योंकि इससे इनको मुनाफा होता है। इस प्रकार उद्योग वाले एक प्रकार का मक्खन भी बना रहे हैं। यही कारण है कि वनस्पति का उत्पादन कम है। क्या सरकार परिष्कृत तेल तथा वनस्पति मक्खन के मूल्यों पर नियंत्रण करने जा रही है ताकि ये कारखाने अधिक मात्रा में वनस्पति घी तैयार करें।

श्री बी० बी० मौर्य : जहां तक खाद्य तेलों के मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न है सो यह एक बड़ा पेचीदा मामला है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : वे तेलों को परिष्कृत कर रहे हैं।

श्री बी० पी० मौर्य : इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार परिष्कृत तेल तथा वनस्पति मक्खन के मूल्यों पर नियंत्रण करने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उनका उत्तर है कि उस पर विचार किया जायेगा।

Shri Onkar Lal Berwa : Besides the shortage of vanaspati in the country, the one and two kilo tins of vanaspati cantains 50 to 100 gms of vanaspati less in each tin. There have been some cases of that kind and I want to know the action taken against the guilty persons as also what steps are contemplated to ensure full quantity to the consumers !

Shri B.P. Maurya : We have received certain complaints to the effect that the tins had less quantity. We would make all efforts to ensure that there is no such complaints in future.

Shri Onkar Lal Berwa : What action has since been taken ?

Shri B.P. Maurya : It is true that there have been some complaints. There have been complaints particularly in respect of Delhi's Ganesh Flour Mills and we are looking into that. I want to assure the hon. Members that we would do our best to avoid such complaints in future.

Effect of Price Hike in Fertiliser on Agricultural Production

***105. Dr. Laxminarayan Pandey :**
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether agricultural production is likely to be affected adversely as a result of 75 to 95 per cent increase in the prices of fertilisers in June, 1974 ; and

(b) if so, the percentage thereof ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) :—कृषि उत्पादन कई बातों पर निर्भर करता है। उर्वरकों का प्रयोग उनमें से एक है। लेकिन उर्वरकों के प्रयोग पर केवल इसके मूल्यों का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उर्वरकों की उपलब्धि उर्वरकों की खरीद के लिए ऋण की उपलब्धि और कृषि उत्पाद के मूल्य आदि जैसी अन्य बातों का भी असर पड़ता है। चूंकि उर्वरकों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी जून, 1974 से ही अधिसूचित की गई थी, अतः अभी उर्वरकों की कुल खरीद और कृषि उत्पादन पर इसके प्रभाव का अंदाजा लगाना सम्भव नहीं है। अतः अभी यह बता सकना कठिन है कि उर्वरकों के मूल्यों में हाल में की गई वृद्धि का कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा या उत्पादन पर इसका कितना असर पड़ेगा।

Dr. Laxminarayan Pandey : The hon. Minister has not openly admitted that there is shortage of fertilizers. But the fact remains that when the prices go up the farmer is not able to use them so amply. Particularly the small farmers have been seriously affected, and naturally, the production has been affected. I want to know whether it is a fact that at present the fertilisers are not available to meet the demand ? If so, what efforts are being made to meet the demand ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह सच है कि देश में उर्वरक और उनकी मांग के बीच अन्तर है। हमारे विचार से इस सम्बंध में मतभेद हो सकता है कि उर्वरक की कमी लगभग 25 प्रतिशत की है। परन्तु यदि हम राज्य सरकारों द्वारा रखी गई वास्तविक मांग के हिसाब से विचार करें तो यह कमी 40% से भी अधिक की हो जाती है फिर भी यह कारण नहीं बनाना चाहिये कि इस वर्ष गत वर्षों से कम उर्वरक उपलब्ध होगा। वस्तुत: अबकी बार अधिक उपलब्ध होगा। गत वर्ष हमने 27 से 28 लाख टन उर्वरक निर्यात किया था। इस वर्ष यह लगभग 32-33 लाख टन उपलब्ध होगा।

Dr. Laxminarayan Pandey : The hon. Minister has admitted that the prices of inputs also affect the agricultural production favourable or adversely. Today we find that the farmers' produce is priced far less than those produced in factories. The wheat price has been fixed at Rs. 105 whereas the fertilisers current price is Rs. 210 a quintal. I want to know whether Government are formulating any policy so as to remove this imbalance of prices between the agricultural produce and industrial products and to keep a definite coordination therein, so that the farmers do not suffer ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह कहना तो कठिन होगा कि कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में पूरी तरह समानता होगी। इस प्रश्न के बारे में कि क्या उर्वरकों के मूल्यों का कृषि उत्पादों के मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा, स्वभावत: ही हमे तो विचार में रखना ही है। हम इस मामले को कृषि मूल्य आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों को सौंपे देते हैं। हम मुख्य मंत्रियों से भी सलाह लेते हैं। उसके बाद कोई निष्कर्ष निकालते हैं। हमारा उद्देश्य किसानो के हितों की रक्षा करना होता है तथापि समूची आर्थिक स्थिति तथा निर्यातों एवम् उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करनी ही होती है।

Shri K.M. Madhukar : The Indian Government have proved a total failure in the agricultural field. There is a great discontentment among the farmers pue to the rise in prices of fertilisers. Small and medium class farmers are never able to get at the fertilisers. They have been facing great hardship because of that. Do the Government propose to have scheme to with a view providing fertilisers to the small and medium farmers at old rates; or in alternative, to arrange for special provision to small and medium farmers, so that there is no decline in agricultural production ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : प्रशासनिक दृष्टि से छोटे तथा बड़े किसानों के लिये अलग अलग दो प्रकार के मूल्य रखना तो बड़ा कठिन है। इससे कदाचार बढ़ेंगे। छोटे तथा बड़े गरीब किसानों को राहत देने के लिये मेरे विचार से उन्हें समय पर ऋण मिल जाना ही इस समस्या का हल है और यही हमारा उद्देश्य भी है।

श्री शिवाजी राव एस० देशमुख : पिछले अनेक वर्षों से पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि से पूर्व दुनिया भर में उर्वरकों के मूल्य घट रहे थे जबकि भारत में बढ़ रहे थे। इसका क्या औचित्य था? भारतीय किसान जो कि दुनिया का सबसे गरीब किसान है को उर्वरकों के सर्वाधिक मूल्य देने पड़ते हैं।

महाराष्ट्र में सल्फा मिश्रण के विशेषज्ञों ने अन्न उत्पादन के लिये सर्वथा अनुपयुक्त बताया है फिर भी सल्फा के मूल्य यूरिया के मूल्यों के बराबर हैं। इसके पीछ क्या औचित्य है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मोटे तौर पर हमारी आधी आवश्यकता देश में ही उर्वरक के उत्पादन से तथा शेष आधी आवश्यकता आयात द्वारा पूरी होती है। ऊर्जा के संकट के कारण केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कच्चे माल तथा नैपथा के दाम बढ़ गये हैं। दूसरे, वर्ष 1972 में उर्वरक के अन्तर्राष्ट्रीय भाव 500 रुपये प्रति टन थे जोकि बढ़कर 1973 में 800 रुपये प्रति टन हो गये। अब देश में पहुंचकर उनके मूल्य हमें 2,800 से लेकर 3,000 रुपये प्रति टन पड़ते हैं। अतः आप कल्पना कर सकते हैं कितनी गुणा वृद्धि हुई है। यदि हमने मूल्य नहीं बढ़ाये होते तो सरकार को 470 करोड़ रुपये की इतनी बड़ी राशि की राजसहायता देनी पड़ती और इस राशि को एकत्रित करने के लिये या तो अतिरिक्त कर लगाने पड़ते या फिर घाटे की बजट व्यवस्था करनी पड़ती जोकि हमारी आर्थिक स्थिति की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है। इसलिये, इन विवशता पूर्ण परिस्थितियों में सरकार को यह निर्णय करना पड़ा। जहां तक सुफाला का सबंध है उसे कुछ विशिष्ट मिट्टियों से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अन्य मिट्टियों के लिये यह एक अत्यन्त उपयोगी मिश्रण है। मेरे विचार से माननीय सदस्य के निष्कर्ष कहीं नहीं हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad : On the one hand the Government are boasting of protecting the small farmers since the big farmers are making away with all the facilities and concessions, whereas, on the other hand, they are leaving the small farmers on the mercy of big farmers by increasing the prices of fertlisers. This is in contravention of Government's own policy, and I want to know as to what steps are being taken by the Government to enable the small farmers to get fertilizers ? Agreeing with the contention that it is not possible to have two different rates for small and big farmers. May I know whether the Government are having a scheme through which they would provide fertilizers to the small farmers who cannot purchase the fertilizers due to high prices ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : छोटे किसानों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, हमने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि उत्पादन कार्यक्रम के आधार पर उर्वरक छोटे किसानों को भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिये ताकि केवल कुछ बड़े किसान उर्वरक इकट्ठा न कर सकें। छोटे किसानों की अन्य कठिनाई, ऋण का समय पर न मिलना है। यदि इस पर काबू पा लिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। परन्तु मैं इस मत से सहमत नहीं कि यह बहुत कठिन समस्या है और इसके लिये राज्य प्रशासनों तथा हम सबको निरन्तर ध्यान देना पड़ेगा।

श्री जी० विश्वानाथन : यदि सरकार द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि मुद्रास्फीति के कारण ही उर्वरकों के लिये दी जाने वाली राजसहायता वापिस ले ली गई है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है क्योंकि जब उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होती है तो अन्ततः इसके परिणामस्वरूप बाजार में गल्ले के मूल्य भी बढ़ेंगे ? मुझे यह समझ में नहीं आता कि इसे मुद्रास्फीति के नाम पर कैसे न्यायोचित ठहराया जा रहा है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि भारत सरकार को यह अप्रिय निर्णय क्यों लेना पड़ा। वर्तमान परिस्थितियों में इसके इलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। उर्वरकों के लिये किसी प्रकार की राज सहायता देने से अर्थ-व्यवस्था की हालत और खराब होती। हम इस समस्या को इस ढंग से समझते हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The cost of fertilisers was raised by 95 percent by Government last year. It is a fact that the private businessmen who purchased the same fertiliser at old prices, will be selling the same on revised prices? If so, what are the steps being taken by Government to check the same ? May I know if Government will instruct the State Governments that the fertiliser purchased on cheaper rates be sold on the same rates in the country and only the new fertilisers should be sold on revised rates ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सन्दर्भ में इसके मार्ग में कुछ कठिनाइयां हैं। कुछ राज्य सरकारों ने पिछले स्टाक को कम कीमतों पर नहीं बेचा। परन्तु कानूनी कठिनाइयों के कारण मैं समझता हूं कि हम इसमें अधिक सहायता नहीं कर पायेंगे।

श्री सैयद अहमद आगा : उर्वरक का अधिक लाभ बड़े किसानों द्वारा उठाया जा रहा है, छोटे किसानों द्वारा नहीं। इस मूल्य वृद्धि का प्रभाव छोटे किसानों पर तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा छोटे किसानों को उर्वरकों के मूल्यों के बारे में भी उसी प्रकार की रियायतें दी जायेंगी जैसी कि बड़े किसानों को दी जाती है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, उसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

Handling Charges by F.C.I. and Private Trade

*106. **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the average handling charges per quintal per year of the Food Corporation of India during each of the last three years ;

(b) the comparative average handling charges in private foodgrains trade and reasons for difference if any; and

(c) the action taken for reducing the burden of this expenditure over consumers and Government ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम और निजी व्यापारियों द्वारा खाद्यानों के सम्भालने पर किये जाने वाले खर्चों क बीच कोई प्रभावकारी तुलना करनी कठिन है क्योंकि दोनों विभिन्न उद्देश्यों के लिये कार्य करते ह ।

निजी व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले वास्तविक औसत खर्चे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, खाद्यान्न व्यापारी एसोसिएशन द्वारा हाल ही में भेजे गये आंकड़ों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्भालने पर किये गये खर्चे निजी व्यापारियों द्वारा बताये गये खर्चे से कम है।

भारतीय खाद्य निगम अपने प्ररिचालन सम्बन्धी खर्चे कम करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहता है और इस समय वह अप्रैल, 1974 में सचिवों की समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करन के लिये तन्त्र तैयार करने में लगा हुआ है।

सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में सम्भालने के खर्च का व्यौरा दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सम्भालने पर किये गये खर्चे का व्यौरा

	(रुपये प्रति क्विंटल)	
	गेहूं	चावल
1971-72	25.65	22.49
1972–73	22.76	19.15
1973–74 (अस्थायी)	23.09	20.03

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Speaker, Sir, the statement laid on the table by the hon. Minister relates to 1971-72 and 1972-73. But according to the Report of the Committee on Public undertakings for the year 1971-72, it has been cleanly stated that, "Some of the State Govermnents have also categorically stated in written Memoranda that incidental charges of the corporation are extremely high."

So they have used the word 'exrtemely high'. It has been stated by the hon. Minister that the figures given by private the traders are higher as compared to those of Corporation but according to the Committee they are extremely high. In the subsequent para, the Committee has stated :

> "For the last seven years, they have not evolved any norms for regulating the incidental charges."

The Committee is of the opinion that means after so many years of its setting up, the Corporation has not taken up any norms to reduce its expenditure. Just now the hon. Minister stated that it is under consideration, so I want to know what sort of norms are under the consideration of Government ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सब से पहले मैं सदस्य महोदय का यह भ्रम दूर करना चाहता हूं कि सरकारी संगठन में होने वाला खर्चा अधिक है। उनकी यह धारणा पूर्णतया गलत है। हमने अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी एसोसियेशन से खाद्यान्नों को संभालने आदि से सम्बद्ध आंकड़े देने को कहा था। उन्होंने यह आंकड़े दिये हैं और उनके नीचे अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी एसोसियेशन के सचिव, श्री मनीराम गुप्ता के हस्ताक्षर हैं। उनके विवरण के अनुसार खाद्यान्नों को सम्भालने आदि पर होने वाला व्यय 30.80 पैसे आता है। इसकी तुलना में भारतीय खाद्यनिगम में होने वाला खर्चा काफी कम है। अतः इस प्रकार की धारणा नहीं होना चाहिये कि भारतीय खाद्य निगम का खर्चा अधिक है।

जहां तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या इसके लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। इसके लिये मैं अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। गेहूं को सम्भालने आदि पर होने वाले व्यय का यदि हम सही ढंग से परीक्षण करें तो हमें मालूम होगा कि उस पर होने वाला 70 प्रतिशत खर्चा ऐसा होता है, जो भारतीय खाद्य निगम के बस का नहीं होता क्योंकि वह मंडी का खर्चा होता है जिसके अन्तर्गत विक्रय कर, बोरियों की कीमत, परिवहन व्यय, तथा उनका भार आदि तौलने पर होने वाला व्यय होता है। इन सभी का विस्तृत ब्यौरा मेरे पास है। परन्तु मैंने उसे इसलिए प्रस्तुत नहीं किया कि सदन का अधिक समय इसमें न लगे।

दूसरे, चावल को संभालने आदि पर होने वाला लगभग 79 प्रतिशत खर्चा ऐसा होता है जो कि कुछ कारणों से भारतीय खाद्य निगम के नियंत्रण से बाहर का होता है। गेहूं पर होने वाले शेष 30 प्रतिशत तथा चावल पर होने वाले 21 प्रतिशत व्यय के बारे में एक समिति द्वारा अध्ययन किया गया है और उसने कुछ सिफारिशें भी की है। समिति ने खाद्यान्नों को संभालने पर होने वाला व्यय कम करने के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। जो सब से बड़ी बात हमारे सामने आई है वह यह है कि 76 करोड़ से भी अधिक धनराशि अभी राज्य सरकारों की ओर बकाया है...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कृपया अपना उत्तर संक्षेप में दें। वह तथा सदस्य महोदय दोनों ही लगभग भाषण देना आरम्भ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उपयुक्त समय में प्रश्न को निपटाना कठिन हो जाता है। आप संक्षेप में अपनी बात कहिये।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि सदस्य महोदय मेरे से कोई विस्तृत विवरण चाहते हों, तो मैं वह भी देने को तैयार हूं।

Shri Jagannath Rao Joshi : I would like to know from the hon. Minister whether it has been recommended by the Juneja Committee that subsidy should be totally stopped and in that case what measures will be taken by Government to reduce the charges strictly on the basis of economic handling?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : भारत सरकार का प्रयत्न प्राय: उपभोक्ताओं से खाद्यान्नों की कम से कम कीमत लेने का रहा है। परन्तु फिर भी हमारे देश में गरीब उपभोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है और उनके कम से कम मूल्य लेने के हमार प्रयास में हमें उन्हें 100 करोड़ रुपये से भी अधिक की राज सहायता देनी पड़ती है और इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : खाद्यान्नों को सम्भालने में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में अधिक खर्चा किया जाता है या कम, इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम पर एक आरोप यह भी है कि किसी गैर-सरकारी निकाय की तुलना में भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न को संभालने में अधिक खाद्यान्न बेकार चला जाता है और यदि यह सच है, तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस समस्या का अध्ययन करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ? दूसरा आरोप यह भी है कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के साथ मिल कर या उनको अनुमति के बिना, गेहूं या चावल आदि की वसूली करते समय उनमें सेलखड़ी आदि मिलाकर उनका भार बढ़ा दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है ? और यदि हां, तो इसके बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठायें गये हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक अनाज के कम होने का प्रश्न है उसके बारे में व्यापारियों के आंकड़ों के अनुसार 1 क्विटल के पीछे 1 किलोग्राम कम हो जाता है और हमारे यहां भी गत तीन वर्षों में मोटे तौर पर अनाज को संभालने में इतनी ही हानि होती रही है। इसमें कोई खास अन्तर नहीं है।

जहां तक अन्य कदाचारों का सम्बन्ध है, उनके लिए हम अपने प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा जागरूक जनता भी इस काम में हमारी सहायता कर सकती है।

श्री के० गोपाल : विवरण के अनुसार अनाज को संभालने पर लगभग 25 रुपये का व्यय होता है। गेहूं का वसूली मूल्य 105 रुपये प्रति क्विंटल है। मुझे बताया गया है–तथा मंत्री महोदय को तो इस तथ्य की जानकारी होगी ही कि दक्षिण में गेहूं का विक्रय मूल्य 350 रुपये से 400 रुपये प्रति क्विंटल है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर होने वाला परिवहन व्यय, आकस्मिक व्यय तथा बिचौलियों आदि का लाभ कितना होता है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमें हाल ही में जो जानकारी प्राप्त हुई है। उसके अनुसार दक्षिण की गैर-गेहूं उत्पादक राज्यों में भी गेहूं की मूल्य उतनी नहीं है जितने कि माननीय सदस्य द्वारा बताया गया। परन्तु मैं चाहूंगा के सदस्य महोदय इसके बारे में मुझे विशिष्ट जानकारी दें। जहां तक सरकार द्वारा सप्लाई की गई गेहूं का सम्बन्ध है, या गेहूं के व्यापारिक मूल्य का सम्बन्ध है, वह कानूनी तौर पर निर्धारित कर दी गई है। और सभी राज्य सरकारों को वह रेलवे स्टेशनों तक 125 रूपये प्रति क्विंटल की दर से दी सप्लाई की जाती है। जहां तक व्यापारिक दृष्टि से सप्लाई की गई गेहूं का ताल्लुक है उसका मूल्य 150 रूपये प्रति क्विंटल एफ० ओ० आर० निर्धारत किया गया है तथा विभिन्न राज्यो में विभिन्न स्तरों पर थोक तथा परचून में यह मूल्य 158 रुपये प्रति क्विटल से 180 रुपये प्रति क्विंटल दर है।

Shri Jharkande Rai : May I know the number of persons who get employment by F.C.I. and by the trades of private sector for handling the same quantity of foodgrains; is there any comparative figure for that ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : नहीं श्रीमान, इस प्रकार के आंकड़े देना बहुत कठिन है । मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50,000 है ।

श्री एस०एम० बैनर्जी : माननीय मंत्री महोदय ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि खाद्यान्न व्यापारी एसोसिएशन द्वारा भारतीय खाद्य निगम की तुलना में अनाज को संभालने पर अ क खर्चा किया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा गेहूं की वसूली तथा वितरण की नीति में परिवर्तन करने के बाद क्या अब खाद्यान्नों को संभालने का कार्य भी गैर सरकारी निकायों से ले लिया जायेगा और इसे भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया जायेगा ताकि गेहूं की उचित वसूली हो सके । तथा कीमतों को ना बढ़ने दिया जाये ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर अमल के लिए विचार किय जा सकता है ।

विदेशी नस्लों की गायों के उपयोग के कारण श्वेत क्रांती का ठप्प हो जाना

***107 श्री पुरूशोतम काकोदकर :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कुछ विदेशी नस्लों की गायों के उपयोग के कारण संभावित श्वेत क्रांति ठप्प हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय परिस्थितियों में यह नस्लें अलाभप्रद पाई गई हैं ; और

(ग) श्वेत क्रांति की गति को तेज करने हेतु क्या अन्य कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बी० पी० मौर्य : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सघन पशु विकास परियोजनाओं एवं महानगरों की दुग्ध योजनाओं के दुग्ध क्षेत्रों में स्थित चुने हुए आदर्श ग्राम ब्लाकों में शामिल क्षेत्रों को व्यापक संकर-प्रचनन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाया जायेगा । आहार तथा व्यवस्था की अनुकूल परिस्थितियों के क्षेत्रों को समेकित पशु एवं डेरी विकास परियोजनाओं के लिये चुना गया है । इन परियोजनाओं में आहार, चारा, स्वास्थ्य सेवा, भंडारन एवं विपणन सुविधाओं आदि आदानों के पैकेज की आवश्यक व्यवस्था की जा रही है, ताकि प्रजनन योग्य बहुसंख्यक गायों एवं भैंसों को इन परियोजनाओं के अन्तर्गत लिया जा सके । आशा है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दूध उत्पादन में काफी वृद्धि होगी । यह उत्पादन 232.0 लाख मीटरी टन के वर्तमान उत्पादन से बढ़कर वर्ष 1978-79 तक लगभग 286.0 लाख मीटरी टन तक पहुंच जायेगा ।

श्री पुरूषोतम काकोडकर : मेरे प्रश्न का (क) भाग है :

"क्या दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कुछ विदेशी नस्लों की गायों के उपयोग के कारण सम्भावित श्वेत क्रांति ठप्प हो गई है।"

तथा इसका उत्तर है, "जी नहीं"। इसके बाद मेरे प्रश्न का (ख) भाग है :

"यदि हां, तो क्या भारतीय परिस्थितियों में ये नस्लें अलाभप्रद पायी गई हैं।' इसके लिये उत्तर दिया गया कि, "प्रश्न ही नहीं उठता।"

30 जून को भारत सरकार के भूतपूर्व सलाहकार, श्री सी० एस० बिन्द्रा ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक वक्तव्य में कहा कि देश की 320 लाख टन दूध की वार्षिक कमी को पूरा करने के लिये जो पशुपालन कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, वह केवल नाम मात्र का रह गया है। सरकार को दोष देते हुये उन्होंने आगे कहा कि ऐसा दोषपूर्ण नियोजन से हुआ है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है, क्या उसमें कोई सच्चाई है? यदि हां, तो फिर सरकार द्वारा उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और यदि नहीं, तो उस वक्तव्य का सरकार द्वारा खण्डन क्यों नहीं किया गया है?

श्री बी० पी० मौर्य : माननीय सदस्य का प्रश्न था कि क्या संकट प्रजनन अलाभकर है, जिसका उत्तर है "नहीं", संकट प्रजनन मितव्ययी है। प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर था 'प्रश्न ही नहीं उठता' जिसका तात्पर्य है कि वह मितव्ययी है।

जिस वक्तव्य का माननीय सदस्य महोदय द्वारा उल्लेख किया गया है, उसे मैंने नहीं देखा है परन्तु मैं सदन को इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संकट प्रजनन काफी सफल रहा है और यह अपने आप में एक मान्य फारमूला है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से देश में दुग्ध उत्पादन से सम्बद्ध एक सामान्य प्रश्न उठाया है परन्तु मूल प्रश्न का सम्बन्ध संकट प्रजनन से है जिसका तात्पर्य है कि कुल उत्पादन आदि पर उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। संकट प्रजनन के बारे में मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि वह सफल रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इन नों का क्या आपसी सम्बन्ध है। श्री काकोडकर, मुझे खेद है कि आप ने दो एसी अलग-अलग बातों को मिला दिया है जिनका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पुरूषोतम काकोडकर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विदेशी नस्लों का प्रयोग आरम्भ करने से लेकर अब तक के वर्षों तक स्थिति में कोई सुधार हुआ है और यदि हां, तो स्वदेशी गायों के दूध की तुलना में संकट प्रजनन की गाय के दूध में औसतन कितनी वृद्धि हुई है?

श्री बी० पी० मौर्य : संकट-वर्ण कार्यक्रम सफल रहा है। सामान्यतया यदि हम हरियाणवी या सिंधी अथवा किसी देशीय गाय, जो कि एक लिटर दूध प्रतिदिन देती हो, के साथ 20 लिटर प्रति-दिन दूध देने वाली गाय से जन्मे एक विदेशी बैल से सम्पर्क करायें तो फिर 20 योग 1 को 2 से भाग

करने के सूत्र से, इस प्रकार संकट-वर्ण-कृत गाय लगभग 10 लिटर दूध प्रतिदिन देगी, इस प्रकार दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। जनसंख्या के हिसाब से दूध के उत्पादन का अनुपात निम्न प्रकार है। दूध के उत्पादन में वृद्धि 1.9 प्रतिशत की है जबकि जनसंख्या में वृद्धि 2.3 प्रतिशत है। जहां तक संकट-वर्ण कार्यक्रम का संबंध है इसमें कोई दोष नहीं है और यह पूरी तरह सफल हुआ है।

Shri Ambesh : The hon. Minister has claimed that the cross-breed scheme is a success but the production of milk has gone down. I, therefore want to know the basis of success in production.

Mr. Speaker : There is no decline in production of cross-breed, it has come out less because the propulation has increased.

Shri Buta Singh : The hon. Minister has stated that the shortage of milk in the cosmopolitan cities at least would be overcome by 1978-79; whereas the Indian population in rural areas is suffering from mal-nutrition. Our people do not live in cosmopolitan cities only. Secondly, the entire research work is directed in respect of urban population. What arrangements are being made to make the milk available to our poor population also? This shortage is being exploited by the foreign missionaries who have been offering some unknown substitutes to our people and getting them converted into christianity. What steps ate, therefore, being taken to provide milk to the poor people.

Shri B.P. Maurya : Rs. 525 crores have been allocated for animal husbandry and milk production during this Fifth Plan, where that amount was only Rs. 143 crores in the last Plan. This would directly benefit the small farmers and agricultural labourers and we are making efforts to provide them with more and more cross breed cows.

मंगलौर और बम्बई तथा बम्बई से पंजिम के बीच सड़क और समुद्री यात्रा का किराया

*108. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर से बम्बई तक "कांट्रेक्ट कैरिज" द्वारा सड़क यात्रा का किराया कितना है और प्रत्येक यात्री के लिए अपने साथ ले जाने वाले असबाब की स्वीकृत मात्रा कितनी है;

(ख) मंगलौर से बम्बई तक या बम्बई से मंगलौर तक समुद्र यात्रा के लिए मैसर्स मुगल लाइन्स द्वारा हिसाब लगाया गया प्रति यात्री किराया कितना है और बम्बई से मंगलौर तक जलयान में प्रत्येक यात्री के लिए अपने साथ ले जाने वाले असबाब की स्वीकृति मात्रा कितनी है; और

(ग) बम्बई से पंजिम तक यात्रा के लिये मैसर्स मुगल लाइन्स द्वारा संचालित दो जलयानों की यात्री-क्षमता कितनी है और कोंकण लाइन्स का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने से पूर्व और इस समय बम्बई से पंजिम तक प्रति डेक यात्री किराया कितना है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुर्खजी) : (क) यह विदित हुआ है कि प्राइवेट टूरिस्ट कारपोरेशन जो सुपर डी-लक्स सेवा चला रहा है बम्बई और मंगलौर के बीच एक तरफ का 65 रुपये प्रति यात्री ले रहा है। साथ में 30 कि० ग्रा० सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है और 50 पैसे प्रति कि० ग्रा० की दर से 20 कि० ग्रा० तक ले जाने की अनुमति है।

(ख) मुगल लाइन बम्बई और मंगलौर के बीच कोई नौवहन सेवा नहीं चलाती।

(ग) बम्बई और पानाजी के बीच कोंकण सेवा के दो ज़हाज चलते हैं जिसमें प्रत्येक की कुल यात्री क्षमता 996 है। सरकार द्वारा सेवा अपने हाथ में लेने क पूर्व बम्बई से पानाजी तक प्रत्येक डेक यात्री का किराया 20.80 रुपये था और इस समय यह 29.20 रुपये है।

श्री बी० वी० नायक : यदि इस मार्ग को पानाजी से मंगलौर तक बढ़ा दिया जाये अर्थात् बम्बई-पणजी मार्ग को बम्बई-मंगलौर कर दिया जाये तो इन ज़हाजों पर प्रति यात्री कितना खर्च आयेगा इनसे कितना अधिक किराया लेना पड़ेगा ? क्या मंत्रालय ने इस विषय में विचार किया है तथा क्या वह अनुमानतः किराया बता सकते हैं ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जब इस सेवा को पणजी से आगे मंगलौर तक बढ़ाने का सुझाव आया तो यह पाया गया कि यात्रा में रुपया ज्यादा लगेगा और सेवाओं की संख्या में कमी हो जायेगी बम्बई से पणजी तक प्रति डॉक-यात्री 29 रुपये किराया लेने पर पिछले सीज़न में मुगल लाइन को 21 लाख रुपये का घाटा हुआ था।

अब यदि इसको मंगलौर तक बढ़ा दें तो घाटा और भी अधिक होगा। और यदि प्रति डॉक यात्री 65 रुपये किराया लें तो भी यह घाटा कम नहीं होगा।

श्री बी० वी० नायक : यदि आप बुरा न मानें तो यह कहें कि घाटा होगा। क्या मंत्री महोदय इस मार्ग को पणजी से मंगलौर तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेंगे क्योंकि इसका घाटे से संबंध नहीं है। आप को तो हर तरह घाटा होना है आप चाहे जिस दिशा में भी सेवा चलायें। इस परिस्थिति में स्थानीय लोगों की खुशी को देखते हुये और साथ ही यह विचार करते हुये कि गोआ के एक सदस्य स्वयं मैंने तथा कोंकण के माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते हम सभी ने एक मत से इस मार्ग को बढ़ाने के लिये जोर दिया है, तो आप कृपया इस सेवा को 100 मील आगे तक बढ़ाने को राज़ी क्यों नहीं हो जाते ?

डा० हेनरी आसिन : वह इस सेवा को कोचीन तक भी बढ़ायें।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह मामला केवल घाटे का ही नहीं है। इस समय हम दो ज़हाज चला रहे हैं। सेवाको आगे तक बढ़ाने से सेवाओं की संख्या में कमी हो जायेगी और समय भी अधिक लगेगा मंगलौर और कोचीन क्षेत्रों के सदस्य इस सेवा को मंगलौर तक बढ़वाना चाहेंगे तो संभव है महाराष्ट्र के लोग इसे पसन्द न करें। यदि हम इसे स्वीकार कर लें तो इससे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हम एक मिनट अधिक ले चुके हैं। अब प्रश्न काल समाप्त होता है

प्रश्नों क लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

ग्रुप IV कोआपरेटिव, हाऊस बिल्डिंग सोसाइटीज को भमि अबंटित न करने की न्यायिक जाँच

*101. **श्री पीलु मोदी :**

श्री नीरेन्द्र कुमार साँधी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रुप IV कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटीज़ की समन्वय समिति ने सरकार की पूरी राशि का भुगतान कर दिये जाने के बाद भी उनको भूमि आवंटित न करने में कथित धोखाधड़ी की न्यायिक जांच करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो समन्वय समिति ने क्या आरोप लगाये हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यक्ति के पोषण का न्यूनतम स्तर

*104. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ-डाक्टरों से परामर्श करके एक भारतीय नागरिक के प्रतिदिन के भोजन के सम्बन्ध में पोषण का कोई न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह स्तर क्या है और उसको वर्तमान मूल्यों के हिसाब से कितनी न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सकता है; और

(ग) भारत के कितने प्रतिशत लोग इस न्यूनतम-स्तर क भोजन को ग्रहण कर सकते ह और क्या शत प्रतिशत जनता के लिये न्यूनतम स्तर के भोजन की व्यवस्था करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

चिकित्सा विशेषज्ञों से प्राप्त सूचना के अनुसार खाद्य उपभोग के सम्बन्ध में कोई न्यूनतम सामान्य स्तर निर्धारित करना सम्भव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की पौषणिक आवश्यकताएं आयु, लिंग तथा शारीरिक कार्यकलाप पर आश्रित होते सभी अलग-अलग हो सकती हैं। फिर भी

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के पोषण विशेषज्ञ दल ने 1968 में शारीरिक कार्यकलाप की घटती-बढ़ती अवस्था के साथ विभिन्न आयु के व्यक्तियों और लिंग दलों के लिये विशिष्ट सन्तुलित भोजन हेतु सिफारश की थी। आयु और लिंग के अनुसार भारतीय जनसंख्या में व्यक्तियों के वितरण को ध्यान में रखते हुये, दल ने एक व्यक्तिगत भारतीय के लिये निम्नलिखित विशिष्ट सन्तुलित भोजन परिकलित किया है :—

खाद्यान्न का नाम	शाकाहारी 28.4%		मांसाहारी 71.6%		कुल 100%	
			(ग्रामों में)			
अन्न	369.5		369.5		369.5	
दालें	68.9	78.4	55.2	64.7	59.1	68.6
मूंगफली	9.5		9.5		9.5	
पत्तेदार सब्जियां	107.4		107.4		107.4	
अन्य सब्जियां	124.5		124.5		124.5	
फल	37.1		37.1		37.1	
दूध	240.6		153.7		178.4	
चरबी तथा तेल	35.4		38.4		37.6	
मांस खाद्य	--		49.4		35.4	
चीनी तथा गुड़	40.3		40.3		40.3	

कलोरीज़ तथा प्रोटीन्स के अनुसार उपरोक्त भोजन को पौषणिक मूल्य निम्नलिखित है :—

कलोरीज़	2,357
प्रोटीन्स	44.3 ग्राम

2. इस तथ्य पर विचार करते हुये कि देश के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों के भावों में अस्थिरता तथा विभिन्नता है, सारे देश के लिये चालू कीमतों पर प्रस्तावित संतुलित भोजन के न्यूनतम लागत का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। फिर भी 7 जून, 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास जैसे शहरों में खाद्यपदार्थों के फुटकर दामों के आधार पर, उपरोक्त आहार की न्यूनतम लागत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1.92 रुपये से 2.25 रुपये तक पहुंच गई है।

3. ऐसे व्यक्तियों की प्रतिशतता के संबंध में कोई जानकारी नहीं है जिनका खाद्य उपभोग न्यूनतम स्तर से नीचे है। जनसंख्या के विभिन्न दलों के पौषणिक स्थिति पर हुये अनेक अध्ययन बताते हैं कि कुपोषण तथा अल्प पोषण एक समस्या बनी रही है। यह समस्या अधिकतर कमजोर वर्ग के व्यक्तियों में, विशेषकर गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने वाली माताओं, शिशुओं तथा बच्चों में पाई गई है।

4. निरन्तर पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य जनसंख्या के कमजोर वर्ग के लोगों के सामान्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाना रहा है ताकि वे लोग खाद्य उपभोग के अपेक्षित स्तर को बनाएं रख सकें। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शिशुओं, बच्चों, गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं के भोजन की कमी को पूरा करने के लिये विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए थे और जिन्हें समेकित बाल विकास सेवाओं की योजना अधीन पांचवीं योजना अवधि के दौरान और भी सुदृढ़ बनाना है शत प्रतिशत लोगों को इस योजना में शामिल करने का उद्देश्य एक लम्बा रूप है और अकेली पंचवर्षीय योजना अवधि के थोड़े से समय में ही इसे पूरा नहीं किया जा सकता।

वनस्पति एककों के सरकारी करण की अनुमति के लिए पंजाब एंव हरियाणा सरकारों का अनुरोध

*109. **श्री राम भगत पासवान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब एवं हरियाणा सरकारों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उन्हें अपने राज्यों के उन वनस्पति एककों की सरकारी नियंत्रण में लेने की अनुमति दी जाये जिन का उत्पादन क्षमता से कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाँचवीं पंचवर्सीय योजना में जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए विशेषज्ञों के दल का प्रतिवेदन

*110. **श्री देवेन्द्र नाथ महाता :**
श्री टुना उरांव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जहाज़ बनाने का कारखाना स्थापित करने संबंधी मामल की छानबीन करने के लिये विशेषज्ञों का एक तीसरा दल नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों क पहले दो दलों क द्वारा प्रस्तुत प्रतिवदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पहल दलों की सिफारिश को स्वीकार न किये जान के क्या कारण ह ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) से (ग) अधिकारियों के पहले दो कार्य दलों ने विभिन्न तकनीकी और आर्थिक पहलुओं की जांच की और उनके निष्कर्ष सिफारिशों के रूप में नहीं है, जिन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। तकनीकी आर्थिक कार्य दल ने जिन वैकल्पिक स्थानों को उपयुक्त समझा उन्हें प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्टों की तैयारी के लिये सक्षम विदेशी परामर्शदाताओं को भेजा जा रहा है, ताकि चार वैकल्पिक स्थानों में से दो स्थानों का चयन किया जा सके।

धान के समर्थन मुल्यो में वृद्धि के बारे में मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श

*111. **श्री अनादी चरण दास :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1974 के अन्तिम सप्ताह में उन्होंने मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों स विचार-विमर्श किया था, और

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने बुआई मौसम आरम्भ होने से पूर्व धान का समर्थन मल्य बढ़ाने की मांग की थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां।

Meeting of Chief Ministers on Agricultural Production

*112. **Shri G.P. Yadav :**
Shri R.V. Swaminathan :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether some Chief Ministers had met him during the month of June, 1974 to discuss the difficulties and impediments in the way of agricultural production; and

(b) if so, the outcome of the meeting ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Yes, Sir. The Union Minister of Agriculture held meetings with individual Chief Ministers and Ministers of Agriculture of all States except West Bengal, Meghalaya and Manipur (who were unable to come) from 19th to 24th June, 1974 to discuss the difficulties and impediments in the way of agricultural production. During the discussions, it was agreed to lay emphasis on optimum utilisation of available irrigation potential; coordinated supplies and optimum utilisation of inputs; effective organisation and arrangements for institutional credit; readiness with alternative production strategy in the event of failure and/or excessive rain or floods; coordinated functioning of various Departments/Organisations connected with agricultural

production and close link between research and extension agencies and training of farmers. The shortage of aluminium for electric conductors was noticed and a special allocation of 5,000 tonnes of electric conductor grade aluminium has thereafter been made to the State Governments largely for cable manufacture through small sacle units.

वर्ष 1972–73 के दौरान कृषि उत्पादन में कमी

***113. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक ग्राफ इण्डिया के बुलेटिन में ग्रध्ययन के ग्रनुसार वर्ष 1971–72 की तुलना में वर्ष 1972–73 के दौरान सम्पूर्ण कृषि उत्पादन में भारी कमी हुई ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; ग्रौर

(ग) यह कमी कितनी हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जी हां। वर्ष 1972–73 के दौरान देश के ग्रधिकांश भागों में व्यापक सूखा पड़ने, उर्वरकों की कमी होने, नलकूपों तथा पम्पसेटों के लिये बिजली की कम सप्लाई होने तथा नहरों से ग्रनियमित जल की सप्लाई होने के कारण ग्रधिकांश कृषि जिंसों के उत्पादन को भारी धक्का लगा है। वर्ष 1971–72 की तुलना में कृषि उत्पादन में 9.1 प्रतिशत की कमी हुई।

इंगलैंड में भरतीय क्रिकेट खिलाड़ी का एक मामले में ग्रन्तर्ग्रस्त होान

***114. श्रीमती रोजा विद्याधर देशपडि :**

क्या **शिक्षा समाज, कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंगलैंड के दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम के साथ गया एक खिलाड़ी दुकान से उठाई गीरी के मामले में पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; ग्रौर

(ग) विदेशों में जाने वाली भारतीय टीमों पर ग्रनुशासन लागू करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री ग्ररविन्द नेताम) : (क) से (ग) जी, हां।

सरकार को सूचना मिली है कि भारत की भ्रमणकारी क्रिकट टीम के एक सदस्य, श्री सूधीर नाईक को ग्राक्सफर्ड स्ट्रीट लन्दन स्थित स्पेंसर डिपार्टमेंट स्टोर के मार्क्स से 1.20 पौंड मूल्य के मोजों के चार जोड़ों की उठाईगिरी के ग्रारोप में लन्दन न्यायालय द्वारा 25 पौंड तथा उसके ग्रलावा लागत के रूप में 20 पौंड जुर्माना किया गया था। ऐसा पता चला है कि इस घटना के समय श्री नाईक के पास व्यक्तिगत रूप से 250 पौंड से ग्रधिक थे।

इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट भारत के क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड तथा लन्दन स्थित भारत के उच्च आयुक्त से मंगवाई गई है तथा इन रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली में उचित मुल्य की दुकानों पर घटिया अनाज की बिक्री

*115. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्री किशन मोदी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तिमाही में दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों पर घटिया अनाज अधिक मात्रा में बेचा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गोदामों से घटिया अनाज की सप्लाई बन्द करने के लिये कोई नयी पद्यति आरम्भ की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस पद्धति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कृषि मुल्य आयोग की सिफारिशें

*116. **श्री गजाधर माझी** :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका सार क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से संबंधित रिपोर्ट का नाम नहीं बताया है । यह उल्लेख किया जा सकता है कि कृषि मूल्य आयोग ने 1974–75 के मौसम के लिये निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :—

1. गेहूं के गारंटी मूल्यों की सिफारिश के संबंध में 1974–75 के मौसम के लिये गेहूं की मूल्य-नीति पर रिपोर्ट ।
2. अधिप्राप्ति मूल्यों, आदि की सिफारिशों के संबंध में 1974–75 के मौसम के लिये गेहूं की मूल्य-नीति पर रिपोर्टें ।
3. 1974–75 के मौसम के लिये जूट की मूल्य-नीति पर रिपोर्ट ।
4. 1974–75 के मौसम के लिये गन्ने की मूल्य-नीति पर रिपोर्ट ।
5. 1974–75 के मौसम के लिये कपास की मूल्य-नीति पर रिपोर्ट ।
6. वर्ष 1974–75 के खरीफ खाद्यान्नों के न्यूनतम साहाय्य मूल्यों की सिफारिशों के संबंध में पत्र ।

2. उपर्युक्त क्रम संख्या 4 और 5 में उल्लिखित गन्ना एवं कपास की मूल्य-नीति संबंधी रिपोर्टों एवं वर्ष 1974–75 के खरीफ धान्यों के न्यूनतम साहाय्य मूल्यों से संबंधित सिफारिशों पर इस समय विचार किया जा रहा है। सरकार ने उपर्युक्त क्रम संख्या 1, 2 तथा 3 में उल्लिखित अन्य रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर निर्णय ले लिए हैं।

इन रिपोर्टों में की गई सिफारिश एवं सरकार के निर्णय का सार नीचे दिया जा रहा है :—

रिपोर्ट	कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशें	सरकार के निर्णय
1	2	3
वर्ष 1974–75 के मौसम के लिये गेहूं की मुल्य-नीति।	1. देश की वर्तमान कठिन खाद्य स्थिति को देखते हुये तथा समीकरण भंडारों को पूरा करने की आवश्यकता की दृष्टि से बुवाई के मौसम स पहले गेहू के मूल्य की गारंटी दी जानी चाहिये। यह मूल्य सामान्य परिपस्थितियों के अन्तर्गत अधिप्राप्ति मूल्यों के उचित अनुमान हो, और 2. 1973–74 की फसल की बवाई से पहल घोषित किये जाने वाले गेहूं का ऐसा गारंटी मूल्य देशी सामान्य गेहूं के लिये सब राज्यों के लिये एक समान 85 रुपय प्रति क्विन्टल और विभिन्न मैक्सिकन किस्मों की, जो गहूं के उत्पादन का अधिकांश भाग है, देशी लाल किस्मों क लिय 80 रुपये प्रति क्विन्टल और अच्छी किस्मों क लिय 90 रुपय प्रति क्विन्टल नि रित किया जाये।	देशी लाल तथा मैक्सिकन लाल एवं सामान्य सफेद किस्मों के लिये सिफारिश किये गए गारंटी साहाय्य मूल्य स्वीकार किये लेकिन श्रेष्ठ किस्मों के लिये कोई गारंटी साहाय्य मूल्य घोषित न करने का निर्णय किया गया था।

1	2	3
2. 1974–75 के मौसम के लिये गेहूं की मूल्य-नीति पर रिपोर्ट।	1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सक्षम रूप से बनाये रखने के लिये, जैसे कि यह इस समय कार्य कर रही है, जरूरत से अधिक उत्पादन करने वाले राज्य खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल में अपना अंशदान अधिक से अधिक करें और कमी वाले राज्य अपनी मांग सीमित करें; और	गेहूं के उत्पादन को अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता और केन्द्रीय पूल में अधिक मात्रा की अधिप्राप्ति करने की दृष्टि से गेहूं की सब किस्मों के लिय अधिप्राप्ति मूल्य 105 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया गया था।
	2. सब राज्यों के लिये देशी सामान्य सफेद गेहूं एवं विभिन्न मैक्सिकन किस्मों के लिये अधिप्राप्ति मूल्य एक समान 95 रुपये प्रति क्विटल, देशी लाल किस्मों के लिये 90 रूपये प्रति क्विटल और अच्छी किस्मों के लिये 100 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया जाये।	
3. 1974–75 के मौसम के लिये जूट की मूल्य-नीति।	1. सब अन्तवर्ती मंडियों के लिये 1974-75 के मौसम के लिये कच्ची जूट क न्यूनतम सावधिक मूल्य असम बोटम एवं जूट की तुलनात्मक किस्मों एवं ग्रेडों के लिये एक समान 125 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया जाये;	सरकार ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।
	2. जूट की अन्य किस्मों एवं ग्रेडों के तदनुरूपी मूल्य जूट आयुक्त द्वारा मंडियों	

1	2	3
	में प्रचलित उनके सामान्य सापेक्ष मूल्य के अन्तर के अनुसार निर्धारित किये जायें;	
	3. उत्पादकों को कारगर सहायता देने के लिये खरीद के प्रारम्भिक केन्द्रों पर अवस्थापनात्मक सुविधाएं सुदृढ़ की जायें; और	
	4. कलकत्ता में अन्तर्वर्ती मंडियों से रेशों के सुगम संचलन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से रेलवे प्राधिकारी अपने प्राथमिक कार्यक्रम में जूट के लिये उचित स्थान दें और यदि आवश्यक हो तो कटाई के मौसम के बाद जूट के लिये विशेष व्यवस्था करें।	

वनस्पति क चार किलो के डिब्बे अधिक संख्या में बनाये जाने के कारण

*117. **श्री विक्रम महाजन :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणेश फ्लोर मिल्स द्वारा प्रतिदिन वनस्पति घी के कुल कितने डिब्बों का उत्पादन किया जाता है और प्रत्येक डिब्बे का भार क्या है;

(ख) क्या मिल ने वनस्पति घी के चार किलो के डिब्बे अधिक संख्या में बनाये, दो किलो के उससे कम और 1 किलोग्राम के डिब्बे बिल्कुल नहीं बनाये और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं जब कि दिल्ली में राशन कार्डधारी को 2 किलोग्राम से अधिक वनस्पति घी नहीं दिया जाता, और

(ग) जिन दुकानदारों ने डिब्बों की सील तोड़कर वनस्पति की बिक्री की, उनको इस प्रकार हुई हानि की क्षति पूर्ति किस प्रकार से की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 16 जून, 1974 और 15 जुलाई 1974 के बीच की अवधि के दौरान 4 किलो और 2 किलो के डिब्बे का औसत दैनिक उत्पादन क्रमश: 7,187 डिब्बे और 2,715 डिब्बे हुआ था। किसी अन्य क्षमता के डिब्बों में वनस्पति का कोई उत्पादन नहीं हुआ था।

(ख) यह सच है कि वनस्पति घी पैक करने में 2 किलो के डिब्बे की अपेक्षा 4 किलो के डिब्बों की संख्या अधिक थी। यह इसलिए कि क्योंकि पैक करने की सुविधा के रूप में भरने वाली एक ही मशीन है और यदि 4 किलो के डिब्बे अधिक संख्या में बनाए जायें तो स्थापित क्षमता के अन्दर अधिकतम उत्पादन होगा। एक किलो के कोई भी डिब्बे नहीं बनाए गये थे क्योंकि इस फैक्ट्री में अधिक घनत्व के पोलीथीन पैक में वनस्पति पैक करने की कोई भी सुविधा नहीं है।

(ग) ऐसे दुकानदारों, जिन्होंने डिब्बों की सील तोड़कर खुले वनस्पति घी की बिक्री की उन्हें क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि दिल्ली प्रशासन ने वनस्पति तथा खाली डिब्बों की कीमत इस प्रकार निर्धारित की है कि उससे न तो दुकानदार को और न ही खरीदने वाले को ही कोई हानि है।

द्यानों की वसुली और वितरण की नीति में परिवर्तन के कारण भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों का फालतु हो जाना

118. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की वसूली और वितरण की सरकारी नीति में परिवहन होने के कारण भारतीय खाद्य निगम के बहुत से कर्मचारी फालतू हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी फालतू हो गये हैं और सरकार ने उन्हें अन्यत्र नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) कई राज्यों द्वारा राज्य खाद्य निगम स्थापित करने के कारण, यह अनुमान है कि भारतीय खाद्य निगम में कार्य कर रहे 7,000 से कुछ अधिक कर्मचारी निगम की आवश्यकताओं से फालतू हो सकते हैं। निगम अपने क्रिया-कलाप बढ़ाने की सम्भावना का पता लगा रहा है और विभिन्न वैकल्पों की जांच कर रहा है।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा के लिए एक खाद्य क्षेत्र

*119. **श्री प्रोबोध चन्द्र :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा के लिये एक ही खाद्य क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या अन्य राज्यों के बारे में भी कोई ऐसा ही प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) पंजाब, हरियाणा और जम्मू तथा कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश उत्तरी चावल क्षेत्र का अंग है। अन्य राज्य, कुल मिलाकर, एकल राज्य क्षेत्र हैं। मोटे अनाजों के बारे में सारा देश एक क्षेत्र है। तथापि, अधिप्राप्ति के हित में और अधिक समान वितरण करने के लिये गेहूं के एकल राज्य क्षेत्र बनाए रखे गए हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का एक गेहूं क्षेत्र बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

Expansion of Deserts

***120. SHRI LALJI BHAI :**

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government attention has been drawn to the expanding deserts in various parts of the country ;

(b) whether Government are providing any incentives for reclamation of the expanding deserts and research in this matter; and

(c) if so, facts in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B.P. Maurya) (a) Yes, Sir. A Committee of Scientists headed by Dr. K. Jacob, under the auspices of the Indian National Science Academy, New Delhi, had conducted studies and in their report submitted during 1972, observed that the desert may not be on the march to the degree once vaguely suspected, but the sands in the desert region certainly move with a strong north-westerly wind during the dry summer months and the desert would spread unless the human activities through sound agricultural and other practices push back the moving sand from the marginal areas.

(b) Yes, Sir.

(c) The Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, had been conducting research on items relating to the problems of the arid zones including technology for desert agronomy and methods and techniques for stabilisation of shifting sand dunes, establishing shelter belts and wind breaks, range management etc.

During the Fourth Five Year Plan four pilot projects for development of desert areas were taken up inRajas than, Gujarat and Haryana and a provision of Rs. 2 crores was made in the Central Sector for taking up these projects. Works relating to pasture development, soil conservation, afforestation, minor irrigation, agricultural development etc. were taken up under these projects in the districts of Barmer and Jaisalmer in Rajasthan, Banaskantha in Gujarat and Mohindergarh District in Haryana. Besides funds amounting to about Rs. 40 lakhs were made available under the D. P. A. P. programme during the Fourth Five Year Plan for labour intensive works like medium and minor

irrigation, soil conservation, afforestation, rural communication etc. in the drought prone and desert areas including 10 districts in Rajasthan, 7 in Gujarat and 3 in Haryana. The programme will be continued during the Fifth Plan and would also include schemes for sand-dune stabilisation and pasture development. Efforts have also been made to include two desert-prone districts namely Hissar (Haryana) and Jodhpur (Rajasthan) under the centrally sponsored scheme of integrated dry land agricultural development initiated during the 4th Plan, with a view to demonstrating the new technology of dry land farming. Other measures having important bearing on desert development include:

(i) Construction of Rajasthan Canal in Western Rajasthan.

(ii) Exploration and exploitation of groundwater in desert areas. A special project for groundwater investigations and evaluation in the desert areas of Rajasthan has been taken up by the Central Groundwater Board under the Central Sector with UNDP assistance.

(iii) Setting up of large fodder seed production farms in the desert/semi-desert areas for cattle development. Three additional farms are proposed during the 5th Five Year Plan, in addition to the 6 existing farms.

फिरोजशाह कोटाला, नई दिल्ली स्थित गृह से बच्चों का भाग जाना

855. **श्री झारखण्डे राय:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 मई, 1974 को फिरोजशाह कोटला, नई दिल्ली स्थित शिशु गृह से 12 बच्चे दीवार फांद कर भाग गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बच्चों को गर्मियों में खुले में सोने की अनुमति नहीं दी गई थी ; और

(घ) क्या उक्त गृह में कोई नियमित सुपरिन्टेंडेन्ट नहीं है और एक प्रोबेशनरी अधिकारी काम कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) 5 मई, 1974 को फिरोजशाह कोटला, नई दिल्ली स्थित शिशु गृह की दीवार फांद कर तीन बच्चे भाग गये थे । भागने से पूर्व उन्होंने उस कमरे की खिड़की की लोहे की सलाखें तोड़ दी थी, जिसमें वे सो रहे थे ।

(ग) दिल्ली बाल (विशेष स्कूलों बाल गृहों तथा निरीक्षण गृहों का प्रबन्ध, कृत्य और उत्तरदायित्व) नियम, 1956 के अधीन बच्चों को रात के समय कमरों में सोना पड़ता है, जो काफी हवादार होते हैं और उनमें पंखे लगे होते हैं ।

(घ) इस गृह में एक नियमित अधीक्षक है जब वह छुट्टी पर गये थे, तभी एक वरिष्ठ प्रोवेशन अधिकारी को अस्थायी रूप से संस्था की देखभाल करने के लिये कहा गया था ।

पंजाब के स्कूलों के लिए निर्धारित 'भारत का इतिहास' नामक पुस्तक में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना

856. **श्री वरके जार्ज** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 12 जुलाई 1974 के अंग्रेजी के एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार पंजाब के सरकारी स्कूलों में नौंवी कक्षा के लिये निर्धारित "भारत का इतिहास" नामक इतिहास की पाठ्य पुस्तक में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है ; और यदि हां, तो वे तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या आर्य समाज ने इस पुस्तक के विरोध में आन्दोलन करने की धमकी दी है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस पुस्तक को पाठ्यक्रम से निकाले जाने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) : सरकार ने संदर्शित प्रेस विज्ञप्ति को देखा है । चूंकि यह मामला पंजाब सरकार से संबंधित है, अतः राज्य सरकार से ब्यौरे भेजने के लिये, अनुरोध किया गया है । तथापि यह ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार ने निर्धारित पुस्तकों की सूची में से उक्त पुस्तक को वापिस ले लिया है ।

गेहूं की वसूली सम्बन्धी नीति के संबंध में प्रधान मंत्री कावक्तव्य

857. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने कहा था कि यदि वर्तमान वसूली नीति असफल रही, तो सरकार को गेहूं और चावल की वसूली करने के लिये 'कुछ अन्य तरीके' अपनाने पड़ेंगे,

(ख) यदि हां, तो वे तरीके क्या हैं, और

(ग) वर्तमान वसूली नीति का क्या परिणाम निकला था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : (क) से (ग) : नई नीति से कमी वाले राज्यों में गेहूं की उपलब्धता में सामान्यतया सुधार लाने और मूल्यों में कमी लाने में मदद मिली है । अन्तर्राज्यीय मूल्य विषमता में भी कमी हुई है । चावल की अधिप्राप्ति सामान्यतया संतोषजनक हुई है हालांकि गेहूं के बारे में यह प्रत्याशा से कुछ कम हुई है । सरकार ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिये खाद्य नीति की नियत कालिक समीक्षा की जाती है और नीति के उदेश्यों को प्राप्त करने के लिये समय समय पर यथावश्यक उपयुक्त पग उठाए जाते हैं ।

पांचवीं योजना में लद्दाख में परिवहन सुविधाओं के विस्तार की व्यवस्था

858. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में लद्दाख में परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : अपेक्षित सूचना जम्मू और कश्मीर सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

देश में शिशु आहार की कमी

859. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिशु आहार की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लोक प्रिय शिशु आहार बिल्कुल गायब और भूमीगत हो गये ह ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त व्यापार में व्याप्त कदाचारों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश के कुछ भागों से शिशु आहार की कमी के बारे में सूचना प्राप्त हुई है ।

(ख) से (घ) : भारत सरकार को शिशु आहार के गायब होने के बार में कोई सूचना नहीं मिली । तथापि, सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जवाहर लाल नेहरु इंस्टिचयूट आफ फिजीकल मैडिस्न, नई दिल्ली के कर्मचारियों को परेशान करना

860. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जवाहरलाल नेहरू इंस्टिट्यूट आफ फिजीकल मैडिसन, नई दिल्ली के कर्मचारियों को प्रबन्धकों द्वारा परेशान किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार ने कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) से (ग) : अपांग और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सहायता से सम्बन्ध परिषद के कुछ कर्मचारियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये है, जिनमें मनमाने ढंग से निलंबित करने, सताने तथा वेतन की अदायगी देर से करने, इत्यादि की शिकायतें की गई हैं। दूसरी ओर परिषद का कहना है कि स्टाफ के कुछ सदस्य तोड़फोड़ की कार्यवाइयों में लगे हुए है। समाज कल्याण विभाग के कहने से परिषद के शाषी निकाय ने अगली कार्यवाही करने से पहले सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ नियमित जांच करने का निर्णय किया है।

इस परिषद को धन देने वाले विभिन्न विभागों द्वारा पिछले वर्षों में परिषद को पर्याप्त अनुदान विधिवत दिये गये थे और जैसे ही परिषद कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करके उसे शेष अनुदान भी दे दिये जायेंगे। परिषद के साथ परामर्श से सरकार द्वारा एक लेखा अधिकारी की नियुक्ति भी की जा रही है जो परिषद और उसके एककों के धन का हिसाब किताब रखेगा।

राजस्थान के पेय जज बोर्ड की सिफारिशें

861. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राजस्थान में दुन्गरपुर और बांसबाड़ी की ग्रामीण जनता के पास गिनी-कीड़े वाले जल को पीने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है ;

(ख) क्या पेय जल बोर्ड ने 1963 में उक्त अभिशाप के शीघ्र उन्मूलन के लिये केन्द्रीय सरकार पर जोर डाला था;

(ग) यदि हां, तो बोर्ड की सिफारिशों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की थी और इस मामले में यदि कोई असफलता हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उक्त मानवीय समस्या को हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार कोई 'द्रुतगामी कार्यक्रम तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना की राजस्थान सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है। प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

भारत में मछली उद्योग को सहयोग देने के लिए इच्छुक देश

862. **श्री विजय पाल सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों में तथा उन देशों में स्थित फर्मों के नाम क्या हैं जो भारत में मछली उद्योग के साथ सहयोग देने के इच्छुक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : विवरण एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण देने में प्रगति

863. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों में प्रतिद्विंदता के कारण अनेक क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों को ऋण देने के प्रस्ताव के मामले में अधिक प्रगति नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस कार्य को प्रभावी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) (क) और (ख) : सहकारी सोसायटियों और वाणिज्यिक बैंकों दोनों की ऋण पद्धतियों और नीतियों की लगातार पुनरीक्षा की जा रही है ताकि कृषक समुदाय के कमजोर वर्गों को अधिक सुविधापूर्वक ऋण प्राप्त करने में सहायता दी जा सके । वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका सहकारी ऋण ढांचे के संसाधनों की पूरक है । अनेक राज्यों में वाणिज्यिक बैंक प्राथमिक सहकारी सोसायटियों के माध्यम से किसानों को वित्त सुलभ कर रहे हैं । समन्वय समितियों द्वारा दोनों अभिकरणों, अर्थात् सहकारी सोसायटियों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच समन्वय जिला तथा राज्य दोनों स्तरों पर किया जाता है । इनमें वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी सोसायटियों दोनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं । राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा समन्वय भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बुलाई गई बैठकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है । सहकारी ऋण के मामले में उदार अंश-पूंजी अपेक्षाओं, बंधक प्रत्याभूति के लिये आग्रह किये बिना ऋण, कम मार्जिन और दीर्घकालीन वापसी अदायगी की अवधि, कमजोर वर्गों के लिये ऋण-प्रभाव की लगातार समीक्षा जैसी विशेष रियायतों और लघु कृषक विकास अभिकरणों जैसे उन अभिकरणों जो सहकारी सोसायटियों और वाणिज्यिक बैंकों दोनों की सेवाओं का लाभ उठाते हैं, की गतिविधियों को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे कि लघु तथा सीमान्त कृषकों को पर्याप्त ऋण सुलभ किया जा सके । इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ऐसे ऋणों के प्रवाह में वृद्धि हो रही है । इस प्रकार 5 एकड़ तक की जोत वाले लघु कृषकों, कास्तकारों और कृषि श्रमिकों को प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों द्वारा दिये गए ऋण 1969–70 के 131.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 1971–72 में 181.00 करोड़ रुपये हो गये हैं । 5 एकड़ तक की जोत वाले किसानों पर स्टेट बैंक ग्रुप तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त ऋण (बकाया) दिसम्बर, 1970 के अन्त में 40.55 करोड़ रुपये थे, जो दिसम्बर, 1971 के अन्त में बढ़कर 46.72 करोड़ रुपये हो गये हैं ।

Construction of Bus Stands in the Capital

864. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Delhi Development authority had taken a decision in 1969 to construct a single bus stand in place of the bus stands at the various places of the capital ;

(b) whether the estimated cost of the inter-State bus stand was Rs. 94·70 lakhs;

(c) whether the construction work of the bus stand has not yet been completed even after incurring an expenditure of Rs. 3 crores thereon; and

(d) whether Government would order a high level enquiry of the matter to find out the reasons for non-completion of construction work of the bus stand even after incurring an additional expenditure ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The departure block and shops complex have been completed. The expenditure incurred up-to the end of May, 1974 is Rs. 178 lakhs.

(d) No, Sir.

तकनीकी शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिषद् की बैठक

865. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पुरुषोतम काकोडकर :
श्री रघुन्नदन लाल भाटिया :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिषद् की बैठक मई, 1974 में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई तथा इसमें क्या क्या निर्णय लिये गये ;

(ग) क्या परिषद् ने देश के औद्योगिक विकास में उच्चतर तकनीकी संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वालों का पूरा उपयोग न करने पर चिन्ता प्रकट की है; और

(घ) यदि हां, तो जनशक्ति के व्यर्थ जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8077/74]

(ग) और (घ) तकनीकी संस्थाओं में दाखिले की नीति पर विचारविमर्श करते समय परिषद् ने इस बात को नोट किया कि इस समय इंजीनियरिंग कार्मिकों के लिये उपयुक्त रोजगार की बेहद कमी है । परिषद् ने इस बात की सिफारिश की कि इंजीनियरिंग स्नातकों और डिप्लोमा-धारियों की रोजगार-प्रणाली को निर्धारित करने के लिये तकनीकी कार्मिकों के विभिन्न वर्गों की रोजगार-आवश्यकताओं का एक विशेष अध्ययन अपने हाथ में लिया जाना चाहिये । परिषद् ने इस अध्ययन को आरम्भ करने के लिये आयोजना आयोग से अनुरोध किया ।

'मिन्हास फूड मनी प्लान' के शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

866. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री अनादि चरण दास :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 मई, 1974 के स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में 'मिन्हास फूड मनी प्लान' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार उक्त योजना पर समुचित रूप से विचार करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकार ने ऐसा समाचार देखा है । विवरण न होने के कारण इस सुझाव की जांच करना सम्भव नहीं हुआ है ।

माल को तेजी से उतारने तथा चढ़ाने के तरीके के बारे में सुझाव देने के लिये अध्ययन दल का गठन

867. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पत्तनों पर तेजी से माल उतारने तथा चढ़ाने के तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिये एक अध्ययन दल गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या शिप्परों ने पत्तन प्रभारों को युक्तियुक्त बनाने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) पत्तन प्रभारों के युक्तियुक्त बनाने के लिये पोत बणिकों से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु कुछ वस्तुओं पर पत्तन प्रभारों की ऊंची दरों के विरुद्ध पहले पोतबणिकों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े पत्तनों पर धरा उठाई की सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है और कई महत्वपूर्ण योजनाओं का या तो कार्यान्वयन किया जा चुका है या किया जा रहा है ।

पूंजी व्यय के भाग को पूरा करने और पूंजी निवेश पर उचित आय प्राप्त करने के लिये पत्तन प्राधिकारियों को साधन जुटाना है । इसलिये पत्तन प्राधिकारियों के लिये पत्तन प्रभारों में कमी करने पर विचार करना संभव नहीं है ।

पांचवीं योजना में शिपयार्डों के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

868. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में प्रस्तावित शिपयार्डों के बारे में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये सरकार ने चार सलाहकार नियुक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये गुजरात का कोई स्थान विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) : पांचवीं योजना के दौरान देश में शिपयार्डों की स्थापना के लिये अधिकारियों के कार्य दल द्वारा उपयुक्त पाये गये स्थानों की प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिये कुछ विदेशी सलाहकारों के साथ बातचीत की गई है । स्थानों के बारे में अंतिम निर्णय प्रारम्भिक परियोजना तैयार और प्राप्त हो जाने पर ही किया जायेगा ।

Recovery of Gold Coins and Historical Articlea in Veerdi River

869. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) wheather gold coins and other historical articles in large quantity were recovered during desilting operation in the Veerdi River, 30 Kms. away from Akola; and

(b) if so, the varieties of gold coins recovered therefrom ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes, Sir.

(b) 3,262 gold coins, one gold-plated bracelet of iron and one gold ear-ring in pieces along with 3 silver and 2 copper coins are at present kept by the Director of Archaeology, Government of Maharashtra, in the safety vault of the Reserve Bank of India, Bombay. The report on the finds is attached.

Statement

1. The coins were found at a depth of 1·25 m. from the bed of the Veerdi River at a place about 4 km. from Patur (Sheikh Babu). The details of the finds are as follows :

(1) Gold coins, 3,262, weighing 36 Kgs.

(2) Silver coins—3.

(3) Copper coins—2.

(4) Gold ear-ring (in pieces), weighing 7 grams.

(5) Gold plated bracelet of iron weighing 28 grams.

2. Of the gold coins, 3,252 are of Shahjahan and the remaining 10 of different kings. Of the Shahjahani coins ten are half mohars each weighing 5·400 grams and the rest are full mohars, each weighing 10·80 grams. These coins are of two types, viz., those issued in the first regnal year, 1628-29 A.D. (250 coins) dated in Hijri era and rest belonging to the second regnal year and dated in Ilahi era (Azar-Mah). All these coins are in mint-fresh condition.

3. The ten coins belonging to different kings were as follows:

(a) Coins of Alaud-Din Khalji—4

(b) Coin of Muhammad Bin Tughluq—1

(c) Coin of Ghiyasudbin Khalji of Malwa—1

(d) Coin of Muhammad Shah Sayyid—1

(e) Coins of Bahmani Kings—2 (one was of Humayun Shah and the other of Muhammad Shah III)

(f) Coin of Jahangir—1 (Barhanpur Mint).

4. The coins are not of common types and the gold coins are particularly rare.

Rice and Sugar supplied to Himachal Pradesh during 1972-73 and 1973-74

870. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of rice and sugar supplied to the Himachal Pradesh Government by the Central Government during the financial years 1972-73 and 1973-74 :

(b) the quantity of rice and sugar demanded by the State Government from the Central Government during the said period; and

(c) the reasons for not supplying the full quota ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The quantity of rice and levy sugar supplied/allotted to Himachal) Pradesh during the financial years 1972-73 and 1973-74 is indicated below :—

(Quantity in thousand tonnes)

Year	Rice Quantity supplied	Levy sugar Quantity allotted
1972-73	1·400	17·854
1973-74	3·200	18·495

(b) & (c) Himachal Pradesh is within the Northern Rice Zone comprising the surplus States of the Punjab and Haryana and as such there is free flow of levy free rice from these surplus States into Himachal Pradesh. No regular monthly demands were received from the State Government. However, the total quantities of rice asked for during 1972-73 and 1973-74 were 8·0 and 37·0 thousand tonnes respectively. Supplies from the Central Pool are made keeping in view the overall availability of foodgrains in the Central Pool, needs of other States, local availability and other relevant factors

As regards sugar, monthly levy quota of sugar to each State/Union Territory is fixed on a rational basis after taking into account the population factor, consumption pattern during the years 1967-68 and 1968-69 as well as the availability of levy sugar for allotment to States. No request for increasing the monthly quota of sugar was received from the State Government.

Rice and Sugar supplied to U.P., Madhya Pradesh and Bihar during 1972-73 and 1973-74

871. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of rice and sugar supplied to the Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar by the Central Government during the financial years 1972-73 and 1973-74;

(b) the quantity of rice and sugar demanded by the State Governments from the Central Government during the said period; and

(c) the reasons for not supplying the full quota ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) : The quantity of rice and levy sugar supplied allotted to Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar by the Central Government during the financial years 1972-73 and 1973-74 is indicated below :—

(Quantity in thousand tonnes)

	Supplies/allotments during 1972-73		Supplies/allotments during 1973-74	
	Rice	Sugar	Rice	Sugar
Uttar Pradesh	1·700 (on replacement basis)	297·533	Nil	308·298
Madhya Pradesh	74·800	142·811	5·200	147·975
Bihar ..	8·300	178·522	Nil	184·991

(b) & (c) : Normally Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are surplus and Bihar marginally surplus in rice. Owing to draught during 1972-73 these States, however, asked for certain quantities of rice from the Central Pool. The demands received from these States are given below :

(Figures in thousand tonnes)

	1972-73	1973-74
Uttar Pradesh	25·0	Nil
Madhya Pradesh	80·0	10·0
Bihar	124·0	10·0

Supplies of rice from the Central Pool to various States are made keeping in view the overall availability in the Central Pool, relative needs of the States and local availability and other relevant factors.

As regards sugar, monthly levy sugar quota of each State/Union Territory is fixed on a rational basis after taking into account the population factor, consumption pattern during the years 1967-68 and 1968-69, as well as the quantity of levy sugar available for allotment. In the case of U.P. the following additional ad-hoc allotments of sugar were also made :—

(Figures in thousand tonnes)

Month	Quantity
May, 1973 ..	5·00
June, 1973 ..	5·00
January, 1974	4·00
February, 1974	6·00
March, 1974	4·00

No request was received from Madhya Pradesh and Bihar Governments for any increase in their regular monthly quota. U.P. Government, however, made requests in July, 1973 for increasing the regular monthly quota to 50·00 thousand tonnes and in February, 1974 for increasing it to 32·0 thousand tonnes.

तूतीकोरिन पत्तत परियोजना का निर्माण

873. **श्री डी० डी० जवेजा :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन पत्तन परियोजना के निर्माण सम्बन्धी मुख्य सिविल कार्य मूल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं और धीमी गति के कारण इस पर कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च हुई ; और

(ग) पत्तन कब तक चालू हो जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) और (ख) तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना में रुकावट आई क्योंकि बड़े कार्यों के ठेकेदार को ठेके के निष्पादन में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । इनका समाधान कर दिया गया है और मार्च, 1974 तक परियोजना को पूरा करने के मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार प्रगति बनाये रखने के लिये अब ठेकेदार कार्य कर रहा है । जब परियोजना के संशोधित अनुमानों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तब तक अतिरिक्त लागत का पता लग जायेगा ।

(ग) पत्तन 12 जुलाई, 1974 से बड़ा पत्तन घोषित किया गया । एक घाट के अक्तूबर, 1974 तक और शेष तीन घाटों के 1975 के मध्य तक चालू होने की संभावना है । परन्तु नेपथा और ईंधन तेल धरा उठाई की अस्थायी सुविधाओं की व्यवस्था पूरी हो गई है और नेपथा ले जाने वाले पहले जहाज ने 16 जुलाई को पत्तन में आया ।

दूध के उत्पादन के लिये गुजरात में गहन ढौर विकास कार्यक्रम

874. **श्री डी० पी० जवेजा :**
श्री बंकारिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने दूध का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अहमदाबाद, साबरकंठा, राजकोट, कैरा, मेहसाना, सूरत, बड़ौदा और बढ़ौच जिलों में गहन ढौर विकास कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ किये गये कार्यक्रम के बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1971–72, 1972–73 और 1973–74 में उक्त योजना पर कितनी धन राशि खच हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां ।

(ख) विकास कार्यक्रम में नियंत्रित प्रजनन, पर्याप्त आहार कारगर रोग नियंत्रण आहार एवं चारा विकास, दूध के विपणन की उचित व्यवस्था और नियोजित एवं समन्वित ढंग के ग्रामीण डेरी विस्तार क्रिया-कलाप शामिल है ।

गुजरात राज्य में सघन पशु विकास परियोजनाओं के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 3 वीर्य बैंक 2 क्षेत्रीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और 486 स्टाकमेन केन्द्र स्थापित किये गये हैं । गुजरात राज्य की सघन पशु विकास परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 4.76 लाख प्रजनन योग्य पशु आते है, जिनमें से 1.47 लाख पशु कृत्रिम गर्भाधान तथा 0.65 लाख पशु प्राकृतिक गर्भाधान सेवाओं के अंतर्गत आते हैं । इसके अतिरिक्त उपयुक्त योजना के अंतर्गत सामान्य छूत के रोगों से बचाव के लिये 8.83 लाख रोग-रोधक टीके लगाये गये और 12,581 निकम्में सांडों को वधिया किया गया । अधिक उत्पादनशील और अधिक पोषक चारे को उगाने के सम्बन्ध में कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिये उनके खेतों में चारे के 6,523 प्रदर्शन किये गये और पशुओं के मालिकों को 42,99.55 क्विन्टल बीज वितरित किये गये । दूध के उचित विपणन को सुनिश्चित करने के लिये 1,037 सहकारी समितियां बनाई गई और ये सब समितियां उचित ढंग से कार्य कर रही हैं ।

(ग) 1971–72 से 1973–74 तक के वर्षों की अवधि में इस योजना पर निम्न-लिखित व्यय हुआ है :—

1971–72	38.97 लाख रुपये
1972–73	48.63 लाख रुपये
1973–74	56.27 लाख रुपये

गुजरात में दुर्लभ किस्म के वृक्षों का लगाया जाना

875. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा सुलभ किस्म के वृक्षों के स्थान पर दुर्लभ किस्म के वृक्षों को लगाया जा रहा है, ताकि वनों के आर्थिक मूल्यों को बढ़ाया जा सके ।

(ख) यदि हां, तो 1972–73 और 1973–74 के दौरान किस-किस किस्म के तथा कितने वृक्ष लगाये गये ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

क्रिकेट और हाकी के खेल के स्तर को सुधारने का प्रस्ताव

876. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के टैस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम ने लन्दन में बहुत ही खराब खेल का प्रदर्शन किया :

(ख) क्या भारत क्रिकेट और हाकी के खेल में पिछड़ गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय क्रिकेट और हाकी के खेल के स्तर को सुधारने के लिये योजना बनाने का है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि 1974 के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का खेल भारत-इंगलैण्ड टैस्ट श्रृंखला में बहुत ही घटिया किस्म का रहा, परन्तु इससे पूर्व 1970—73 के दौरान टीम को इंगलैंड के विरुद्ध लगातार दो टैस्ट श्रृंखलाओं तथा वेस्ट इंडीज के विरुद्ध एक टेस्ट श्रृंखला जीतने की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । भारतीय हाकी टीम ने वर्ड कप हाकी टूर्नामैन्ट 1973 में अपनी स्थिति को सुधारा और वे रनर्स-अप रहे, जबकि 1972 के पिछले ओलम्पिक खेल में उसका स्थान तीसरा था ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार क्रिकेट और हाकी सहित देश में खेलों के स्तरों में सुधार करने के लिये समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रही है ।

राष्ट्रीय वार्षिक प्रतियोगिताएं : सीनियरों और जूनियरों के लिये प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने तथा विदेश में चुनी हुई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में भाग लेने : और विभिन्न राष्ट्रीय खेलों से संबद्ध सहायक सचिवों को वेतन की अदायगी करने के लिये राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता दी जाती है ।

राज्य खेल परिषदों से अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, स्टेडियम के निर्माण, खेल उपस्कर खरीदने, ग्रामीण खेल केन्द्रों आदि की स्थापना के लिये उन्हें धन उपलब्ध किया जाता है ।

स्कूल तथा कालेज के छात्रों के लिये खेल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना शुरु की गई है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शारीरिक सुविधाओं के निर्माण—सुधार तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिये धन की व्यवस्था करके विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों को प्रोत्साहित करता रहा है।

ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं को खेड़ जिला और राज्य स्तरों पर आयोजित करने तथा नेताजी सुभाष खेल संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये राज्य खेल परिषदों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। कुछ विशिष्ट खेलों, अर्थात जलक्रीड़ा व्यवसाय पर निर्भर रहने वाले अभिभावकों के बच्चों के लिये तैरना जन जाति के युवकों के लिये धनुर्विद्या: ग्रामीण और जन जाति के युवकों के लिये लम्बी दौड़ में ग्रामीण और जन जाति खिलाड़ियों के लिये विशेष प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिससे खेलों के लिये वृद्भूमिका बनाई जा सके और इसे फिर चालू वर्ष के दौरान लगातार आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, 'नट' जन जाति के बच्चों के लिये व्यायाम में एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार है, अपनी जीविका कला बाजी के कामों से कमाते हैं। ये सभी खेल सरकार की वित्तीय सहायता से आयोजित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अतर्गत, प्रशिक्षित खेल शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनकी सहायता करने के लिये उनकी सेवायें राज्य खेल परिषदों की इच्छा पर छोड़ी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने और अधिक विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिये प्रतिभाशाली युवकों की खोज करने हेतु विभिन्न जिलों में स्थापित विभिन्न नेहरू युवक केन्द्रों में प्रशिक्षित खेल शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है।

हाकि के खेल को प्रोत्साहित करने के लिये वर्ष 1974–75 के दौरान जूनियरों के लिये सरकार की पूरी वित्तीय सहायता के साथ दो नई प्रतियोगिताओं को शुरु करने का विचार है। पहली प्रतियोगिता 16 वर्ष की आयु से कम के ग्रामीण युवकों के लिए और दूसरी प्रतियोगिता भारत में आयोजित होने वाली एशियन स्कूल ब्याज इनविटेशन हाकी टूर्नामेन्ट के लिये होगी।

'यूथ एगेन्स्ट डर्ट एण्ड डिजीज' कार्यक्रम

877. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों में "यूथ एगेन्स्ट डर्ट एण्ड डिजीज" कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त कार्यक्रम कौन-कौन से राज्य क्रियान्वित कर रहे हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय सेवा योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 1974 के दौरान "युवा बनाम गन्दगी और बिमारी

नामक एक विशेष शिविर अभियान आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें ये है :— (i) पर्यावरण स्वच्छता (ii) प्राथमिक टीका सहित प्रतिरक्षण जैसे औषध समाज कार्य (iii) पेय जल की व्यवस्था और (iv) जहां कहीं भी सम्भव हो गोबर गैस संयंत्रों का निर्माण। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों और दिल्ली संघ शासित प्रदेश में 10 से 15 दिन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और गन्दी बस्तियों में लगभग 25 से 30 छात्रों का एक-एक शिविर आयोजित करके ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इस कार्यक्रम में कुल भाग लेने वालों के लगभग 10 प्रतिशत छात्र गैर-छात्र युवा होने की सम्भावना है, जिन्हें इस अभियान में शामिल किया जा रहा है। इन ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान इस कार्यक्रम में जो राज्य भाग नहीं ले सके थे, उनके वर्ष 1974 की अन्य छुट्टियों के दौरान कार्यक्रम को आरम्भ करने की सम्भावना है।

गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिये मत्स्य नौकाओं का आयात और इनका आबंटन

878. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिये इस वर्ष में कितनी मत्स्य नौकाओं का आयात किया जायेगा और यह आयात किन-किन देशों से किया जायेगा ;

(ख) क्या ये मत्स्य नौकाएं पहले से ही आवेदकों को आंवटित कर दी गई हैं और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) किस मानदण्ड के आधार पर यह आवंटन किया गया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जून 1973 में अधिसूचित मत्स्य नौकाओं के आयात की योजना के अन्तर्गत अभी तक इस वर्ष कोई जलयान आयात नहीं किये गए हैं।

(ख) तथा (ग) : भारत सरकार ने ट्रालरों के आयात के लिये जून, 1973 में आवेदन पत्र मांगे थे। विभिन्न पार्टियों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या नीचे दी जा रही है :—

वर्ग	आवेदकों की संख्या	जलयानों की सख्या
1 सरकारी क्षेत्र के उद्योग तथा राज्य सरकारें	9	26
2 सहकारी समितियां	1	1
3 बड़े औद्योगिक घराने	7	41
4 छोटी/मध्यम दर्जे की फर्म	28	74
5 व्यक्ति	28	75
कुल	73	217

सहकारी समितियों को कोई ट्रालर आबंटित नहीं किए गए क्योंकि वे वित्तीय तथा अन्य शर्तें पूरी नहीं कर सकीं और उन्होंने अपने आवेदन पत्रों के बारे में बाद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

(ii) सरकारी क्षेत्र की निगमों तथा राज्य सरकारों के समस्त आवेदन पत्रों को स्वीकार कर लिया गया।

(iii) जहां तक छोठी फर्मों का संबंध है, इस उद्योग के पूंजी प्रधान होने को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक-एक ट्रालर का आबंटन किया गया बशर्ते कि अन्य शर्त पूरी कर दी जायें। मछली पकड़ने के उद्योग में अनुभव प्राप्त फर्मों को प्राथमिकता दी गई।

(iv) प्रत्येक व्यक्ति को एक एक ट्रालर आबंटित किया गया उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई है जिन्होंने मछली पकड़ने के उद्योग में अनुभव प्राप्त किया हुआ है।

(v) उन बड़े औद्योगिक घरानों को दो दो ट्रालर आबंटित किए गये किन्तु शर्त यह थी कि उन्हें एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत प्राप्त करनी होगी और तटीय अधिष्ठापन के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना होगा और वे वैसे भी आबंटन के लिये पात्र होने चाहियें।

(vi) उन पार्टियों के संबंध में जिन्हें वर्ष 1968 में शुरू की गई 30 जलयानों की योजना के अंतर्गत जलयान आयात करने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है, केवल उन्हीं आवेदकों के मामलों पर विचार किया गया जिनमें पार्टियों ने देशी जलयानों का प्रयोग शुरू करने की शर्त को पूरा करने के लिये प्रभावी कदम उठाये थे।

नियतभागियों की एक सूची संलग्न है (ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 8078/74)

दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा में सुधार के लिये नई योजनाएं

879. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री विजयपाल सिंह :
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुगम सेवा (ग्रीन लाईन सर्विस) आरम्भ करने के बाद दिल्ली परिवहन निगम के कार्य में सुधार करने के लिये कुछ और नई योजनायें आरम्भ की जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : दिल्ली परिवहन निगम के समस्त मार्ग ढांचे का वैज्ञानिक ढंग के युक्तिकरण को एक

क्रमबद्ध ढंग से प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है : प्रथमतः ग्रीनलाईन सेवा (जो अब सुगम सेवा के नाम से जानी जाती है) 10 मिनट की बारम्बारता से मार्च, 1974 में शुरू की गई। इसके बाद, 22 मई 1974 को रिंग रोड पर 'मुद्रिका सेवा' शुरू की गई। इस सेवा की भी आवृत्ति 10 मिनट की है। सुगम सेवा/मुद्रिका सेवा जोड़ने के लिये कुछ मिलन सेवायें भी शुरू की गई हैं। केन्द्रीय सचिवालय, करोलबाग तथा मोरीगेट में एक एक केन्द्रीय टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि नगर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक क्रमबद्ध ढंग से इसी प्रकार कुछ मिलन सेवाये शुरू की जायें। इसके अतिरिक्त रिंग रोड पर कुछ और बड़े टर्मिनलों की व्यवस्थां की जायेगी जहां शीघ्रता से बस बदलने की सुविधा उपलब्ध हो सके। सम्पूर्ण योजना का उद्देश्य यह है कि एक या दो स्थानों पर शीघ्र ही बसें बदलने से सीधे मार्गों पर तेजी से यात्रा की जा सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों में असन्तोष

880. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों में अपनी सेवा-शर्तों के बारे में असन्तोष है और उनमे विषमता के कारण निराशा की भावना है ;

(ख) क्या काम की असन्तोषजनक शर्तों और विषमताओं के बारे में स्वर्गीय डा० विनोद शाह की तरह ही अनेक वैज्ञानिकों ने शिकायतें की हैं, और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) :

भारतीय कृषि अनुसंधान के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के संघ की ओर से कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जो अन्य बातों के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के काम करने की स्थितियों से संबंधित हैं। प्रतिवेदन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

*(1) अनुसंधान कर्मचारियों के वर्गों/श्रेणियों का युक्ति संगत निर्धारण—अनुसंधान सहायकों, वरिष्ठ अनुसंधान सहायकों और द्वितीय श्रेणी के पदों का कनिष्ठ प्रथम श्रेणी के पदों के साथ विलय।

(2) रिक्त स्थानों का ख्याल किये बिना संस्थान म कार्य कर रहे वर्तमान वैज्ञानिक कर्मचारियों की पदोन्नति।

(3) अवर प्रथम श्रेणी के रिक्त स्थानों में 50 प्रतिशत तथा द्वितीय श्रेणी तक के पदों में शतप्रतिशत पदों का आरक्षण, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मानों को स्वीकार करना और उन्हें लागू करना।

(5) वेतन मानों में संशोधन।

(6) शिकायत कक्षों, कर्मचारी परिषदों (स्टाफ कौंसिल) और संयुक्त सलाहकार समितियों की स्थापना।

(7) विषय के अनुसार कनिष्ठ अनुसंधान कर्मचारियों को काम देना।

(8) आवासीय मकानों की कमी।

(9) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अध्ययन की सुविधाओं और बाहर के संस्थानों में नाम दर्ज कराने से सम्बन्धित नियमों को और उदार बनाना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्नातकोत्तर विद्यालय में विभागीय छात्रों का नाम दर्ज करते समय उनसे वसूल किया गया शुल्क वापस करना।

(10) वरिष्ठता की सूची को जल्द से जल्द तैयार करना और कर्मचारियों को स्थायी और अर्द्धस्थायी बनाने पर जल्द से जल्द निर्णय लेना।

(ख) उपर्युक्त शिकायतों के सम्बन्ध में जो कार्यवाई की गयी है, उसकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

मदें (1) और (2) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने वैज्ञानिकों की श्रेणियों और वेतनमानों के युक्ति संगत निर्धारण और उनकी शैक्षणिक प्रगति के अवसर के प्रश्न पर परिषद् के लिए तैयार की गयी कार्मिक पद्धति की नयी नीति के प्रस्ताव के अन्तर्गत विचार किया गया है। उक्त प्रस्ताव भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को उनकी टिप्पणी के लिए भेज दिया गया है। उनकी टिप्पणी प्राप्त हो जाने के बाद, उपयुक्त अधिकारी के अनुमोदन से तत्सम्बन्धी अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की जांच समिति ने यह सिफारिश की है कि अवर प्रथम श्रेणी के 25 प्रतिशत रिक्त स्थान पदोन्नति द्वारा भरे जायें। यह आदेश पहले ही दिया जा चुका है कि 25 प्रतिशत अवर प्रथम श्रेणी के वैज्ञानिक पद नीचे के वर्गों में काम करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरने के लिये सुरक्षित रखे जायें। यह सिफारिश 31–3–74 से अवर प्रथम श्रेणी के सभी रिक्त पदों के साथ लागू होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निर्देशक से इस निर्णय को शीघ्र लागू करने के लिये अनुरोध किया गया है।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अपनाये जाने के लिये तैयार की गयी नयी कार्मिक पद्धति से सम्बन्धित पूर्वोक्त प्रस्ताव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतन-मान पर भी विचार किया गया है। कृपया ऊपर दिये गये (1) और (2) मदों से सम्बन्धित टिप्पणियों को देखें।

(5) तीसरे वेतन आयोग ने भा० कृ० अ० प० के वेतन मानों पर विचार नहीं किया था। फिर भी, भा० कृ० अ० प० के उपनियमों के अनुसार इस संगठन (सोसायटी) की सेवा में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी वे ही वेतन मान लागू होंगे, जो भारत सरकार के समान स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये निर्धारित है, केवल उन मामलों को छोड़कर, जिनमें विशेष अनुमति दी गयी हो।

भारत सरकार के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कें कर्मचारियों के वेतन मानों के संबंध में भारत सरकार का निर्णय 13–11–1973 को सूचित होने पर, भा० कृ० अ० प० के इन्हीं वर्गो के कर्मचारियों के वेतन-मान भी संशोधित कर दिये गये। इन कर्मचारियों को संशोधित वेतन-मानों के अनुसार वेतन की बकाया रकम का भुगतान भी कर दिया गया।

सामान्य वेतन श्रेणियों के वैज्ञानिक अधिकारियों एवं प्रथम वर्ग के अधिकारियों का जो 400–950 और 700–1250 के पूर्व-संशोधित वेतन मान में थे, संशोधित वेतन मान निर्धारित कर दिया गया है। जिन अधिकारियों ने नया वेतन-मान स्वीकार कर लिया है, उनको जुलाई 1974 से उसके अनुसार तनख्वाह देने की व्यवस्था की जा रही है, जिसका भुगतान अगस्त 1974 में किया जाएगा। इस संशोधन के अनुसार वेतन की जो बकाया रकम निकलेगी उसका भुगतान अगस्त 1974 में किया जायेगा। प्रथम श्रेणी के अन्य अधिकारियों के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव वित्तीय सलाहकार (वित्त मंत्रालय) के पास उनके अनुमोदन के लिये भेजा गया है। इस पर वित्तीय सलाहकार विचार कर रहे हैं।

(6) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक को निर्देश भेजे जा चुके हैं कि भा० कृ० अ० सं० के प्रत्येक प्रभाग के लिये तथा पूरे भा० कृ० अ० सं० के लिये भी शिकायत-कक्ष स्थापित किये जायें, जिससे संस्थान के अधिकारियों की व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार किया जा सके। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और इसके अधीनस्थ संस्थानों के लिये एक कर्मचारी परिषद् योजना भी तैयार की गयी है। इस योजना को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में उनके विचारार्थ भेजा गया है। उक्त विभाग की टिप्पणियां उपलब्ध हो जाने पर इस योजना को परिषद् के शासी निकाय के अनुमोदन से अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(7) कर्मचारियों को सामान्यत: विज्ञान की शाखा-विशेष में ही रखने का रिवाज है फिर भी ऐसे मामलों में, जिनमें अनुसंधान-कर्ताओं ने स्वेच्छा से किसी विशेष प्रयोजना के अन्तर्गत विज्ञान की किसी दूसरी शाखा के पद के लिये आवेदन पत्र दिये, जिनके लिये वे अपनी योग्यताओं ग ौर अनुभवों के अनुसार अधिक उपयुक्त समझते थे तथा जिन्हें अन्ततः उक्त पद के लिये चुन लिया अया था, उन्हें उसी प्रयोजना का काम करना पड़ता है, जिसके लिये उनका चुनाव हुआ था।

(8) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्टाफ के लिये क्वार्टर बनाने की एक योजना बाकायदा मंजूर कर ली गयी थी। लेकिन ऐसे निर्माण पर वर्तमान प्रतिबंध के कारण उक्त योजना पर अभी काम रोक दिया गया है।

(9) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-की शैक्षिक परिषद, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त है, शिक्षा से संबंधित कार्य करती है। पिछले सालों की भांती 1973–74 में भी भा० कृ० अ० सं० के स्नातकोत्तर विद्यालय में विभागीय उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया है। भा० कृ० अ० सं० ने अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये भी आवेदन - पत्रों को अग्रसारित किया।

नियुक्ति के संबंध में, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंण्डल ने काम करना शुरू कर दिया है। इस मंडल के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के भुतपूर्व सदस्य हैं। वर्तमान रिक्त वैज्ञानिक पदों को यथाशीघ्र भरने के उपाय किये गये हैं।

पंजाब में गेहूं की उपज में कमी

881. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पंजाब में गेहूं की उपज में 25% कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है और उपज दरों में कमी के क्या कारण है ; और

(ग) सरकार ने उपज में वृद्धि के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) पंजाब राज्य में 1973–74 के लिये 58 लाख मीटरी टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। गेहूं के उत्पादन पर फरवरी, 1974 के प्रथम पखवाड़े के दौरान असामयिक पाले, शीतकालीन वर्षा की कमी और उर्वरको बिजली तथा डीज़ल आयल की सामान्य कमी का असर पड़ा था। तथापि, इस स्थिति में सुधार लाने के लिये सिंचाई हेतु नलकूपों को चालू रखने के लिये और अधिक बिजली उपलब्ध कराने के साथ साथ उर्वरकों और उठाऊं सिंचाई के लिये डीज़ल आयल की सप्लाई तेज़ करने के लिये उपाय किये गये थे। उत्पादन के ठीक-ठीक अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज सम्बन्धी समीक्षा समिति

882. **श्री एम० कतामुतु :**

श्री एम० कतामुतु : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों सम्बन्धी समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य बातों के साथ साथ, समिति द्वारा निम्नलिखित मुख्य-मुख्य सिफारिशें की गई हैं :–

(1) शैक्षिक तथा प्रशासनिक दोनों उद्देश्यों के लिये पूर्ण अधिकारियों सहित कालेजों की एक परिषद् होनी चाहिये।

(2) प्रत्येक कालिज का स्वायत्तशासी मंडल होना चाहिये।

(3) दो स्रोतों से कालेजों की वित्तीय व्यवस्था करना पर्याप्त रुप से संतोषजनक नहीं है और कालिजों की भविष्य की सारी वित्तीय जिम्मेदारी केन्द्रीय स्रोत से पूरी की जानी चाहिये।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की 17 मई, 1974 को हुई बैठक में इन सिफारिशों पर विचार किया गया था। समिति की सिफ़ारिशों को सामान्य रूप से अनुमोदित करते हुए परिषद् ने यह सिफारिश की कि इन इंजीनियरी कालिजों के लिये सांविधिक परिषद् के स्थान पर उक्त कालेजों के नीति संबंधी मामलों पर सलाह देने तथा उनके लिये मार्गदर्शी रुप रेखाएं निर्धारित करने हेतु एक सलाहकार समिति की स्थापना की जाए।

इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

चौथी योजना के दौरान मछली उत्पादन के लक्ष्य

883. **श्री एम० कतानुतु :**
श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मछली उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुये ह : और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्द) :

(क) प्रारम्भ में चौथी योजना के दौरान मछली उत्पादन के स्तर में 4.70 लाख मीटरी टन की वृद्धि करने का प्रस्ताव था। बाद में राज्य सरकारों के परामर्श से उस लक्ष्य को 6.41 लाख मीटरी टन कर दिया गया था। यह अनुमान लगाया गया है कि यह वृद्धि केवल 5 लाख मीटरी

टन तक ही हुई है। इस से प्रतीत होता है कि मूल लक्ष्यों की तुलना की थोड़ी सी वृद्धि परन्तु संशोधित लक्ष्यों की तुलना में थोड़ी से कमी हुई है।

(ख) मछली उत्पादन में कमी, मुख्यतः यंत्रीकृत नावों और मछली पकड़ने के मध्यम श्रेणी के जलयानों (जिनका प्रयोग चौथी योजना अवधि के दौरान शुरु किया गया था) की कमी की वजह से हुई है। चौथी योजना की अवधि में 5500 यंत्रीकृत नावों और मछली पकड़ने के मध्यम श्रेणी के 300 जलयानों का प्रयोग शुरु करने के मुकाबले में केवल 5000 यंत्रीकृत नावों और मध्यम श्रेणी के 50 जलयानों का प्रयोग ही शुरु किया गया। डिम्पोना के उत्पादन और संवर्धन सुविधाओं में भी कमियां हुई हैं, जिनकी वजह से अन्तर्देशीय स्रोतों से मछली के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए फलैटों के विक्रय में "अधिक मूल्य लेने" संबंधी आरोप की जांच

884. **श्री एम० कतामुनु :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये फ्लेटों के विक्रय में "अधिक मूल्य लेने" सम्बन्धी आरोप की सरकार ने जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) तथा (ख) सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों/फ्लैटों के मूल्य निर्धारण करने तथा इनके बेचने सम्बन्धी नीति का मूल्यांकन करेगी।

Directors to States for Development of Cities and Towns

885. Shri Shrikrishan Agrawal : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has given certain directives to various States in regard to urban development, calling upon each State to follow clear-cut policies in regard to land for the development of cities and towns in the State;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the reaction of the States?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta)

(a), (b) & (c) : The Conference of the State Ministers for Housing and Urban Development held in Madras from 31st May to 2nd June, 1974, discussed the question of integrated development of metropolitan and other urban areas

where the need for passing comprehensive Town and Country Planning legislation for taking up regional planning, setting up Urban Development Authorities and adopting a rational urban land policy, was emphasised.

Disparities in Pension Promotion and other Benefits of University Teachers

886. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there are disparities in the pension, promotion and other benefits of University teachers in the country;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether a meeting of the University Grants Commission had been convened in Bangalore in the last week of May to consider the question of reducing these disparities and of introducing a uniform system in all the Universities in this regard; and

(d) if so, the result thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan)

(a) and (b): Provisions regarding appointment of teachers in Universities, their service conditions, constitution of provident and pension fund and other benefits admissible to the teachers are contained in the Acts, the Statutes and the Ordinances of the respective Universities. The exact details of these provisions are not available but these vary from State to State.

(c) and (d) : In its meeting held in June 1974, the University Grants Commission considered matters relating to conditions of service of teachers in the context of the revised salary scales of University and College Teachers recently announced by the Government. The recommendations of the Commission are under examination.

गत वर्ष अन्न उत्पादन में कमी

887. **श्री श्रीकृष्ण मोदी :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष अन्न उत्पादन में कोई कमी हुई है; और

(ख) वर्ष 1971–72, 1972–73, और 1973–74 के दौरान हमारे देश में कितने अन्न का उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) देश में अन्न उत्पादन वर्ष 1971–72 के दौरान 1052 लाख मीटरी टन से घट कर वर्ष 1972–73 में 952 लाख मीटरी टन रह गया है। वर्ष 1973–74 के लिये अन्न के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, वर्तमान संकेतों के अनुसार वर्ष 1972–73 की तुलना में वर्ष 1973–74 के दौरान अन्न का उत्पादन काफी अधिक होने की आशा है।

Foodgrains damaged and Maintenance charges incurred by F. C. I.

888. Shri R. V. Bade : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the different types of foodgrains under the care of the Food Corporation of India during the last three years, year-wise which got damaged alongwith the quantum thereof;

(b) the per quintal maintenance charges incurred on the foodgrains by the Food Corporation of India during the last three years, year-wise; and

(c) whether the need for the increase in maintenance charges of foodgrains is being felt in order to avoid the damage of foodgrains?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) : The required information is being collected from the Food Corporation of India and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

पशुपालन और डेरी उद्योग के विकास हेतु राज्यों को धनराशि का नियतन

889. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन** :
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री पी० एम० मेहता :
श्री निहार लास्कर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पशु पालन और डेरी उद्योग के विकास हेतु 522 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो सभी राज्यों को पशुपालन और डेरी उद्योग के विकास हेतु कितनी राशि का नियतन किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पशु-पालन एवं डेरी-उद्योग के विकास के लिये अंतिम रुप से 540.135 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) पांचवी योजना के दौरान पशु-पालन एवं डेरी-उद्योग के विकास के लिये विभिन्न राज्यों को 251.49 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। शेष 288.845 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रों को निम्न प्रकार आबंटित की गई है : —

	पांचवी योजना के दौरान पशु - पालन एवं डेरी-उद्योग के विकास के लिये आवंटित किये गये सार्वजनिक क्षेत्र की योजना का अनुमानित परिव्यय (करोड़ रुपयों में)
राज्य	251.49
संघ राज्य क्षेत्र	11.995
केन्द्रीय क्षेत्र	210.15
केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्र	66.50
योग	540.135

पशु-पालन एवं डेरी उद्योग के विकास के लिये विभिन्न राज्यों के पांचवी योजना के परिव्यय के अनुमानित आवंटन को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	(करोड़ रुपयों में) पशु-पालन एवं डेरी-उद्योग के विकास के लिये पांचवी योजना का अनन्तिम आवंटन
1. आन्ध्र प्रदेश	14.62
2. असम	10.59
3. बिहार	15.42
4. गुजरात	12.34
5. हरियाणा	14.20

6.	हिमाचल प्रदेश	5.90
7.	जम्मू और कश्मीर	10.18
8.	कर्नाटक	19.25
9.	केरल	10.00
10.	मध्य प्रदेश	15.00
11.	महाराष्ट्र	20.00
12.	मणिपुर	2.40
13.	मेघालय	3.55
14.	नागालैण्ड	3.00
15.	उड़ीसा	5.68
16.	पंजाब	16.97
17.	राजस्थान	13.00
18.	तमिलनाडु	18.40
19.	त्रिपुरा	2.57
20.	उत्तर प्रदेश	24.00
21.	पश्चिम बंगाल	14.42
	योग	251.49

गुजरात के लिए स्वीकृत नलकूप

890. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री वेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973–74 के दौरान गुजरात राज्य के लिये जिलेवार स्वीकृत किए गए नलकूपों की संख्या क्या है; और

(ख) वर्ष 1974–75 के दौरान कितने नलकूप स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी0 पी0 मौर्य) : (क) तथा (ख) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी।

गुजरात में मुर्गीपालन एकक

891. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री वेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में शिशुओं, स्कूल के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन वाला आहार प्रदान करने के उद्देश्य से, व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात राज्य मे मुर्गीपालन एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने एकक स्थापति किए गए हैं और गुजरात राज्य में अब तक इस कार्यक्रम पर कितना व्यय किया है;

(ग) क्या केन्द्र की ओर से कोई सहायता दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) अब तक 278 यूनिटें स्थापित की गई हैं जिन पर 11,83,300 रुपये व्यय हुये हैं

(ग) व (घ) व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम अपने मुख्य घटकों सहित जिनमें 'मुर्गीपालन' भी शामिल है, एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जो (1) केन्द्रीय सरकार (2) यूनीसफ, और (3) राज्य-योगदान की सहायता से चलाई जा रही है। चौथी योजना अवधि के अन्त तक प्रत्येक व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम खण्ड को प्रतिवर्ष 34,000 रुपये की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में सुलभ की जा रही थी।

तथापि, गुजरात राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने ये मुर्गीपालन यूनिटें बिना केन्द्रीय से वित्तीय सहायता के स्थापित की हैं।

रोगों से खाद्यान्न की क्षति

892. श्री महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान अब तक रोगों से कितने मूल्य के खाद्यान्न की हानि हुई ;

(ख) क्या पेस्ट कन्ट्रोल नामक एक प्राइवेट फर्म ने, रोग नियंत्रण उपायों द्वारा अन्न को बचाने के लिये सरकार को कोई विस्तृत पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कीटों की वजह से खाद्यान्नों को होने वाली हानि के संबंध में कोई निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस बारे में कोई क्रमबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है। कटाई के पश्चात होने वाली हानि का अनुमान लगाने के लिये, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में कटाई के पश्चात 9.33% हानि होने का अनुमान लगाया है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

हानि होने का स्थान	**प्रतिशत**
खलिहान	1.68
परिवहन	0.15
परिसंस्करण	0.92
भण्डारण	
कर्तक जन्तु	2.50
पक्षी	0.85
कीट	2.55
नमी	0.68
	9.33

(ख) और (ग) : सरकार को कीट नियंत्रण के बारे में ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि 1969 में मसर्स पैस्ट कन्ट्रोल नाम फर्म ने अखिल भारतीय स्तर पर कर्तक जन्तुओं के नियंत्रण के लिये एक योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना पर पांच वर्ष की अवधि में 240 करोड़ रुपये की रकम व्यय होनी थी। सरकार का विचार था कि एसी खर्चीली योजना प्रारम्भ करने से पहले एक मार्गदर्शी अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस बीच, सरकार ने, व्यापक रूप से कर्तक जन्तु नियंत्रण करन की समस्या पर विचार करने और इस संबंध में किये जाने वाले अपेक्षित विभिन्न उपायों की सिफारिश करने के लिय एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय कर्तक नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना की है। यह बोर्ड मैसर्स पैस्ट कन्ट्रोल इण्डिया प्राइवेट लिमिटड से प्राप्त योजना पर भी विचार करेगा।

भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन की नई दिल्ली में हुई बैठक

893. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** :

क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन की नई दिल्ली में एक बैठक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में तेहरान में होने वाले एशियाई खेलों के बारे में क्या-क्या मुख्य निर्णय लिये गए ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय औलम्पिक संघ की महा-परिषद् की बैठक का आयोजन 26 मई, 1974 को किया गया था।

(ख) भारतीय औलम्पिक संघ से उक्त बैठक में लिय गए मुख्य निर्णयों से सम्बन्धित सूचना मंगाई गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च तकनीकी शिक्षा

894. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए कालजों तथा संस्थाओं की कमी हैं; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की अधिक संस्थाएं स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं। देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थान व्यापक रूप से फैले हुये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की काफी संस्थानों में तो दाखिले की मांग उपलब्ध सुविधाओं से कम रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न खेल कूद संघो के कार्य

895. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष संसद में मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान सरकार द्वारा किए गए वायदे के अनुसार, देश के विभिन्न खेलकूद संघों के कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गए और इसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इन संघों के कार्यों को प्रभावशाली ढंग से चलाने हेतु अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) और (ख) : जैसा कि 29 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8620 के उत्तर में उल्लिखित है सरकार ने राष्ट्रीय खेलकूद संगठनों/संघों को सरकारी सहायता के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शी रुपरेखाएं सूचित की हैं और इस प्रयोजन के लिए उनको 15 सितम्बर, 1974 तक का समय दिया है। निर्धारित तारीख के बाद मार्गदर्शी रूपरेखाओं के परिणाम का मूल्यांकन किया जाएगा।

(ग) खेलकूद संगठन/संघ निजी पंजीकृत सोसायटियां हैं और सरकार का इनके स्वायत्त कार्य में हस्ताक्षेप करने का कोई अभिप्राय नहीं है। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् भारत सरकार को देश में खेलकूदों के प्रवर्धन से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देनी है। सरकार उक्त "मार्गदर्शी रूपरेखाओं" के कार्यान्वियन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर परिषद् से परामर्श करेगी।

गत तीन वर्षों के दौरान केरल को सप्लाई किया गया गेहूं तथा चावल

896. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या कृषि मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति मास केरल को गेहूं तथा चावल की कितनी मात्रा सप्लाई की गयी; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान केरल की आवश्यकता कितनी थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध-1)। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8079/74)

(ख) चावल और गेहूं तथा अन्य अनाजों की आवश्यकता, चावल तथा गेहूं और अन्य प्रतिस्थापित अनाजों तथा खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय के स्तर, जन-संख्या की वृद्धि और शहरीकरण आदि की रफतार आदि पर निर्भर करते हुए काफी हद तक लचीली होती है।

1969-70 से 1972 के मध्य तक खाद्यस्थिति में सुधार होने से राज्य सरकार न्यूनाधिक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार केन्द्रीय स्टाक से खाद्यान्न लिया करती थी; केन्द्रीय सरकार की राज्य सरकार से मांग के औपचारिक विवरण भेजने के लिए जोर नहीं डालती थी। 1972 के अन्त के बाद ही राज्य सरकार ने सरकार ने केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्न लेने के लिए अधिकांशतः गेहूं के बारे में मांग नियमित रूप से भेजने लगी। वर्ष 1973 के लिए केरल सरकार से प्राप्त मांग अनुबन्ध-2 में दी गई है।

Cash Payment on the Spot to Farmers

897. **Shri R. R. Sharma :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his Ministry have received complaints to the effect that Government employees do not make cash payments on the spot while purchasing wheat from the farmers and they have to run about for payment for weeks together; and

(b) if so, the efforts made by the Government to make on the spot payments to the farmers?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde)

(a) : No, Sir.

(b) : Does not arise.

Expenditure on Renovation of Bungalows for Judges of Supreme Court

898. Shri R. R. Sharma : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision recently to renovate the bungalows of judges of the Supreme Court provide new furniture therein and make them more comfortable;

(b) if so, the expenditure to be incurred thereon; and

(c) the reasons that necessitated the aforesaid action?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) No, Sir. There is a ban on the purchase of new furniture, However, the monetary ceilings on the cost of furniture/furnishings and electrical appliances has been raised from Rs. 30,000 to Rs. 38,500 in the case of Chief Justice, and from Rs. 20,000 to Rs. 30,000 in the case of Judges of the Supreme Court, due to cost of furniture/furnishings and electrical appliances having increased considerably since the ceiling was last fixed in December, 1966.

(b) & (c) : Does not arise.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला गेहूं का मूल्य

899. **श्री मधु लिमये :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों द्वारा सरकार को गेहूं बेचे जाने पर उन्हें 125 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मूल्य देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या किसानों को बता दिया गया है कि यदि वे बेचने से इन्कार करें तो उनके जब्त किये गये स्टाक को 105 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्राप्त कर लिया जायेगा ; और

(ग) क्या इस नीति को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत किया है अथवा इसका समर्थन किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) व्यापारी लेवी की योजना के अधीन गेहूं की अधिप्राप्ति में कमी को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य जिन्स व्यापार निगम के माध्यम से 125 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर उत्पादकों से सीधे खरीदारी करने का भी आश्रय लिया है । यदि काश्तकारों द्वारा अपेक्षित मात्रा में गेहूं नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार का मध्यप्रदेश गेहूं स्टाक अधिग्रहण आदेश, 1973 के आधीन 105 रुपये प्रति क्विंटल पर स्टाक अधिग्रहण करने का इरादा है ।

नई गेहूं की नीति के समूचे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कुछ फेर बदल किया जा सकता है ।

विभिन्न राज्यों में 15 अप्रैल तथा 15 जून, 1974 को गेहूं के खुले बाजार में भाव

900. **श्री मधु लिमये :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 15 अप्रैल तथा 15 जून, 1974 को गेहूं के खुले बाजार में विक्रय मूल्य क्या थे ; और

(ख) विक्रय मूल्यों में भारी विषमता के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) मूल्य में उतार-चढ़ाव कई तथ्यों के कारण हैं जिनमें निम्नलिखित तथ्य शामिल हैं :-

(1) अधिशेष राज्यों में भारी मात्रा में स्टाक निकलना ।

(2) अधिशेष राज्यों से अनियमित सप्लाई अथवा परिवहन संबंधी अड़चनों के कारण कमी वाले राज्यों में उपलब्धता पर प्रभाव पड़ना ।

(3) अपेक्षाकृत अधिक मूल्य आदि की आशा में सभी स्तरों पर स्टाक को रोक लेना ।

विवरण

प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं के थोक मल्य का स्तर

(रु० प्रति क्विंटल)

निम्न तारीख को मूल्य

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	किस्म	15 अप्रैल, 1974 (अथवा आसपास)	15 जून, 1974 (अथवा आसपास)
बिहार (खगरिया)	मेक्सिकन	200	185
	परम्परागत	205	188
गुजरात	परम्परागत	165–175	155–190
	मेक्सिकन	107–109	116–120
हरियाणा	परम्परागत	115–126	124–136
कर्नाटक (बंगलौर)	परम्परागत	250	240
मध्य प्रदेश	मेक्सिकन	130–150	148–185
	परम्परागत	135–155	155–190
महाराष्ट्र (नागपुर)	परम्परागत	165	175
पंजाब	मेक्सिकन	90–131	108–115
राजस्थान (श्री गंगानगर)	परम्परागत	120	130
उत्तर प्रदेश	मेक्सिकन	122–155	119–145
	परम्परागत	130–159	118–150
दिल्ली	मेक्सिकन	उ० न०	150

उ० न०=उपलब्ध नहीं

10+2 वर्षीय स्कूल अवधि के लागू करने पर फालतू हो जाने वाले अध्यापक

901. **श्री इसहाक सम्मली : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) वर्ष 1975 से दिल्ली में 10+2 वर्षीय स्कूल अवधि के लागू करने पर कितने अध्यापक फालतू हो जाएंगे ; और

(ख) उन्हें कहां तथा कैसे खपाया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) और (ख) दिल्ली में 10+2 वर्षीय स्कूली शिक्षा को लागू करने के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। तथापि, सरकार ने, शिक्षा पद्धति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विद्यमान सभी अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय किया है। परिणामस्वरूप कोई भी अध्यापक फालतू नहीं होगा।

वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों के बीच ग्रेड दो में विषमता

902. **श्री इसहाक सम्मली : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने दिल्ली स्कूलों के ग्रेड दो प्राप्त अध्यापकों के वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि दर में कमी की है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) ग्रेड दो के अध्यापकों की संयुक्त परिषद् से प्राप्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) : (क) प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों तथा उसी ग्रेड में कार्य कर रहे अन्य अध्यापकों के मामले में तृतीय वेतन आयोग ने वेतन-वृद्धि (इंक्रीमेंट) की दरों को कम करने और शुरू म वेतन को मामूली सा कम करने की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) : मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

खाद्यान्न की जमाखोरी रोकने के बारे में राज्यों को निदेश

903. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्यान्न की जमाखोरी रोकने संबंधी चलाया गया अभियान सफल रहा।

(ख) क्या ऐसा केन्द्रीय सरकार के कहे जाने पर किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार के निदेश सभी राज्यों को जारी किए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए चालू अभियान के दौरान 26-7-1974 तक 41672 मीटरी टन गेहूं का जमा स्टाक निकलवाया गया था।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने सदैव राज्य सरकारों से विभिन्न खाद्यनियंत्रण आदेशों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्य सरकारों ने भी जमाखोरों और चौर बाजारी करने वाले से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए अपने प्रवर्त्तन तन्त्र सशक्त कर लिए हैं।

उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलों द्वारा गन्ने के मूल्यों में कटोती को बहाल करना

904. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की 32 चीनी मिलें, जिन्होंने 1973-74 के पिराई मौसम के अन्त में गन्ने के मूल्यों में 2 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती लागू की थी, इसके लागू होने की तिथि से, भूतलक्षी प्रभात से इस कटौती को बहाल करने को सहमत हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जिन 32 मिलों ने अप्रैल, 1974 के पहले सप्ताह में गन्ने के मूल्य में 2 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती लागू की थी उनमें से 23 चीनी मिलों ने इसके लागू होने की तिथि से ही कटौती को बहाल कर दिया था। 7 मिलों ने 10 अप्रैल से और शेष 2 मिलों ने 21 अप्रैल से उसे बहाल कर दिया था।

विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति लागू करना:

905. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी भारतीय विश्वविद्यालयों और कालेजों में विभागाध्यक्षों सहित अध्यापकों को 60 वर्ष की आयु पर अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस निर्णय के प्रति अध्यापक संगठनों ने विरोध प्रकट किया है ; और यदि हां, तो सरकार को इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जून, 1974 में हुई अपनी बैठक में, सरकार द्वारा हाल ही में घोषित विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के परिशोधित वेतन-मानों के सन्दर्भ में सेवा-निवृत्ति की आयु सहित अध्यापकों की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों पर विचार किया था। आयोग की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

1974-75 के दौरान कृषि पर परिव्यय में कटौती

906. श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कृषि पर वार्षिक योजना (1974-75) परिव्यय को 310.72 करोड़ रुपये से घटा कर 260.11 करोड़ रुपये कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि 310.72 करोड़ रुपये मूल परिव्यय को अन्तिम रूप केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के विभिन्न विभागों की बैठक में दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो परिव्यय में इस कटौती के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) यह सत्य है कि वर्ष 1974-75 के लिए कृषि मंत्रालय के विभिन्न विभागों की केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये शुरू में लगभग 310 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। यह केवल अनुमानित राशि थी और बाद में इस राशि को कम करके 265.76 करोड़ रुपये कर दिया गया। अन्तिम धन राशि का निपटारा तब किया गया जबकि सब मंत्रालयों की केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अनुमानित परिव्यय पर विचार-विमर्श किया जा चुका था और योजना आयोग के पास पूर्ण जानकारी मौजूद थी। केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतिम परिव्यय के निर्णय करने में समग्र संसाधनों की उपलब्धि की स्थिति को भी ध्यान में रखा गया था।

265.76 करोड़ रुपय की उपर्युक्त धन राशि, राज्यों की योजनाओं के लिये प्रदान की गई 359.96 करोड़ रुपये और संघ राज्य क्षेत्रों के लिये प्रदान की गई 11.55 करोड़ रुपये की राशि के अलावा है ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला क्वीलोन (केरल) में संस्थाओं को अनुदान

907. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के क्वीलोन जिले की किन-किन संस्थाओं ने 1973-74 के वित्तीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग से अनुदान की मांग की और उनमें से प्रत्येक संस्था को अनुदान की कितनी धनराशि दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) समाज कल्याण विभाग द्वारा सीधे कोई अनुदान नहीं दिए गए थे। तो भी क्वीलोन जिले में 1973-74 के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने निम्नलिखित संस्थाओं को अनुदान दिए थे :

		रुपये
1.	वेलियाम पंचायथी वनिथा समाजम्, ओडानावत्तम, डाक्खाना कोट्टारक्कारा, क्वीलोन जिला, केरल	2,610
2.	इन्द्रा वनिधा समाजम, नारंगान म वाय पाथानामित्ता	2,090
3.	देश से विनिथा समाजम, एलेनथूर वाय पाथनेम थित्ता	2,860
4.	कस्तूर्बा वनिथा समाजम, पेरुमोन, पेरीनाद	2,630
5.	गांधी स्मारक, ग्रामसेवा केन्द्रम्, साऊथ थुवायूर अडूर	2,880
6.	क्वीलोन लेडीस क्लब, क्वीलोन	2,880
7.	कस्तूर्बा स्मारक महिला समाजम्, नेदुंगोलाम	2,900
8.	पेरीनाद पंचायत विजयश्री वनिथा समाजम, थेमक्काद, पेरीनाद	2,630
9.	एज़हुकोन पंचायत ग्रामोधराना महिला समाजम, एडाइकदोम, एज़हुकोन	500
10.	सदनन्दपुरम महिला समाजम, सदनन्दपुरम	500
11.	श्री चित्रा विलासोम वनिथा समाजम, कोआपेरेटिव सोसाइटी लि०, अडूर	5,052
12.	ग्रामसेवा महिला समाजम, एलेनथूर, वाय थिरुवल्ला	5,232
13.	देश सेविनी वनिथा समाजम, नीरविल पेरीनाद	5,484
14.	वेल्लीमोन देश सेविनी समाजम, वेल्लीमोन, कुंदरा	5,079
15.	सक्थीकुलनगारा वनिथा समाजम, सक्थीकुलनगारा	4,782
16.	श्री कमला नेहरू स्मारक समोच्च विकासना महिला समाजम, परिप्प्ली, क्वीलोन जिला	3,000

उन संस्थाओं जिन्होंने अनुदान मांगे हों और मंजूर न किए गए हों, के बारे में जानकारी सुलभ नहीं है।

केरल को वनस्पति और मिट्टी के तेल की सप्लाई

908. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से हाल ही में अनुरोध किया था कि राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको अधिक मात्रा में वनस्पति घी और मिट्टी के तेल की सप्लाई की जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का राज्य को वनस्पिति घी, मिट्टी के तेल की कितनी अतिरिक्त मात्रा में सप्लाई करने का विचार है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) केरल के मुख्य मंत्री ने हाल में वनस्पति के बारे में ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है । किसी भी हालत में, वनस्पति के वितरण पर कोई केन्द्रित नियन्त्रण नहीं है ।

जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, केरल के खाद्य मंत्री के इस अनुरोध पर कि राज्य के आवंटन में वृद्धि की जाए, पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय ने अप्रैल, 1974 में केरल को 700 मी० टन मिट्टी के तेल का तदर्थ अतिरिक्त आवंटन किया था ।

किसान की भूमि के रकबे के अनुसार उर्वरकों की सप्लाई

909. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या कृषि मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक किसान के पास जितनी जमीन है, उसके अनुपात में खेती के लिए प्रत्येक किसान को उर्वरकों की सप्लाई करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस देश में किसानों की संख्या कितनी है; और

(ग) देश में कृषि योग्य भूमि के सम्बन्ध में किसानों को सप्लाई किये गये उर्वरकों का अनुपात कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार आयात किये हुए और देश में तैयार हुए उर्वरकों का आवंटन केवल राज्यवार आधार पर करती है । राज्य के अन्दर किसानों को उर्वरक वितरित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ।

(ख) 1971 की जन गणना के अनुसार, देश में काश्तकारों की कुल संख्या 787 लाख है ।

(ग) अन्तिम जानकारी वर्ष 1970-71 के विषय में उपलब्ध है । उस वर्ष के दौरान 22.56 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों की खपत हुई थी और कुल कृषि योग्य क्षेत्र 1808.46 लाख हैक्टयर था । इस प्रकार से 1970-71 में अनुपात 12.47 कि० ग्राम प्रति हैक्टयर था ।

गत तीन वर्षों के दौरान गेहूं और चावल की वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य और वसूली की मात्राएं

910. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में फसल-वार और वर्षवार प्रत्येक राज्य के गेहूं एवं चावल की वसूली के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में उक्त अवधि में प्रति वर्ष कितनी मात्रा की वसूली की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) दो विवरण (संलग्न हैं अनुबन्ध 1 और 2) (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8080/74)

पश्चिम बंगाल में चावल का क्रय मूल्य

911. श्री रोनेन सेन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में चावल ऊंचे मूल्य पर बेचा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या जबकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के किसानों को लेवी चावल के लिये 110 रुपये क्विंटल दाम दिये जा रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने आवश्यक वस्तुएं निगम के माध्यम से उत्तर प्रदेश से 220 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से चावल खरीदा है, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) और (ख): लेवी सम्बन्धी दायित्वों को पुरा करने के बाद चावल की बिक्री पर कोई मूल्य नियंत्रण लागू नहीं किया गया है और इसीलिए यह बाजार भाव पर बेचा जाता है।

(ग) और (घ) : पश्चिमी बंगाल में मानक किस्म के चावल का अधिप्राप्ति मूल्य जोकि मिलमालिकों से बसूल किया जाता है, 112.20 रुपये प्रति क्विंटल है। उत्तर प्रदेश सरकार से ज्ञात हुआ है कि प्रान्तीय सहकारी संघ, लखनऊ ने 213·09 रूपये प्रति क्विंटल के औसत मूल्य पर खुले बाजार से 1700 मीटरी टन चावल खरीदा है और पश्चिमी बंगाल सरकार को लवी मुक्त 4000 मीटरी टन चावल और 1000 मीटरी टन धान खुले बाजार से प्रान्तीय सहकारी संघ लखनउ से खरीदने और पश्चिमी बंगाल की इज़ाजत दी गई थी।

गुजरात में निम्न आय वर्ग के लिए मकान, निर्माण हेतु ग्रामीण आवास बोर्ड योजना

912. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **मिर्नाण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने निम्न आय समूह के लिये मकान निर्माण हेतु ग्रामीण आवास बोर्ड योजना को मंजूरी दे दी है और भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये जाने वाले 120 करोड़ रुपयों की गारंटी देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड की मुख्य योजनाएं क्या हैं; और

(ग) गुजरात राज्य में चालू वर्ष के दौरान कितने मकान बनाये जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) से (ग) :

गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सीमान्त किसानों तथा आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लाभार्थ मकान बनाने के लिये तैयार की गयी निम्न आय वर्ग आवास योजना का गुजरात सरकार ने अनुमोदन कर दिया है। इस योजना की अर्थ व्यवस्था के लिए राज्य सरकार का भारत के जीवन बीमा निगम से 120.00 लाख रुपये का ऋण लेने का प्रस्ताव है। यदि ऋण उपलब्ध हो जाय तो इस बोर्ड के लिए चालू वर्ष में लगभग 2,000 मकान बनाना संभव हो जायेगा। इस योजना के अधीन, यह समस्त राशि, लाभभोगियों से वसूल की जायेगी।

एक नया शिपयार्ड बनाने के लिये स्थान चुनने संबंधी नरुला समिति की सिफारिश

913. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन मंत्रालय ने एक नया शिपयार्ड बनाने के लिये स्थान चुनने संबंधी नरुला समिति की सिफारिश के स्थान के अन्तिम चयन हेतु विदेशी परामर्शदाताओं के एक दल के पास भेजा है,

(ख) यदि हां, तो क्या समिति द्वारा सिफारिश किये गये चार स्थानों में से हाजिरा एक है,

(ग) विदेशी विशेषज्ञ अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देंगे, और

(घ) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणाव कुमार मुखर्जी):

(क) से (ग) : ब्रिगेडियर ओ० पी० नरुला की अध्यक्षता में तकनीकी आर्थिक कार्यदल द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तकनीकी और आर्थिक पहलु सरकार के विचाराधीन है। कार्यदल द्वारा उपयुक्त पाये गये स्थान के लिये प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये कुछ विदेशी सलाहकारों के साथ हाल ही में बातचीत की गई है। पांचवीं योजना के दौरान पोत निर्माण यार्डों के स्थान के बारे में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्टों की प्राप्ति और मूल्यांकन करने के बाद किया जायेगा।

गुजरात द्वारा शिक्षति बेरोजगारों को उचित मूल्य दूकानें खोलने में सहायता

914. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने 2200 शिक्षित बेरोजगारों को राज्य के अगम और पिछड़े क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानें खोलने में सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य शिक्षित बेरोजगारों व्यक्तियों को श्रौर उचित मूल्य दुकानें देने की योजना कब बना रहा है; श्रौर

(ग) क्या इस सफलता को देखते हुए केन्द्र सरकार ने श्रन्य राज्यों को भी उक्त योजनाएं लागू करने को कहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1973-74 के दौरान, शिक्षित बेकारों को रोजगार सुलभ करने के लिए 332 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था। उनमें से 129 ने 1973-74 के दौरान उचित मूल्य की दुकानें खोली थीं श्रौर श्राशा है कि शेष व्यक्ति 1974-75 में उचित मूल्य की दुकानें खोलेंगे।

(ख) राज्य सरकार वर्ष 1974-75 में योजना के श्रधीन 270 श्रौर मूल्य की दुकानें देने का विचार कर रही है।

(ग) राज्य में उचित मूल्य की दुकाने खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है श्रौर इसलिए यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह उचित मूल्य की दुकानों के श्रावंटन के लिए कसौटी तय करे।

श्रखिल भारतीय गन्ना उत्पादन संघ द्वारा भार्गव श्रायोग का प्रतिवेदन प्रकाशित करने श्रौर चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग

915. श्री भोला माझी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रखिल भारतीय गन्ना उत्पादक संघ की कार्यवाही समिति ने सरकार से श्रनुरोध किया है कि कि चीनी उदयोग विषयक भार्गव समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाये, श्रौर चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये, श्रौर

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :

(क) जी नहीं। तथापि, श्रखिल भारतीय गन्ना उत्पादक संघ के श्रध्यक्ष तथा श्रन्य पदाधिकारियों से पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए श्रनुरोध किया गया है।

(ख) चीनी उद्योग जांच श्रायोग के प्रतिवेदन के संदर्भ में चीनी उद्योग क राष्ट्रीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। चालू श्रधिवेशन में दोनों सदनों के पटल पर उस प्रतिवेदन को रखने का विचार है।

गणेश फ्लोर मिल्स के पास पड़े वनस्पति का आवंटन

916. **श्री भोला मांझी :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन गणेश फ्लोर मिल्स के पास पड़े वनस्पति का आवंटन कराना चाहता था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :

(क) दिल्ली प्रशासन ने पुष्टि की है कि मैं० गणेश फ्लोर मिलस समय समय पर वितरण हेतु निर्धारित की गई कार्यविधि के अनुरुप निटमित रुप से वनस्पति सप्लाई कर रही है और इसके लिए सरकार से अनुरोध करने का कोई अवसर भी पैदा नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहराईच (उत्तर प्रदेश) में नलकूपों के लिए "डीप बोरिंग" रिगें

917. **श्री बी० आर० शुकल :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डीप बोरिंग" रिगों का भारत में निर्माण होता है ?

(ख) क्या वे विदेशों से आयात किये जाते हैं ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश को "डीप बोरिंग" रिगों की सप्लाई न करने के कारण जिला बहराइंच के सिरसिया और जमनाहा खण्डों से युक्त क्षेत्रों में समन्वैषी नलकूपों का निर्माण कार्य रुका पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :

(क) और (ख)

जी हां । देश में गहन छिद्रण करने वाले विभिन्न प्रकार के रिगों का निर्मण किया जा रहा है । तथापि, अधिक भारी या विशेष किस्म के रिगों का अभी विदेशों से आयात किया जाना है ।

(ग) जी हां । उत्तर प्रदेश के वहराइच ज़िला के कुछ भागों में गहन समन्वेषी छिद्रण का काम इस क्षेत्र में छिद्रण के लिए अपेक्षित विशेष प्रकार के भारी रिगों के अभाव के कारण रुका हुआ है ।

(घ) ऐंसे रिगों की खरीद कें प्रयास किए जा रहे हैं जो ऐंसी भूमि में छिद्रण के लिए उप्युक्त हों ।

दिल्ली में राशन की अनियमित सप्लाई

918. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में गत तीन/चार मास से उचित दर दुकानों से गेहूं चावल की सप्लाई अनियमित रही जिससे मध्य / निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाई हुई; और

(ख) यदि हां, तो राशन की सप्लाई नियमित करने के लिऐ क्या उपाय किऐ गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रशन ही नहीं उठता ।

ब्रिगेडियर नरुला की अध्यक्षता म गठित लघु पत्तन समिति की सिफारिश

919. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री श्याम सुन्दर महापात्र :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिगेडियर ओ० पी० नरुला की अध्यक्षता में गठित लघु पत्तन समि। की सिफारिशें स्वीकार कर ली है, और

(ख) उड़ीसा में चांदवाली लघु पत्तन के बार में समिति की सिफारिशों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :

(क) और (ख) : भारत सरकार न व्रिगेडियर ओ० पी० नरुला की अध्यक्षता में छोटे पत्तन समिति, 1973 की रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाई के लिये भेज दी है। केन्द्रीय प्रायोजित छोटे पत्तन परियोजनार्थ, पांचवीं पंच वर्षीय योजना में व्यवस्था केवल अग्रेनीत योजनाओं तक ही सीमित है और नई योजनाओं के लिये किसी परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई। छोटे पत्तनों संबंधी किसी नई योजना की व्यवस्था, राज्य योजना के भाग के रुप में संबंधित सरकारों द्वारा करनी होगी। इस प्रकार चांदवली के छोटे पत्तन के विकास पर उड़ीसा सरकार को विचार करन चाहियें।

जगन्नाथ मन्दिर की मरम्मत के लिए धनराशि

920. **श्री अर्जुन सेठी :**

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी के जगन्नाथ मन्दिर के मरम्मत कार्य के लिए सरकार ने कितनी धनराशि दी है; और

(ख) मन्दिर को बचाने के लिए किए गए कार्य की प्रगति क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :

(क) और (ख) : मन्दिर की मरम्मत के लिए विशिष्ट रुप से नियुक्त किए जाने वाले स्टाफ के अतिरिक्त इस मंदिर के मरम्मत कार्य के लिए प्रारम्भ में 1.5 लाख रुपये संस्वीकृत किये गये हैं। अपेक्षित स्टाफ के शीघ्र ही नियुक्त हो जाने की आशा है। इस कार्य के लिये विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। प्राक्कलन तैयार होते ही आवश्यक अतिरिक्त निधि संस्वीकृत कर दी जायेगी। हां, मंदिर के आवश्यक चित्र तैयार कर लिये गये हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कार्य शुरु कर दिया जायेगा।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण

921. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :**

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य से हैं और उस राज्य में काम कर रहे हैं ; भारत के अन्य राज्यों के समक्ष कोई गृह निर्माण ऋण नहीं ले सकते ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उनके साथ इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह मामला सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) यदि हां, तो मामला कब से केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) इस मामले में निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) से (ङ) : गृह निर्माण अग्रिम मंजूर करने के लिये एक पूर्व अपेक्षा यह है कि अग्रिम की सहायता से बनाया खरीदा गया मकान / फ्लैट राष्ट्रपति के नाम रैहन किया जाना चाहिये। कानूनी कठिनाई के कारण, जम्मू तथा काश्मीर राज्य में अचल सम्पत्ति राष्ट्रपति के नाम रैहन नहीं की जा सकती। राज्य सरकार / गृह मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय के परामर्श से मामले पर विचार किया गया है। राज्य सरकार ने अब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान की गारंटी लेना मान लिया है। गारंटी का फ़ार्म राज्य सरकार को भेजा गया है तथा उन का अनुमोदन होने के बाद, सभी संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये जाएंगे।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा जापान से अर्जित टैंकर

922. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने अब तक जापान की मित्सुबिशी कंपनी से कितने एवं कौन-कौन से टैंकर (जहाज) खरीदे हैं,

(ख) क्या कुछ ग्रौर टैंकर भी खरीदने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो वे कब तक खरीदे जायेंगे, ग्रौर

(घ) निगम ने कंपनी को प्रत्येक मामले में कितनी कीमत ग्रदा की ?

नौवहन ग्रौर परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :

(क) से (ग) : भारतीय नौवहन निगम के ग्रब तक मैसर्स मित्सुविशी हैवी इंडस्ट्रीज जापान से निम्नलिखित 4 तेलवाहक पोत खरीदे हैं ग्रौर प्रत्येक की लगभग 13.85 करोड़ रुपये की पुरी कीमत चुकाई है :—

(1) एम० टी० नेताजी सुभाष बोस

(2) एम० टी० विवेकानन्द

(3) एम० टी० छत्रपति शिवाजी

(4) एम० टी० बी० ग्रार० ग्रम्बेदकर

मैसर्स मित्सुविशि हैवी इंडस्ट्रीज के पास निम्नलिखित दो तैलवाहक पोत निर्माणाधीन है ग्रौर ग्रब तक प्रत्येक मामले में लगभग 13.85 करोड़ रुपये की कुल कीमत का 20 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया हैं :—

नाम	सुपुर्दगी की संभावित तारीख	
एम० टी० सत्यमूर्ति	जुलाई	1975
एम० टी० लोक मान्य तिलक	सितम्बर	1972

भारत द्वारा विदेशों से प्राप्त किये गये जहाज

923. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **नौवहन ग्रौर परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने गत तीन वर्षों में विदेशों से कुल कितने जहाज प्राप्त किये,

(ख) किस किस देश से कितने कितने जहाज प्राप्त किये,

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में कुल ग्रौर जहाज प्राप्त किये जाने का विचार है, ग्रौर

(घ) यदि हां, तो कितने तथा किस किस देश से ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों में भारत द्वारा विदेशों से खरीदे गये जहाजों की संख्या निम्नप्रकार है : —

देश का नाम	जहाजों की संख्या 1971-72	1972-73	1973-74	कुल
1	2	3	4	5
थाईलैन्ड	1	–	–	1
जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य	2	4	2	8
जर्मन जनवादी गणराज्य	3	4	1	8
डेनमार्क	1	–	1	2
यूनाइटेड किंगडम	2	–	4	6
फ्रान्स	–	1	–	1
स्वीडन	–	1	1	2
स्पेन	–	2	1	3
हांगकांग	–	3	3	6
नोर्वे	–	1	3	4
रुमानिया	–	–	2	2
युगोस्लाविया	–	–	1	1
जापान	–	–	2	2
यू० एस० एस० आर०	–	–	4	4

(ग) जी हां।

(घ) पहले ही सुपुर्द किये गये जहाजों की देशवार संख्या और 1974-75 के दौरान सुपुर्द किये जाने वाले जहाजों की संख्या निम्न प्रकार है :—

देश का नाम	पहले ही सुपुर्द किये गये	जिनके सुपुर्द किये जाने की संभावना
जापान	3	—
यू० एस० एस० आर०	1	1
जर्मन लोक तंत्रात्मक गणराज्य	1	1
यूनाइटेड किंगडम	3	2
जर्मन जनवादी गणराज्य	2	—
यूगोस्लाविया	2	5
नार्वे	1	—
स्पेन	1	1
बेल्जियम	1	—
रुमानिया	—	4
	15	15

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रयादेश जिन जहाजों के लिये अभी दिया जाना है उनकी संख्या को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों द्वारा 65 वर्ष की आयु पार करना

924. **श्री नारायण चन्द पराशर :**

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री उपकुलपतियों के चयन, नियुक्ति और कार्यकाल में एकरुपता लाने के बारे में 15 अप्रैल, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 668 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अथवा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालों में से किसी विश्वविद्यालय का कोई उपकुलपति 65 वर्ष की आयु पार कर चुका है; और

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध विश्वविद्यालयों एवं उपकुलपतियों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :

(क): जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोज और खुदाई कार्यों की संख्या कम होना

925. श्री रेंणुपद दास :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोज और खुदाई कार्यों की संख्या 1970–71 से 26 तथा 1971–72 में 5 हो गई जबकि 1969–70 में इनकी संख्या 34 थी: और

(ख) तेजी से हुई इस कमी के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो एस० नूरुल हसन) :

(क) जी हां । परन्तु 1971–72 के आकड़े केवल मुख्य खुदाइयों के सम्बन्ध में हैं। इस अवधि के दौरान, 1969 में 17, 1970-71 में फिर 17 और 1971-72 में 19 विश्वविद्यालयों के लिए खुदाई कार्यक्रम अनुमोदित किया गया था ।

(ख) भारत सरकार द्वारा 1965 में गठित पुरातत्व पुनरीक्षण समिति ने सिफारिश की थी कि सर्वेक्षण के सरकिल अधीक्षक पुरातत्वविज्ञों के कार्य-कलापों से खुदाई तथा खोज संबंधी क्रिया-कलापों को हटा लिया जाना चाहिए ताकि वे स्मारकों के परिरक्षण पर और अधिक कारगर ढंग से अपने प्रयासों को केन्द्रित कर सकें । साथ ही समिति का यह भी अभिमत था कि सर्किल की भारी प्रशासनिक जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुये, वे अधिकारी जिन्होंने खुदाई का कार्य अपने हाथ में लिया हुआ था, खुदाई रिपोर्टों को तैयार करने के लिये पर्याप्त समय देने में असमर्थ थे जिससे रिपोर्टें पिछड़ गईं । समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई थी कि सर्वेक्षण में खुदाई संबंधी कार्य सर्किलों की स्वतन्त्र खुदाई शाखाओं द्वारा किया जाना चाहिए और तदनुसार इस कार्य के लिये पृथक स्टाफ की सिफारिश की थी । अतः प्रमुख खुदाइयों का कार्य अब सर्वेक्षण की खुदाई शाखाओं द्वारा किया जा रहा है । जहां तक खोज करने का सम्बन्ध है चौथी पंचवर्षीय योजना में सीमित आवंटन के कारण सर्वेक्षण ने अपने आप को पुरावस्तु संबंधी अवशेषों के गांव-दर-गांव सर्वेक्षण करने के एक बड़े पैमाने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये समर्थ नहीं पाया । तथापि, समिति ने यह आशा व्यक्त की थी कि विश्वविद्यालयों को अपने संसाधनों का विकास करना चाहिए ताकि वे खुदाईयों और खोजों के कार्यक्रम में अधिक उत्साहपुर्वक भाग ले सकें । इस बात को ध्यान में रखते हुये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालयों और राज्य पुरातत्व विभागों के सक्रिय सहयोग से गांव-दर-गांव सर्वेक्षण की योजना को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव है ।

त्रिपुरा में विकास कार्यक्रमों के लिये परिवहन और संचार सुविधाएं

926. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में विकास कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त परिवहन और संचार सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रदेश में संचार प्रणाली के विकास के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 1970-71 में त्रिपुरा में नगर पालिका सड़कों के अलावा अन्य सड़कों की कुल लम्बाई 5862 किलोमीटर थी। त्रिपुरा में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में सड़कों की कुल लम्बाई 58.6 कि० मी० आती है जबकि देश के लिये 39.2 किलोमीटर है। परन्तु त्रिपुरा में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र-फल की पक्की सड़कें केवल 8.7 किलोमीटर ही हैं जबकि देश के लिये 12.4 कि० मी० है। त्रिपुरा में देश के लिये 32 प्रतिशत की तुलना में कुल सड़क की लम्बाई का लगभग 14 प्रतिशत ही पक्की सड़क है।

(ख) चतुर्थ योजना में, त्रिपुरा में सड़कों का कुल परिव्यय 5.21 करोड़ रुपये और सड़क परिवहन के लिये 0.60 करोड़ रुपये था। जिसकी तुलना में क्रमशः 6.26 करोड़ और 2.14 करोड़ रुपये का सम्भावित खर्च है। पांचवीं योजना के मसौदे में 4.00 करोड़ रुपये सहित 7.00 करोड़ रुपये का परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये और सड़क परिवहन के लिये 1.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम का अनुमान लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सड़कों के विकास के लिये धन की व्यवस्था केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत भी की जाती है।

पांचवीं योजना के दौरान बूचड़खाने

927. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तन** :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान और बूचड़खाने बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) बूचड़खानों की आधु-निकीकरण करने की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा गोवा में आधुनिक बूचड़खानें स्थापित करने के लिये चार निगमों का गठन किया जा रहा है। पांचवीं योजना के दौरान 10 और आधुनिक बूचड़खान स्थापित करने के लिये 2 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

Conversion of Desert Areas in Rajasthan into Fertile Land

928. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether 55 per cent area of 10 Districts of Rajasthan is desert;

(b) if so, the efforts being made by the Central Government to convert such a large area into fertile land; and

(c) whether Government propose to seek U.N. help for this purpose?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya)

(a) to (c) The area of the hard core desert in Rajasthan extends over 8 districts covering 1·76 lakh square Kms. which constitutes over 51% of the total area of the State.

2. The construction of Rajasthan Canal is the most important step in the development of desert areas in Rajasthan. This project seeks to bring the impounded and flow waters of river Beas and Ravi to the desert areas in the North-Western Rajasthan. Rajasthan Canal Project comprising of 215 Kms. would make available nearly 8 M.A.F. of Ravi Beas waters for irrigating about 12·65 lakh hectares of land in Western Rajasthan. The total cost of the Project is about Rs. 208 crores. The Project is being executed in two stages. Stage I costing Rs. 119 crores, consists of the Feeder Channel and 195 Kms. of the Main Canal and the connected distribution system. This has been substantially completed upto 1973-74. Stage II covering the remaining 170 miles of the Main Canal and the connected distribution system will be taken up in the Fifth Plan. A World Food Programme Project has been in operation since October, 1968 with a view to attract labour on this project. Under this programme, food articles were supplied to labour engaged on the construction of Rajasthan Canal on subsidised rates and sale proceeds were utilised for the schemes relating to Land Development, Soil Conservation Animal Husbandry, Forest Nurseries and Plantations, etc. in Rajasthan Canal command area. During the Fourth Plan period funds have been provided by the Central Government for infrastructure facilities like roads, marketing facilities, etc. and the State Government provided all other necessary inputs and services for integrated area development programme. A Soil & Water Management Pilot Project has also been sanctioned in this area for better utilisation of irrigation potential on scientific lines. Agreements have also been recently finalised with World Bank International Development Association for obtaining financial assistance for undertaking integrated area development programmes in Rajasthan Canal and Chambal (Rajasthan) command areas.

3. During the Fourth Five Year Plan, two pilot projects for the development of desert areas in Rajasthan consisting of schemes of afforestation, soil conservation, grassland development, pasture development etc., have been undertaken at an estimated cost of Rs. 117·25 lakhs in Barmer and Jaisalmer districts. In addition funds were provided under the Drought Prone Area Programme to 10 selected districts of Rajasthan. This programme seeks to mitigate the severity of scarcity conditions in the selected districts by organising productive and labour intensive works like medium, minor irrigation, soil conservation, afforestation and roads. The programme has now been reoriented as an integrated area development approach in the Fifth

Plan. Besides removing ecological imbalances in the selected areas, the major thrust in the Fifth Plan will be on management and development of irrigation sources, soil and moisture conservation and afforestation, application of dry land technology cattle development linked with dairing. The reports are being prepared/revised based on the above strategy on the resource potential of these areas. It is also proposed to seek World Bank assistance under this programme in the districts of Jodhpur and Nagaur.

4. Efforts have also been made to develop desert areas by undertaking schemes of integrated Dryland Agricultural Development Projects. These projects are in the nature of demonstration-cum-training projects and their objective is to demonstrate the new technology of dry land farming as being developed by the Indian Council of Agricultural Research Dryland Research Centres, on the farmers' fields before being extended on a larger dry areas of the State. Three such projects are being implemented in the districts of Jodhpur, Chittorgarh and Udaipur in Rajasthan.

Fees charged from Landless Adivasis of Rajasthan for Cultivation of Unauthorised Land.

929. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether according to a report dated the 18th July, 1973 about 5,000 landless Adivasis under the leadership of a Member of Parliament after reclaiming the forest land of the Chabi Ka rail, Dheengapura, Kalibhee Harpania, Talabadi in Udaipur District of Rajasthan, sowed in an unauthorised way maize, sesame and hemp in about 2,000 acres of land whether such cases of unauthorised cultivation and occupation of land by landless people in many areas of Rajasthan have been going on for the last five to eight years;

(b) whether the State Government have been charging Rs. 800 to Rs. 900. per acre per year as premium fee from the said occupants and is again evicting them; and

(c) if so the reaction of Central Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde)

(a) to (c) : The information is being collected from the State Government and will be placed on the table of the Sabha when received.

मिथिला विश्वविद्यालय से अनुदान और सहायता के लिए अभ्यावेदन

930. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मिथिला विश्वविद्यालय (दरभंगा) और उससे संबंद्ध कालेजों से अनुदान और सहायता के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) इस संबंध में कुछ, अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ख) मिथिला विश्वविद्यालय (दरभंगा) की स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1972 के लागू होने के बाद हुई थी । इस अधिनियम की धारा 12(ए) इस प्रकार है :—

> "केन्द्रीय सरकार, आयोग, अथवा किसी ऐसे अन्य संगठन द्वारा जो केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार का धन प्राप्त कर रहा हो, किसी ऐसे विश्वविद्यालय को अनुदान नहीं दिया जायेगा जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) 1972 के लागू होने के पश्चात् हुई हो जब तक कि आयोग अपने आप को यथा निर्धारित ऐसे मामलों में संतुष्ट करने के पश्चात् तथा इस प्रकार के विश्वविद्यालय को ऐसे अनुदान प्राप्त करने के लिये पात्र घोषित न करे ।"

उक्त धारा के अन्तर्गत नियमों को बनाया जा रहा है और मिथिला विश्वविद्यालय को आयोग से सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र घोषित करने के प्रस्ताव पर इन नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने पर विचार किया जाएगा ।

बयालीस कालेज जो पहले बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध थे और बाद में जिन्हें मिथिला विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया था वे अब आयोग से अपने अनुमोदित कार्यक्रमों के लिये धन की उपलब्धता और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये पात्रता की शर्तें पुरी करने पर वित्तीय सहायता पाने के हकदार होंगे ।

बालीराजगढ़, बिहार में खुदाई

931. **श्री भोगेन्द्र झा** :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा कर कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई से दो हज़ार वर्षों से अधिक प्राचीन बातों का पता चला है और उससे ऐतिहासिक महत्व की कौनसी विशिष्ट बातों का पता चला है;

(ख) क्या बिहार के मधुबनी ज़िले में बालीराजगढ़ में प्रारम्भिक खुदाई से लगभग 22 हजार वर्ष पहले के इतिहास का पता चला है; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या बालीराजगढ़ में बड़े पैमाने पर खुदाई करवाने का विचार है ताकि उस काम को शीघ्र पुरा किया जा सके, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नूरुल हसन) :

(क) उक्त स्थानों की सूची दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां । खुदाई से पता चला कि स्थल, जिसकी किलेबन्दी हो रखी थी, दूसरी शताब्दी ईसापूर्व से पाला अवधि तक उपयोग में रहा । इस स्थल पर मिली वस्तुओं में से सिक्के, सुंग मूर्तियों के फलक, मनके, हड्डियों की वस्तुएं तथा मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन महत्वपूर्ण हैं ।

(ग) पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग की बालीराजगढ़ में बड़े पैमाने की खुदाई प्रारम्भ करने की इस समय कोई योजना नहीं है । सर्वेक्षण विभाग की खुदाई शाखाएं समस्या-प्रधान कार्य में पहिले ही से व्यस्त हैं ।

विवरण

1. सुरकोटाडा, जिला कच्छ, गुजरात	2300 से 1750 वर्ष ईसा पूर्व सिन्धू घाटी सभ्यता
2. बुरजहोम, जिला श्रीनगर, जम्मू तथा काश्मीर	सिरका, वर्ष 2400 ईसा पूर्व से वर्ष 1800 ईसा पूर्व तक
3. साईपत्र, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश	सिरका वर्ष 1800 ईसा पूर्व से वर्ष 1400 ईसा पूर्व, गेरू रंग की मिट्टी के बर्तन और तांबा भण्डार
4. मलवान, जिला सूरत, गुजरात	सिरका वर्ष 1000 ईसा पूर्व हडप्पा सभ्यता के पश्चात्
5. थेयूर, जिला पुने, महाराष्ट्र	सिरका वर्ष 1400 ईसा पूर्व हडप्पा सभ्यता के पश्चात्
6. पुराना किला, दिल्ली	सिरका ईसा से 7वीं शताब्दी पूर्व से 16 वीं शताब्दी ईसा पश्चात्
7. पौनी, जिला भण्डारा, मध्य प्रदेश	बौद्ध स्तूप समूह, सिरका, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पश्चात तक
8. पिप्राहवा, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	सिरका तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चतुर्थ शताब्दी ईसा पश्चात् बौद्ध स्तुप
9. अमरावती, जिला गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश	तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 1 शताब्दी ईसा पूर्व, स्तूप समूह
10. मथुरा, उत्तर प्रदेश	कुशान अवधि के निवास होने का पता चला

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों तथा राज्यों के पुरातत्वीय विभागों द्वारा की गई खुदाई के परिणामस्वरूप निम्नलिखित स्थानों पर भी 2 हज़ार वर्ष पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई :

1. सराया नाहर राय जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश	पाषाण युग सिरका 8000 वर्ष ईसा पूर्व
2. संघौल, जिला लुधियाना, पंजाब	सिन्धु घाटी सभ्यता
3. बनावली, जिला हिसार, हरियाणा	पूर्व-हडप्पा एवं हडप्पा सभ्यता
4. लाल किला, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश	गेरू रंग की मिट्टी के बर्तन 1800 वर्ष–1400 वर्ष ईसा पूर्व
5. इनाम गांव, जिला पुने, महाराष्ट्र	ताम्र-पाषाणिक युग 1500–1000 वर्ष ईसा पूर्व
6. चिरान्द, जिला सारन, बिहार	1800 वर्ष ईसा पूर्व से छटी शताब्दी ईसा पश्चात्
7. महूरझरी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र	प्रथम सहस्त्राब्दि महा-पाषाण युग ।

फालतू भूमि के उचित वितरण के लिए समिति

932. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश बड़े जमींदार जाली व्यक्तियों के नामों में भूमि का कपटपूर्ण हस्तांतरण करके भूमि की अधिकतम सीमा के उपबन्धों से बच गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की लोकप्रिय समितियां बनाना आवश्यक किया जायेगा जिनमें ऐसे दल तथा संगठन होंगे जो भूमि सम्बन्धी सुधारों को जिला और ब्लाक स्तर पर लागू करने में विश्वास रखते हों ताकि अधिकतम भूमि से फालतू सभी भूमि को ले लिया जाये और उसका उचित वितरण किया जा सके ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विभिन्न राज्यों ने इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) हाल ही में संशोधित किए गए जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को किसी पिछली समुचित तारीख से लागू करने की व्यवस्था है, ताकि जोत की अधिकतम सीमा का निश्चय करते समय उस तारीख के बाद किए गए भूमि के अन्तरण की अवहेलना की जाए ।

(ख) तथा (ग) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह बताया गया है कि भूमि सुधारों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और वे इसके लिए समुचित स्तरों पर ग़ैर-सरकारी निकायों की स्थापना करेंगी और जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए सक्षम सरकारी संगठन रखेंगी । तद्नुसार केरल सरकार द्वारा

बनाए गए सीमा संबंधी कानून में भूमि-सुधारों संबंधी काम की देख रेख के लिए सांविधिक ग्राम समितियों के गठन की व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों ने भी इन कानूनों के क्रियान्वयन से जनता के स्तर की समितियों को सम्बद्ध करने के लिए असांविधिक व्यवस्थाएं करने पर विचार किया है।

विभिन्न राज्यों में साहूकारा अधिनियम का लागू किया जाना

933. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अवैध रूप से ब्याज की ऊंची दरें लेने को रोकने के विचार से साहूकारा अधिनियम पूरी तरह लागू किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में वैध रूप से निर्धारित ब्याज की दरें अन्य राज्यों से दुगनी है, और यदि हां, तो क्या कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है या किया जा रहा है कि ब्याज की दर को घटा कर 12 प्रतिशत कर दिया जाये; और

(ग) क्या समस्त देश में ब्याज की अवैध दर लेने को दंडनीय अपराध और संक्षेप अपराध करार देने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ग) "साहूकार और साहूकारी" के विषय को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में मद संख्या 30 के रूप में शामिल किया जाता है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है। अवैध रूप से ब्याज की ऊंची दरों की वसूली को रोकने से संबंधित साहूकारा अधिनियमों के कार्यान्वियन तथा दण्ड को राज्यों द्वारा बनाए गए विधान में सम्मिलित किया गया है और ये प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है। राज्य सरकारों को उपयुक्त रूप से लिखा जा रहा है।

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्तमान अतिब्याज् ऋण अधिनियमों के अन्तर्गत ब्याज की अधिकतम अनुज्ञेय दर प्रतिभूति रहित ऋणों पर 24 प्रतिशत और प्रतिभूति ऋणों पर 12 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान परिषद के चालू सत्र में साहूकारी बिल 1973 का एक विनियम पेश किया है, जिसके अनुसार उन्होंने प्रस्ताव किया है कि अतिब्याजू ऋण अधिनियम के प्रयोजन हेतु, प्रतिभूति रहित ऋणों के लिए ब्याज की दर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

शिवाजी महाराज का 300वां राज्याभिषेक समारोह

934. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार शिवाजी महाराज के 300 वर्षीय राज्याभिषेक समारोहों के साथ सम्बद्ध थी :–

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) जी, हां ।

(ख) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में स्थापित एक राष्ट्रीय समिति ने शिवाजी का 300वां राज्याभिषेक समारोह मनाने के लिए कार्यक्रम तैयार किये थे । जून, 1974 से शुरू हो रहे ये कार्यक्रम एक वर्ष की अवधि तक चलेंगे तथा ये केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं । इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) संबंधित विभागों से यह आशा की जाती है कि वे यह खर्चा अपने बजट विनिधानों से पूरा करेंगे ।

विवरण

ये समारोह, एक वर्ष की अवधि के लिए जून, 1974 से सारे देश में मनाए जाएंगे । राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन समारोहो को मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण , रायगढ़ के किले की मरम्मत करेगा तथा किले के अन्दर राज्याभिषेक मंच पर छत्रपति शिवाजी की एक मूर्ति रखी गई है ।

किसी एक विश्वविद्यालय में छत्रपति शिवाजी के नाम पर एक ऐतिहासिक पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

शिक्षावृत्तियाँ देकर शिवाजी के समय के विभिन्न ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन शुरू किया जाएगा ।

विभिन्न भारतीय भाषाओं में शिवाजी के सम्बन्ध में पुस्तकें प्रकाशित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ।

विश्वविद्यालय, कालिज और स्कूल, छत्रपति शिवाजी के सम्बन्ध में व्याख्यान और सेमिनार आयोजित करेंगे । वे उपयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेंगे ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा शिवाजी के जीवन पर एक वृत्त चि त्र तैयार किया जाएगा ।

शिवाजी के जीवन के विभिन्न पहलुओं तथा उस समय के इतिहास को चित्रित करने वाली एक प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

चीनी उद्योग में संकट

935. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और विशेषकर उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान द्वारा आरम्भ की गई विश्वविद्यालय विकास योजना का अध्ययन प्रतिवेदन

936. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान द्वारा आरम्भ की गई विश्वविद्यालय विकास योजना के अध्ययन प्रतिवेदन पर, जैसा कि 'युनेस्को केरियर' में प्रकाशित हुआ है कि अधिक स्नातक "बौद्धीक बेरोजगारी" पैदा करते हैं और इससे अत्यन्त आवश्यक विशेषज्ञों की कमी होती है ; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्ययन रिपोर्ट के अधिकांश सामान्य निष्कर्षों के साथ मोटे तौर पर सहमत है जैसा कि युनेस्को कैरियर के फरवरी, 1974 अंक में प्रकाशित "वाट इज अप इन हायर ऐजूकेशन" शीर्षक लेख में दिया गया है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास की मुख्य नीति इस तरह से होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब कि उच्च शिक्षा के लिए सामाजिक मांग विशेष कर नए उभरते हुए सामाजिक आर्थिक वर्गों की बढ़ती हुई प्रत्याशाएं पूरी होती रहे, विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तरों को और अधिक गिराने के लिये सुविधाओं का अन्धाधुन्ध विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों को भी पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद छात्र समाज के उत्पादक सदस्य बन सकें ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये विकास प्रस्ताव तैयार करने हेतु आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को भेजी गई सामान्य मार्गदर्शी रूपरेखाओं में ऐसे कार्यक्रमों पर जोर देने की व्यवस्था है, जिनस विश्वविद्यालय शिक्षा, समाज की आवश्यकताओं के लिये अधिक अर्थपूर्ण बन सकें।

कृषि संग्रहालय

937. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक कृषि संग्रहालय स्थापित करने का विचार छोड़ दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपयुक्त उत्तर (क) को दृष्टि में रखते हुए, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिए टेनमेंट बनाना

938. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1973–74 के दौरान दिल्ली में गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिये कितने टेनमेंट बनाये और कितने बनाने की योजना थी और उनके निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खच की गई, और

(ख) वर्ष 1974–75 में कितने टेनमेंट बनाने का विचार है और उनके निर्माण पर कितनी लागत आयेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 1973–74 में गन्दी बस्ती सुधार हेतु 1480 टनमेंट्स का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था।

इन तथा अन्य चालू योजनाओं पर 62.192 लाख रूपये खर्च किए गये थे।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती विभाग ने 66.34 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 906 टेनमेंट्स के निर्माण की एक योजना को आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है।

चालू वर्ष में बासमती चावल का निर्यात

939. **श्री समावतार शास्त्री :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में बासमती चावल का निर्यात किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस किस देश को कितना-कितना चावल निर्यात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : चालू वर्ष 1974–75 में, लगभग 3,560 मी० टन बढ़िया बासमती चावल निर्यात किया गया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

देश	मात्रा
	(मी० टन में)
दुबई	3,000
ब्रिटेन	550
हांगकांग	10

रामनगर (शाहदरा) दिल्ली में उचित मूल्य की दुकान पर लखावाहय गेहूं का आटा

940. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10, जून 1974 को राम नगर (शाहदरा) दिल्ली में एक उचित मूल्य की दुकान से गेहुं के आटे की 11 बोरियां कब्जे में ली गई थी,

(ख) क्या वह दुकानदार उसका हिसाब किताब नहीं दिखा सका था, और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि रामनगर ऐक्सटैन्शन, शाहदरा में स्थित उचित मूल्य दुकान संख्या 3,779 से गेहूं के आटे की 10-1/2 बोरियां पकड़ी गईं और यह आरोप लगाया गया था कि दुकानदार उनका हिसाब नहीं दे सका था। उन्होंने यह भी सूचित किया कि उचित मूल्य की दुकान के मालिक के विरुद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है ।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम

941. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने की कोई मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के वर्तमान उपबन्धों की अच्छी तरह से जाँच करने तथा संशोधन करने के लिये कई सुझाव दिये गये हैं। सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है।

सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं के मूल्य का ब्यौरा

942. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुले बाजार में गेहूं बेचने का मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है,

(ख) यदि हां, तो यह मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया गया है,

(ग) क्या सरकार को पता है कि खुले बाजार में गेहूं के मूल्य निर्धारित अधिकतम मूल्य से बहुत ज्यादा हैं, और

(घ) यदि हां, तो मूल्य को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने 5 जून, 1974 को गेहूं (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1974 जारी किया था जिसके अधीन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के बीच गेहूं के अन्तर्राज्यीय सौदों के लिये गेंहू का न्युनतम मूल्य 150 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। निर्धारित मूल्यों में व्यापारियों द्वारा मण्डी में खरीदे गए मूल्य, देय करों, लदान केन्द्रों तक होने वाले सभी अन्य प्रासंगिक खर्चों तथा व्यापारियों के मुनाफे को हिसाब में लिया गया है।

(ग) और (घ) : 150 रुपये प्रति क्विंटल का भाव अधिशेष राज्यों से रेल तक निष्प्रभार मूल्य है और अधिकांश कमी वाले राज्यों ने इसमें भाड़े और अन्य प्रांसगिक खर्चों को जोड़कर उच्च स्तर पर अलग अलग अधिकतम थोक तथा खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं।

उड़ीसा में सूरजमुखी की खेती करने वाले किसानों को छोटे उपकरण सप्लाई करना

943. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अधिक क्षेत्र में सूरज मुखी की खेती करने के लिये और उसके लिये उचित तकनीक का प्रचार करने के लिये किसानों को निःशुल्क छोटे उपकरण (मिनी किट्स) सप्लाई करने की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना इस वर्ष लागू की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, उड़ीसा सहित दस राज्यों में पाँचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान सूरजमुखी के विकास की एक योजना की क्रियान्विति के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ ही साथ 1974–75 के दौरान किसानों को सीड ड्रैसरों और आधे हैक्टार के लिये बीजों के मिनिकिट और पैकेज प्रणालियों के संबंध में साहित्य निःशुल्क वितरित करने का भी प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के लिये पर्याप्त मात्रा में बीजों का उत्पादन करने हेतु उड़ीसा सरकार को उसके प्रयासों में सहायता प्रदान के लिये भारत सरकार ने वर्धन तथा वाणिज्यिक खेती के लिये आस्ट्रेलिया से आयात किए हुए सूरजमुखी के 10 मीटरी टन बीजों की निःशुल्क सप्लाई की है।

उड़ीसा में खत्तियों / धान्यकोष्ठों से चावल और धान के भण्डारों का अनधिकृत रूप से निकाला जाना

944. **श्री पी० गंगादेव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि उड़ीसा में कालाहांडी तथा बोलनगीर जिलों में खत्तियों/धान्यकोष्ठों से 1.25 करोड़ रुपये के मूल्यों के चावल तथा धान के भंडारों को अनधिकृत रूप से निकाल लेने के लिये भारतीय खाद्य निगम के 50 एजेन्टों ने सांठ-गांठ की थी, और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम से पता लगाया गया है कि 1972 में उड़ीसा के बोलनगीर और कालाहांडी जिलों में 31 अधिप्राप्ति-एवं मिलिंग एजेन्टों के स्टाक की प्रत्यक्ष जांच करने के परिणामस्वरूप धान और चावल के स्टाक में लगभग 38 लाख रुपये के मूल्य के स्टाक की कमी पायी गई थी। राज्य सरकार ने राज्य खाद्य कानूनों के कुछ एक उपबन्धों के उल्लंघन के लिये चूक करता मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की है। भारतीय खाद्य निगम ने ठेका सम्बन्धी दायित्व के उल्लंघन और मिलिंग एजेंटो को दिए गए अग्रिमों की असमायोजित राशि की वसूलि के लिये कानूनी कार्यवाही भी शूरू की है। भारतीय खाद्य निगम के कुछेक अधिकारियों के विरुद्ध भी लापरवाही और गंभीर अनियमितताओं के लिये भी कार्यवाही की गई है।

कलकत्ता स्थित भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के जाली डाक्टरी बिलों की जांच

945. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष छः महीनों के दौरान कलकत्ता में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के औषधियों के बिलों पर, जो एक ही डाक्टर के नुस्खों पर बने थे और जिन पर एक ही ग्रुप के औषध विक्रेतायों से औषधियां खरीदी गई थी, 2 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त की गई,

(ख) क्या भारतीय खादय् निगम ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया कि इस प्रकार का संयोग कैसे संभव हुआ और क्या इसके पीछे कोई योजनाबद्ध बुरे इरादे थे, और

(ग) यदि हां, तो किस एजेंसी के माध्यम से इस मामले की जांच करवाई गई और जांच का क्या परिणाम निकला तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम से अपेक्षित सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

रक्षित भण्डार के लिये विदेशों से गेहूं, माइलो और चावल की खरीद

946. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दश में रक्षित भण्डार बनाने के लिये विदेशों से गेहूं, माइलो और चावल खरीदने के लिये गत चार महीनों में क्या प्रयास किये गये, और

(ख) अब तक कुल कितना खाद्यान खरीदा गया है और कितना रक्षित भण्डार बनाने की योजना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : खाद्यान्नों का बफर स्टाक बनाने के लिये अभी अनुकुल परिस्थितियां नहीं है । तथापि, न्यूनतम भण्डार और सरकारी वितरण प्रणाली को बनाये रखने के लिये पिछले 4 महीनों में विदेशों से लगभग 19.50 लाख टन गेहूं और माइलों खरीदा गया है । सरकार के पास 1-7-1974 को अनुमानत: लगभग 40 लाख मीटरिक टन का स्टाक था ।

खाद्यान्नों पर उर्वरक और ट्रैक्टर के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय

947. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक के मूल्यों में 75 से 90 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई है और देश में ही निर्मित ट्रैक्टरों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है,

(ख) क्या इन वृद्धियों के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के मूल्यों में और वृद्धि होने की सम्भावना है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार किस प्रकार उन लोगों के हित की रक्षा करना है जो अपनी आय का 80 प्रतिशत केवल खाद्यन्नों के खरीदने में व्यय करते है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : उर्वरक और ट्रैक्टर जैसे आदानों के मूल्यों में बढ़ौतरी का प्रभाव कुछ हद तक खाद्यान्नों के मूल्यों पर भी पड़ने की सम्भावना है । तथापि, खाद्यान्नों के मूल्य उत्पादन की लागत, मांग तथा पूर्ती समेत कई अन्य तत्वों पर निर्भर करते हैं ।

खाद्य नीति का उद्देश्य खाद्यान्नों का समान वितरण, विशेषतया कमी वाले राज्यों में उपलब्धता बढ़ाना और मूल्यों में स्थिरता लाने की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न तेज करना है ।

गेहूं के व्यापारियों द्वारा ऊंचे मूल्य पर गेहूं का बेचा जाना

948. **श्री भान सिंह भौरा :**

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री की चेतावनी के बावजूद गेहूं के व्यापारियों ने गेहूं 175 से 240 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा है,

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया था और यह बात गेहुं की मंडियों से पता चली थी, और

(ग) क्या सरकार ने गेहूं के उन व्यापारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

लम्बे रेशे वाली कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही

949. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान देश में लम्बे रेशे वाली कपास की खेती कर रहे हैं जिससे उसके आयात करने की मात्रा कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने में सरकार को सहायता मिली है ;

(ख) क्या किसानों को इस प्रकार की कपास उगाने के लिये अपेक्षित मात्रा में उर्वरक और कीटनाशी औषधियां प्राप्त करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन बनाये रखन और उसको बढ़ाने के लिये किसानों को आवश्यक खाद, बीज आदि उपलब्ध कराने की कोई व्यापक योजना बनाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । एम० सी० यू०1 एम०सी०यू०2, बी० 147, बदनावार-1, एम० सी० यू० 5, संकर-4, वरलक्ष्मी, एम० सी० यू०-4 सुंजाता, तथा सी० आईलैंड एंड्यूजर्जैर्स लम्बे/बढ़िया लम्बे रेशे की किस्मों की कपास की खेती करने के फलस्वरुप कुछ सीमा तक आयात कम करना और इस प्रकार विदेशी मुद्रा बचाना संभव हो गया है ।

(ख) देश में उर्वरकों की आम कमी के कारण किसानों ने लम्बे/बढ़िया लम्बे रेशे की किस्मों की कपास उगाने के लिए उर्वरकों की कुछ कमी अनुभव की है । तथापि, कीटनाशी दवाओं की मांग लगभग पूरी की गई है ।

(ग) लम्बे रेशे के कपास के उत्पादन के लिए कृषकों को आवश्यक कृषि आदान देने के लिए अलग योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, जिला सघन कपास कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित वर्तमान योजना के अंतर्गत मांग पूरी करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहा हैं ।

बारानी कृषि क्षेत्रों के अन्तर्गत नकदी फसलों के लिए वित्तीय सहायता

950. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों को अपेक्षित वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या शुष्क कृषि के अन्तर्गत नकदी वाली फसल की खेती को बढ़ाने के लिए कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने और इन क्षेत्रों के किसानों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को सुधारन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने समेकित शुष्क भूमि कृषि विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की थी। इस योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने शुष्क भूमि अनुसंधान केन्द्रों/उपकेन्द्रों के निकट 12 राज्यों में 24 परियोजनायें शुरु की गई थी (सूची अनुबंध 1 में दी गई है)। इन परियोजनाओं के अंतर्गत शुरु किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में ये कार्य शामिल थे।

सूखा प्रतिरोधी, अधिक उत्पादनशील तथा कम समय में पक कर तैयार होने वाली फसलों की खेती करना, भूमि संरक्षण कार्य भूमि विकास (जिसमें भूमि का समतलन करना भी शामिल है), जल उपयोग, कुओं, बंधों और बधियों का निर्माण, उर्वरकों के उपयोग (पर्णीय सहित) की नई तकनीकों और नवीनतम पौद रक्षण तकनीकों को अपनाना। इनके अतिरिक्त भागीदार कृषकों के लाभ के लिए पशु पालन कार्यक्रमों (जिसमें उन्नत दुधारु पशुओं की सप्लाई, कुक्कुट तथा सुअर विकास भी शामिल है) को भी शुरु किया गया है। शुष्क भूमि वाले किसान आमतौर पर गरीब होते हैं, अतः चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजना क्षेत्रो के अंतर्गत किसानों को ऋणों तथा राज सहायता के रूप में प्रोत्साहन दिए गए हैं। यह योजना 100 करोड़ रुपये की लागत से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू रखी जा रही हैं ताकि प्रदर्शनों तथा शिक्षा के माध्यम से शुष्क क्षेत्रों के किसानों में शुष्क खेती की नई तकनीकी को लोकप्रिय बनाया जा सके।

किसानों के खेतों में अनेक प्रदर्शन करने से पता चलता है कि उन्नत शुष्क खेती की तकनीकों को अपनाने से प्रति हैक्टार भूमि में लगभग 4 क्विटल उत्पादन बढ़ सकता है जो उस फसल से 50 से 100 प्रतिशत तक ज्यादा है, जो पुराने तरीकों से उगाई जाती है।

पैकेज की पद्धतियों (जिसमें उर्वरकों का प्रयोग शामिल है) को इस्तेमाल करके शुष्क भूमि के विस्तृत क्षेत्रों में उगाने वाली, मूंगफली, सूरजमुखी, कुसुम, अरंडी, कपास तथा तिलहन की नकदी फसलों का अधिक उत्पादनशील अल्पकालीन तथा सूखा प्रतिरोधी किस्मों के माध्यम से विकास किया जा रहा है। बीजों की अधिक उत्पादनशील किस्मों का प्रारम्भ शुरू करने के लिए और सभी

फसलों (जिसमें नकदी फसल शामिल हैं) पर उर्वरकों तथा कीटनाशी औषधियों को इस्तेमाल करने के लिए भी राजसहायता के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन फसलों को उगाने के लिए नई तकनीकियों के बारे में शिक्षा देने के उद्देश्य से किसानों के खेतों में पूरी लागत से फील्ड प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आशा है कि इन परियोजनाओं के अंतर्गत ठोस प्रयत्न करने से केवल परियोजना क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सभी पवर्ती शुष्क खेती के क्षेत्रों में भी अपना उत्पादन काफी बढ़ा सकेंगे।

अनुबन्ध—1

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के शुष्क भूमि अनुसंधान केन्द्रों तथा शुष्क भूमि विकास परियोजनाओं की सूची

राज्य	आई० सी० ए० आर०/ अनुसंधान तथा उपकेन्द्र	1970–71 में शुरु की गई मार्गदर्शी परियोजनायें	1971–72/73 में शुरु की गई मार्गदर्शी परियोजनाएँ
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	1. इब्राहीमपटनम (हैदराबाद)	1. हैदराबाद (इब्राहीमपुरम)	–
	2. अनंतपुर		1. अनंतपुर
2. बिहार	3. रांची	—	2. पलामऊ
3. गुजरात	4. आनन्द	—	—
	5. राजकोट	2. राजकोट	3. अमेरेली
4. हरियाणा	6. हिसार	3. हिसार	4. मोहिन्द्रगढ़
5. जम्मू और कश्मीर	7. जम्मू	—	5. उधमपुर/जम्मू
6. मध्य प्रदेश	8. इन्दौर	4. इन्दौर	6. रेवा
	9. रेवा		
7. महाराष्ट्र	10. अकोला		7. अकोला
	11. शोलापुर	5. शोलापुर	
8. कर्नाटक	12. हेवल		8. बंगलोर
	13. वैलारी	6. वैलारी	
	14. विजापुर		9. विजापुर

1	2	3	4
9. पंजाब	15. लुधियाना	—	—
10. राजस्थान	16. जोधपुर	7. जोधपुर	
	17. उदयपुर		10. उदयपुर
			11. चित्तौड़गढ़
11. तमिलनाडु	18. कोविलपट्टी	8. कोविलपट्टी	12. पुदुकोट्टई
12. उत्तर प्रदेश	19. झांसी	9. झांसी	13. मिर्जापुर
	20. वाराणसी	—	14. ग्रागरा
	21. ग्रागरा		
	22. देहरादून		
13. उड़िसा	23. भुवनेश्वर	—	15. म्यूरगंज
	24. भारतीय कृषि ग्रनुसंधान परिषद् नई दिल्ली		—

पांचवीं योजना में ग्रन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था का विकास

951. श्री एस० एन० मिश्र :
श्री धामनकर :

क्या **नौवहन ग्रौर परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना ग्रवधि में देश में ग्रन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था का विकास करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है,

(ख) क्या गत चार योजनाग्रों में ग्रन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये निर्धारित परिव्यय ग्रप्रयुक्त पड़ रहा है?

(ग) क्या देश में परिवहन व्यवस्था जो कुछ नदियों ग्रौर नहरों में पहले से थी वह खराब हो गई है,

(घ) दामोदर घाटी निगम नागार्जुन सागर ग्रौर राजस्थान नहर परियोजना के ग्रन्तर्गत ग्रन्तर्देशीय नौचालन के लिये नहरों का प्रयोग करने के लिये कार्यवाही की गई है, ग्रौर

(ङ) क्या अन्तर्देशीय नौचालन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये तकनीशियनों और विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के लिये कोई संस्था स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) पांचवीं पंच वर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये 40 करोड़ रुपये (26 करोड़ रुपये केन्द्रीय योजनाओं के लिये तथा 14 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को ऋण सहायता के रूप में) की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में मुख्यत: ये कार्य शामिल हैं—केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० के बेड़े में वृद्धि राजावगान डाकयार्ड का आधुनिकीकरण, गंगा में नदी सेवाओं का चलाना मुख्य जल मार्गों का विकास तथा सुधार जिनमें विभिन्न राज्यों में सहायक सुविधाएं शामिल हैं, जहाजों की तथा उनके आधुनिकीकरण करने हेतु प्राईवेट उद्यमों को ऋण सहायता देने के लिये योजनाएं ।

(ख) पिछली योजनाओं में की गई व्यवस्था का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया ।

(ग) कुछ अन्तर्देशीय जल मार्गों पर पुरानी परिवहन पद्धति (देशी नौकाएं) बंद कर दी गई हैं ।

(घ) दामोदर घाटी निगम नहर पर अन्तर्देशीय नौचालन की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की जा रही है । इस समय नागार्जुन सागर तथा राजस्थान की नहरों पर अन्तर्देशीय नौचालन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ी वह सैक्रीन जो वर्ष 1968-69 में आयात की गई थी

952. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि वर्ष 1968–69 में भारी मात्रा में आयात की गई सैक्रीन भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ी हुई है ,

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में इसका निपटान न किये जाने के बारे में सरकार द्वारा क्या कोई जांच कराई गई है, और

(ग) जांच के क्या परिणाम निकल ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 2.2 मी० टन सैक्रीन है ।

(ख) और (ग) आयातित सैक्रिन के निपटान के बारे में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, निगम नें 1971, 1972 और 1973 के दौरान तीन बार टेंडर मंगवाकरउसे वास्तविक प्रयोक्त को बेचने की कोशिश की थी, निगम अब खुली बिक्री करके उस स्टाक का निपटान कर रहा है ।

Scheme for Coconut Cultivation in Kerala

953. **Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether the Kerala Government have formulated a new scheme regarding coconut cultivation;

(b) If so, the outlines thereof ;

(c) Whether the State Government have sought some assistance from the Central Government for this scheme; and

(d) if so, the facts thereof and Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (d) No new scheme on coconut cultivation has so far been received from the Government of Kerala: However, in the Fifth Five Year Plan the following Centrally Sponsored Schemes are proposed to be continued in the State :

(Rupees in lakhs)

Name of the scheme	Physical targets	Financial outlay
(1) Package Programme on coconut	93,500 (Hectares)	75·20
(2) Production of hybrid coconut seedlings	50,000 (Nos.)	4·75
(3) Pilot project for rejuvenation of diseased coconut plantations ..	5,000 (ha)	2·65

गेहूं की खेती की जाने वाली भूमि में नकदी फसलें बोया जाना

954. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :**
श्री एस० सी० सामन्त :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में सरकारी खाद्य नीति के कारण गेहूं की खेती की जाने वाली भूमि में नकदी फसलें बोये जाने के बारे में कोई अध्ययन सरकार ने कराया है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है कि गेहूं की खेती की जाने वाली भूमि को अखिल भारतीय स्तर पर 1972–73 तक नकदी की फसलों के अन्तर्गत नहीं लाया गया है :–

वर्ष	गेहूं की बुवाई का क्षेत्र अखिल भारत (हज़ार हैक्टरों में)
1967–68	14,998
1968–69	15,958
1969–70	16,626
1970–71	18,241
1971–72	19,139
1972–73	19,881(पी)
1973–74	†

(पी) अस्थायी

वर्ष 1973–74 क पक्के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए ।

नौवहन टनभार की आवश्यकता

955. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यंह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज देश को कितने नौवहन टनभार की आवश्यकता है, और

(ख) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नौवहन टनभार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) यह अनुमान लगाया गया है कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक हमारे पास परिचालनात्मक टनभार 86.40 लाख जी० आर० टी० तथा आदेश पर 10.00 लाख जी० आर० टी० हो जायेगा जिससे जहाज के लिये हमारे व्यापार की मांग काफी हद तक पूरी हो जायेगी ।

(ख) सरकार जहाजों को सीधे नहीं खरीदती । जहाज सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों सेक्टरों में नौवहन कंपनियों द्वारा खरीदे जाते हैं । 1–7–74 के अन्त में परिचालनात्मक तथा आदेश पर कुल नौवहन टनभार क्रमशः 35.40 लाख जी० आर० टी० और 17.50 लाख जी० आर० टी० है । सरकार जहाज की खरीद के लिये नौवहन कंपनियों को कुछ वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन देती है, उदाहरणार्थ जहाज की लागत के 20 प्रतिशत तक मुक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना, नौवहन विकास निधि समिति से रियायती दर पर रुपये में ऋण, विदेशी मुद्रा में ऋण लेने के लिये नौवहन विकास निधि समिति द्वारा गारंटी । प्रति गारंटियों की व्यवस्था करना आदि ।

ग्रामीण क्षेत्रों में उर्दू का पढ़ाया जाना

956. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषतया उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में, उर्दू पढ़ाये जाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Urban Property Ceiling Bill

957. **Shri Ramavatar Shastri** :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have finalised the Urban Property Ceiling Bill; and

(b) If so, whether Government propose to introduce and pass the same during the current Session of Parliament ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) & (b) the matter is under active consideration.

कोयले की ढुलाई के लिए जहाज मालिकों को भाड़े की दर में वृद्धि करने की अनुमति

958. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडीयन कोस्टल कान्फ्रेंस ने मंत्रालय से अनुरोध किया था कि कोयले की ढुलाई के लिए जहाज मालिकों को भाड़े की दर में कुछ वृद्धि करने की अनुमति दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है और सरकार को अंतिम निर्णय अभी करना है ।

Complaint Re: Sale of Old Stock of Fertiliser at New Rates in Madhya Pradesh

959. **Dr. Laxminarayan Pandey** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether at the time of increasing the prices of fertilisers from the Ist June, 1974 Government had stated that the old stock would be sold at the old rates ;

(b) Whether the dealers in the entire Madhya Pradesh sold fertilizers at the new rates from the 1st June, 1974 and complaints in this regard were made to the Central Government as well as the State Government; and

(c) if so, the action taken by the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde (a) By the notification dated 1-6-74 issued under the Fertiliser Contro Order only the maximum retail prices of Ura, Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate were revised w.e.f. 1-6-74.

(b) & (c) According to information received from the Madhya Pradesh Government, private dealers at certain places sold fertilisers at new rates. Complaints in this regard were received by the Central Government and State Government. The State Government have issued executive instructions and subsequently, orders under Defence of India Rules to enforce old prices for old stock.

वनस्पति का उत्पादन तथा उसके व्यापार को अपने नियंत्रण में लेना

960. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति का उत्पादन तथा उसके व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने की वाछनीयता पर विचार किया है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं, और

(ग) उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्यों पर वनस्पति उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सरकार ने वनस्पति के उत्पादन को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में अभी तक कोई आवश्यकता नहीं महसूस की है । तथापि, सरकार ने वनस्पति के वितरण को नियंत्रण में लेने की वांछनीयता पर विचार किया है और उसे छोड़ दिया है क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में वह व्यवहार्य नहीं है ।

(ग) वनस्पति के उत्पादन और सप्लाई को मुख्यत: कच्चे माल की उपलब्धता में वृद्धि करके सुधारा जा सकता है । इसलिए परम्परागत तथा अपरम्परागत तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने और इस बीच लगातार वित्तीय प्रोत्साहन देकर बिणौले के तेल, चावल के चोकर के तेल आदि जैसे अपरम्परागत तेलों का अधिक प्रयोग करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहनहित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

धान तथा बाजरे की तस्करी

961. **श्री गजाधर मांझी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों से धान और बाजरे की तस्करी के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन से हैं और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

पशुशवों का उपयोग

962. **श्री पी० वेंकाटासुब्बया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुशवों का उपयोग न करने तथा उचित उपयोग न करने के परिणाम स्वरुप 26 करोड़ रुपये की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पशुशवों का उचित तथा बेहतर उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 1963 में अनुमान लगाया गया था कि पशुशवों का उचित उपयोग न करने और उन्हें उपयोग में न लाने के कारण प्रतिवर्ष मौटा तौर पर 26 करोड़ रुपये से अधिक हानि होती है । इस विषय पर राष्ट्रीय कृषि आयोग ने एक अध्ययन किया है और इसके अंतिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं ।

(ख) पशुशवों के बहुत अधिक छोटे-छोटे गावों में फैले होने और संचार के अपर्याप्त साधनों के कारण मुख्य रूप से पशुशवों को उपयोग में नहीं लाया जा सका और उनका पर्याप्त उपयोग नहीं किया जा सका । पशुशवों की खाल उतारने वालों के अज्ञान तथा वैज्ञानिक विधियों की कमी के कारण भी इसका कम उपयोग किया जाता है ।

(ग) खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग, विभिन्न राज्यों में पशु पालन और उद्योग विभागों ने चमड़ा उतारने और पशुशव उपयोग के केन्द्र स्थापित किए हैं । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पशुशवों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और अधिक पशुशव उपयोग केन्द्र स्थापित करें ।

Training-cum-Production Centres

963. **Shri M.C. Daga.** Will : the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether training-cum-production centres are run by the Central Government and if so, the total number and locations thereof at present and the total expenditure incurred on each of them; and

(b) the expenditure incurred on each of them during 1971-72, 1972-73 and 1973-74 respectively and the total number of young men and women who have received training there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) and (b) Yes, Sir. A statement showing the number of training-cum-production centres and their locations is attached.

Expenditure on these Centres, the Refugee Handicrafts Shop and the Cutting Section is being kept in a consolidated account. The total yearwise expenditure on these is given below :

Year	Amount
	Rs.
1971-72	10,70,252·00
1972-73	12,44,906·00
1973-74	11,68,118·00

40,294 young women have so far availed of the training facility ever since the Centres were established.

Statement

Location of Training-cum-Production Centres under Social Welfare and Rehabilitation Directorate.

1. 84 Rajinder Nagar Market, Rajinder Nagar, New Delhi.
2. Chimini Mills, Manwar Manzil, Bara Hindu Rao, Delhi-6.
3. DI-47-49, Lodi Road, New Delhi.
4. Opposite Congress Committee, Udyog Shala, Mehrauli, Delhi.
5. Teacher Training Institute, Post Office Lajpat Nagar, New Delhi.
6. Shop No. 39 to 42, Lehna Singh Market, Sabzimandi, Delhi.
7. 257A/1, Bhola Nath Nagar, Shahadara, Delhi.

8. 21-22 Maharaja Ranjit Singh Road, New Delhi.
9. Ramesh Nagar, New Delhi.
10. Indra Nagar, Azadpur, Delhi.
11. Subhash Nagal Beriwala Bagh, J-Block Hari Nagar (Tehar), New Delhi-18.
12. Jhil Kurenja, Delhi.
13. M-22, Malviya Nagar, New Delhi.
14. Kalkaji Township, New Delhi.
15. Near Santpur Gurdwara, Tehar Colony No. 2, Tilak Nagar, New Delhi.
16. 20 Hudson Lines Barracks, Kingsway Camp, Delhi.
17. Plot No. 1849 Bissomal Colony, Baghirath Palace, Electric Market, First Floor, Chandni Chowk, Delhi.
18. Kanpur Panchyat Ghar, New Delhi.
19. 11 Shanker Market, Connaught Circus, New Delhi.

Losses suffered by Shipping Corporation of India

964. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the date of setting up of the Shipping Corporation of India;

(b) the capital invested so far and proposed to be invested at present;

(c) the loss suffered so far and the reasons therefor; and

(d) whether the Corporation purchased second-hand vessels and considerable time was taken up in their repairs; and if so, the amount spent on their purchase as well as on their repairs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) 2nd October, 1961.

(b) The paid up equity capital of the Corporation which is entirely subscribed by the Government is Rs. 27·95 crores. There is no proposal to increase this share capital at present.

(c) No loss has been suffered by the Corporation since its inception.

(d) Since its inception the Corporation has purchased 89 ships of which 23 were second hand. The performance of all these second hand ships except two coastal tankers, namely M.T. Deshalok (purchase in 1966) and Deshsewak (purchased in 1967) was satisfactory. These two second hand tankers were acquired for meeting the emergent requirements of coastal movement of oil products since new tankers could not be procured for meeting the then immediate needs. Unfortunately these tankers gave trouble initially which necessitated extra repairs and consequent layup. The purchase price and the

average annual expenditure on survey and repairs in respect of Deshalok and Deshsewak are as under :—

	Purchase Price	Annual expenditure on survey and repairs
	Rs. lakhs	Rs. lakhs
Deshalok . .	48·85	19·80
Deshsewak . .	48·83	17·64

On completion of their useful life these two tankers were disposed off in 1973 and 1972 respectively. After fully meeting the cost of all repairs and other expenses the acquisition of these two tankers resulted in a net gain of about Rs. 45 lakhs and about Rs. 36 lakhs respectively.

Educational Institutions in Delhi

965. **Shri G.P. Yadav** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there is an acute dearth of educational institutions in Delhi and students desirous of prosecuting their studies do not get admission and if so, whether Government propose to set up more institutions; and

(b) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) : (a) and (b) There is no dearth of educational institutions in Delhi for education upto school level. More schools are opened every year by Delhi Administration and local bodies according to need. The admission problem in Delhi Colleges this year is not acute as compared to the previous years. In fact seats are available in the under graduate courses in some colleges and in the School of Correspondence Courses and Continuing Education and non-Collegiate Women's Education Board. There is no proposal to open any new College this year.

Adulterated Sugar found in Moradabad by F.C.I.

966. **Shri G. P. Nakav** :
Shri Darbara Singh :

Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) Whether the Food Corporation of India found adulteration in sugar in Moradabad District and whether this sugar was supplied by Ayodhya Sugar Mills, Sahaspur, Bilari (Moradabad);

(b) whether there was connivance of the Food Corporation of India and the Mill owners in this adulteration; and

(c) if so, whether Government will conduct a high level inquiry in this connection and when this inquiry will be conducted ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya): (a) to (c) The following facts have been ascertained from the Food Corporation of India . On the 8th June, 74, 400 bags of sugar were received from M/s. Ajudhia Sugar Mills, Raja-Ka-Sahaspur in the Moradabad Depot of Food Corporation of India. On the same day, 198 bags were issued to owners of Fair Price Shops. On the 10th June, 74 some Fair Price Shop owners complained to the District Supply Officer of U.P. Government regarding the inferior quality of sugar. Further issues from the Depot were stopped and Fair Price Shop owners were requested to return bags containing sugar of not acceptable quality. Eleven bags were returned by them. The analysis of these 11 bags together with the balance of 207 bags left in the godowns showed that 125 bags contained brown or sub-standard sugar. The Corporation has also suspended two of its officials for being prima-facie guilty of negligence and are initiating necessary disciplinary proceedings against them. The Directorate of Sugar and Vanaspati in the Department of Food also asked the factory to explain why brown sub-standard sugar was supplied against release orders for levy sugar issued by the Dte. The reply of the factory has been received on 27-7-74 and is under examination.

Central Directive to States for Collection of Land Revenue in Kind

967. Shri G.P. Yadav :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn towards the decision of the Bihar Government that land revenue will be realised not in cash but in kind;

(b) If so, whether Government propose to direct other State Governments also to adopt the same method so that more wheat may be procured; and

(c) if so, the reaction of State Government?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) The Government of Bihar as reported that the proposal to realise land revenue in kind instead of in cash has been under its active consideration and that no final decision has yet been taken in the matter.

(b) & (c) The feasibility of the proposal is being examined by the Government.

उर्वरकों के लिए दो मूल्य निर्धारित करने की पद्धति

968. श्री हरि किशोर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के लिये दो मूल्य निर्नारित करने की पद्धति लागू करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब से लागू किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । उर्वरकों के लिए दो मूल्य निर्धारित करने की पद्धति को लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भू-जल नीति

969. श्री वसंत साठे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "ग्राउन्ड-वाटर पालिसी" "गेट टु गैट आफ दी ग्राउन्ड शीर्षक के अन्तर्गत 4 जून, 1974 को एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उठायी गयी विभिन्न बातों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार भूमिगत जल के नियंत्रित तथा नियमित विकास की आवश्यकता के महत्व को पुरी तरह समझती है । इसी कारण केन्द्रीय कृषि विभाग ने भूमिगत जल विकास को नियत तथा नियंत्रित करने के लिए एक माडल बिल तैयार किया था और केन्द्रीय विधि मंत्रालय से परामर्श करके उसे राज्य सरकारों को भेजा गया था ।

(ग) इस मामले में निम्न-लिखित कदम उठाये गए हैं :

(1) योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृति देने से पहले इस बात पर जोर देन कि भूमिगत जल की उपलब्धता की दृष्टि से उनका तकनीकी रूप से निरीक्षण किय जाना चाहिए ।

(2) योजनाओं के आयोजन तथा क्रियान्वयन में तकनीकी व्यावहारिकता लाने के लिए राज्य के भूमिगत जल संगठनों की स्थापना करना और उनको सुदृढ़ किया जाना ।

(3) भूमिगत जल संगठनों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष केन्द्रीय अनुदान देना। इस कार्य के लिए वर्ष 1973–74 के दौरान राज्यों को 80 लाख रुपये की राशि उपलब्ध की गई है।

(4) भूमिगत जल विकास के नियंत्रण तथा नियमन के लिए शीघ्र कानून लागू करने के मामले पर निरन्तर जोर देना।

(5) भूमिगत जल योजनाओं का ठोस तकनीकी आधार पर आयोजन तथा उनकी क्रियान्विति के लिए तकनालाजी तथा कार्यपद्धति को विकसित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की गतिविधियों को तीव्र करना।

भारतीय 'डिग्री मिलों' को काली सूची में रखना

970. **श्री वसंत साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में "23 इंडियन 'डिग्री मिल्स' ब्लैक लिस्टेड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) "विश्वविद्यालय" शब्द को प्रयोग करने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वाणिज्य विश्वविद्यालय के निदेशकों के विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 के उपबंधों का उल्लंघन करने का मुकदमा दायर किया है। संस्थान का प्रबंध करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था। इस समय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील अनिर्णीत पड़ी है। अन्य संस्थाओं की वास्तविकता का पता लगाने के लिए उनकी जांच पड़ताल की जा रही है।

सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों की कमी

971. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान बनाने सम्बन्धी नीति मंत्रालय की योजना को पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है ;

(ग) सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों की कमी कब तक दूर कर दी जाएगी ; और

(घ) इन प्रस्तावों पर कितना वित्तीय खर्च आयेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) समस्त योजना के कुल पूंजीगत परिव्यय को योजना आयोग ने अभी अन्तिम रुप नहीं दिया है । इसी दौरान, वित्तीय कठिनाई तथा समस्त नई अव्यावसायिक इमारतों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगने के कारण, केवल रिहायशी तथा ग़ैर रिहायशी चालू योजनाओं पर ही खर्च करने के लिये चालू वर्ष के लिए 6.37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । अतः, प्राप्त की गई सफलता महत्वपुर्ण नहीं है ।

(ग) वित्तीय स्थिति कठिन होने के कारण, कोई निश्चित समय अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

(घ) योजना आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में, 183 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय को व्यवस्था है जिसमें से 150 करोड़ रुपये, सामान्य पुल के रिहायशी वास संबंधी प्रयोजनों के लिए थे ।

कलकत्ता महानगरों के विकास सम्बन्धों कार्य को प्रगति

972. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सी० एम० डी० ए० तथा अन्य सम्बद्ध संगठनों द्वारा कलकत्ता महानगर में विकास संबंधी कार्य को प्रगति के बारे में कोई मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार के विचार में कार्य की प्रगति संतोषजनक है ;

(ग) क्या आवश्यक सामानों के मूल्यों में वृद्धि तथा ठेकेदारों द्वारा विभिन्न परिवर्तन करने से विभिन्न परियोजनाओं की अनुमानित लागत भी बढ़ गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सी० एम० डी० ए० तथा अन्य संबद्ध संगठनों ने अपने हाथ में लिए गए कार्यों की लागत का कोई पुनरीक्षण किया है और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) केन्द्रीय सरकार, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण तथा अन्य सम्बद्ध संगठनों द्वारा महानगर डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में किए जा रहे विकास संबंधी निर्माण कार्यों की प्रगति पर आवधिक पुनरीक्षण बैठकों द्वारा नियमित रुप से दृष्टि रखे हुए है । पिछली पुनरीक्षिण बैठक, केन्द्रीय निर्माण और आवास सचिव की अध्यक्षता में 24 जून, 1974 को हुई थी ।

(ख) हालांकि विकास के कई क्षेत्रों में विभिन्न रुकावटों के कारण जिसमें इंजीनियरों की हड़ताल शामिल है, लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं, तथापि कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण का समग्र कार्य पर्याप्त रुप से सन्तोषजनक रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां। चालू परियोजनाओं के प्राक्कलनों का कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा संशोधन किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं को संशोधित अनुमानित लागत की तुलना में मूल अनुमानित लागत का एक विवरण संलग्न है।

(ङ) यद्यपि संशोधित अनुमान में वृद्धि होने से परियोजनाओं के निष्पादन में बाधा पड़ने की संभावना है तो भी उपलब्ध निधियों से, कोर सेक्टरों अर्थात्, जलपूर्ति तथा मल-निर्यात, सड़क-सुधार तथा बस्ती सुधार की परियोजनाओं के शीघ्र पूर्ण करने पर बल दिया जा रहा है।

विवरण

क्षेत्र का नाम	मूल अनुमानित लागत	संशोधित अनुमानित लागत
जल पूर्ति	5,111.41	6,732.91
मल-निर्यास तथा जल-निर्यास	7,736.61	9,465.05
कूड़ा कचरा व्ययन	420.00	390.96
पर्यावरणीय स्वास्थ्य विज्ञान	467.15	817.15
यातायात तथा परिवहन	6,832.01	9,277.52
यातायात तथा अन्य योजनायें	1,469.21	1,345.13
विशेष परियोजनाएं		
गैस वितरण	81.75	81.75
अस्पताल सुविधाएं	905.72	1,428.91
प्राथमिक विद्यालय	101.10	121.10
पार्क तथा खेल के मैदान	150.00	174.26
	1,238.57	1,806.02
आवास तथा नये क्षेत्र का विकास	3,032.37	3,229.17
बस्ती सुघार योजना	982.68	1,334.18
	27,290.01	34,398.09

Construction of Temporary Houses for Homeless

973. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to construct temporary houses in big cities of the country for homeless persons in order to protect them from cold ;

(b) if so, whether this scheme has since been implemented indicating the brief outlines thereof ; and

(c) prospective policy and planning in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (c) Under the Slum Clearance and Improvement Scheme, State Governments are competent to build night shelters for protection of the poor from the cold. The Slum Clearance/Improvement Scheme has since been transferred to the State Sector w.e.f. 1st April, 1969. Central Assistance is provided to the State Governments in the shape of 'Block Loans' and 'Block Grants'. State Governments are competent to utilise the funds so provided according to their own priorities and requirements.

रेल माल डिब्बों में भरे खाद्यान्न का लापता होना

974. **श्री समर गुह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न प्रदेशों को खाद्यान्न ले जाने वाले रेल माल डिब्बे प्रतिवर्ष लापता हो जाते हैं, और क्या उनमें से प्रत्येक माल डिब्बे में 20,000 रुपये का खाद्यान्न भरा हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1973–74 में खाद्यान्न से भरे माल डिब्बों के लापता होने से (i) पूर्वी जोन तथा (ii) पूरे भारत के लिये कुल कितने खाद्यान्न की कितनी धनराशि की हानि हुई ;

(ग) वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 में खाद्यान्न से भरे कुल कितने माल डिब्बे लापता हुये तथा इस प्रकार कितने खाद्यान्न तथा कितनी धनराशि की हानि हुई ;

(घ) क्या लापता माल डिब्बे के बारे में जांच की गई थी तथा इसकी रिपोर्ट भारतीय खाद्य निगम के वार्षिक प्रतिवेदनों में सम्मिलित कर दी गई थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश के विभिन्न भागों के लिए बुक की गयी खाद्यान्नों की बैगनो को कभी-कभी कमी वाले राज्यों की आवश्यक मांगों को पूरा करने के लिए रास्ते से मोड़ दिया जाता है और कभी-कभी रेलवे की कार्यचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण भी मोड़ दिया जाता है। ऐसी मोड़ी गई बैगनें जब उन गन्तव्य स्टेशनों पर नहीं पहुंचती हैं जहाँ के लिए उन्हें मूलतः बुक किया जाता है, तब गन्तव्य स्टेशन उन्हें तकनीकी रूप से 'लापता' दिखा देते हैं। दूसरी तरफ, जब ऐसे बैगन जिन स्टेशनों/भारतीय खाद्यान्न निगम के

डिपियों की तरफ मोड़े गए होते हैं, वहां पर पहुंचते हैं, उनको बुकिंग ब्यौरों की ग़ैरहाजिरी में 'असंबद्ध' के रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद 'लापता बैगनों' और 'असंबद्ध बैगनों' का मिलान किया जाता है। अतः तकनीकी रूप से दिखाई गई 'लापता बैगनों' हमेशा के लिए लापता नहीं रहती।

खाद्यान्नों की लागत ले जाए गए खाद्यान्नों की किस्म और रेलवे वैगनों की ढोने की क्षमता, जो कि प्रत्येक मामले में भिन्न भिन्न होती हैं, पर निर्भर करती है। रबी, 1974 मौसम से पूर्व चार पहियों वाले बैगनों में ढोये गये ग़ेहूं का मूल्य लगभग 20,000 रुपये था।

(ख) (i) केवल पूर्वी क्षेत्र में ही, वर्ष 1973-74 में 15,976 बैगनें लापता थीं, और उसी वर्ष के दौरान, 14,733 बैगनों को खोज लिया गया था और उनका मिलान कर लिया गया था। तकनीकी रूप से लापता बतायी गई अन्य बैगनों को खोजा जा रहा है। मिलान किया जा रहा है और सौदों को नियमित किया जा रहा है।

(ii) वर्ष 1973-74 के दौरान, समस्य भारत में 19,840 वैगनों को 'लापता' बताया गया था और इनमें से 18,515 बैगनों को खोजा जा चुका है और उनका मिलान किया जा चुका है।

"लापता" बैगनों के बारे में एहतियाती तौर पर रेलवे के पास आवश्यक रूप से दावे दायर कर दिए जाते हैं और जब बैगन मिल जाते हैं तब दावे वापस ले लिए जाते हैं और सौदों को नियमित कर दिया जाता है।

(ग) 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के वर्षों के दौरान, 41,999 बैगन 'लापता' बताए गए थे। इनमें से 37,281 बैगन मिल गए थे। उनका मिलान कर लिया गया था और सौदों को नियमित कर दिया गया था। अन्य बैगनों की खोज जारी है हालांकि 'लापता' बैगनों के बारे में रेलवे के पास पहले ही दावे दायर कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, हालांकि 'लापता बैगनों' का पता लगाने और उनका मिलान करने की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं, लापता बैगनों के लिए रेलवे के पास दावे दायर कर दिए जाते हैं। इन दावों के दायर करने से रेलवे और भारतीय खाद्य निगम दोनों द्वारा 'लापता' बैगन के प्रत्येक मामले में आवश्यक रूप से जांच की जाती है। 'लापता' बैगनों का पता लगाने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने एक विशेष मशीनरी स्थापित की है।

भारतीय खाद्य निगम की वार्षिक रिपोर्ट निगम की महत्व पूर्ण गतिविधियों का सारांश है और उसमें उनके कार्य के महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षिप्त रुप में दिखाया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि तकनीकी रूप से घोषित की गई कुछेक 'लापता' बैगनों के कारण कोई उल्लेखनीय हानि नहीं होती है, इस तथ्य को वार्षिक रिपोर्टों में नहीं दिखाया जाता है।

माइग्रेशन आफ टाप व्हीट ब्रीडर्स शीषर्क के अन्तर्गत समाचार

975. **श्री धामनकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1974 के एक दैनिक समाचार पत्र में "टाप व्हीट ब्रीडर्स आर माइग्रेटिंग" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) हां, इस देश के अन्य वैज्ञानिकों की तरह कुछ गेहूं-प्रजनकों ने भी बाहर के देशों में खाद्य एवं कृषि संगठन एवं अन्य संस्थाओं की सेवा स्वीकार कर ली है, पर उनमें से सभी लोग परदेश जाकर बसे नहीं है। जो लोग खाद्य एवं कृषि संगठन तथा राष्ट्र संघ की ऐसी ही एजेंसियों की सेवा में चले गये हैं, उनकी सिफारिश सरकार ने विकासशील देशों की सहायता करने की अपनी नीति के अनुसार की थी। भारतीय वैज्ञानिकों के विदेशों में नौकरी ढूंढ़ने और उसे स्वीकार करने के प्रमुख कारणों में से एक यह है कि विदेशी एजेंसियां आकर्षक वेतन और सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिन्हें देने की स्थिति में हमारा देश नहीं है। फिर भी, ऐसे कई मामलों में जिनमें हमारे वैज्ञानिक अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपीन और अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान केन्द्र, मैक्सिको जैसे अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों में नौकरी पाते हैं, वहां उच्च स्थानों पर हमारे वैज्ञानिकों के होने से परस्पर दोनों का लाभ होता है।

(ग) इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कर्मचारियों सम्बन्धी नयी नीतियां तैयार की जा रही हैं, जिनसे भारत में कृषि वैज्ञानिकों को, पदोन्नति और शैक्षणिक प्रगति के लिए अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। निकट भविष्य में कुछ विकसित देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों/संस्थानों में दिये जाने वाले वेतन के बराबर वेतन देना हमारे देश के लिए संभव नहीं होगा और सम्भव है कि अपने देश में काम करने की अपेक्षा कुछ वैज्ञानिक दूसरे देशों में काम करना स्वीकार करते रहें।

"डी० डी० ए० ड्यूप्ड आफ रूपीज 50 लैक्स" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

976. **श्री धामनकर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मई, 1974 के एक दैनिक समाचारपत्र में "डी० डी० ए० ड्यूप्ड आफ रूपीज 50 लैक्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचर की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण तथा आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) तथ्य इस प्रकार हैं :–

"अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य सलाहकार बोर्ड द्वारा निविदाएं आमंत्रित करके तथा सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के पश्चात मार्च, 1969 में एक ठेकेदार को दिया गया था। निर्माण कार्य के दौरान, ठेकेदार ने कुछ दावे किये और कुछ विवाद खड़ा किया। इस के परिणामस्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण न ठका रद्द कर दिया।

M/J(N)5LSS—9

ठेकेदार ने न्यायालय में दावा दायर कर दिया तथा यह मामला मध्यस्थता के लिये भेजा गया। मध्यस्थ द्वारा दिये गये पंचाट के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ा जा रहा है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को रोकना

977. **श्री वयालार रवि:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है तथा कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है और निर्माण कार्यों में संबंधित कार्यालयों को बन्द किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई निर्माण कार्य बन्द नहीं किया गया बताया गया है। परन्तु राज्य सरकार, जो केरल में केन्द्रीय सरकार की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का निष्पादन कर रही है, ने कुछ स्थानीय कार्यालय बन्द कर दिये हैं। बताया गया है कि कार्य स्थलों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को संबंधित ठेकेदारों ने रख लिया है और स्थानीय कार्यालयों के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं।

(ख) वित्तीय कठिनाई के कारण गैर प्राथमिकता का कोई भी नया कार्य नहीं किया जा रहा है। परन्तु ऐसे कार्य बाद में जब वित्तीय स्थिति सुधर जायेगी शुरू किये जायेंगे।

आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा केरल में विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि

978. **श्री वयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आवास तथा नगरीय विकास निगम ने केरल राज्य में विभिन्न योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की है ; और

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इस अवधि में राशि स्वीकृत की गई है तथा उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऋण हेतु आवेदनपत्र निगम के पास निर्णयाधीन पड़े हैं तथा इन आवेदन पत्रों पर निर्णय कब तक किये जायेंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):
(क) 273.75 लाख रुपये।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

केरल कृषि विश्वविद्यालय को 40 लाख रुपये के ऋण की एक योजना, आवास तथा नगर विकास निगम को प्राप्त हुई है जिसके बारे में कतिपय स्पष्टीकरण आवेदक से मांगे गये हैं। सामान्यतया योजना की स्वीकृति पर एक महीना लगता है बशर्ते कि यह आवास तथा नगर विकास निगम के मानदण्ड के अनुरूप हो।

विवरण

श्रावास तथा नगर विकास निगम द्वारा केरल में स्वीकृत की गई योजनाश्रों का ब्यौरा

क्रम सं०	योजना तथा श्रधिकरण का नाम	स्वीकृति की तिथि	ऋण की राशि (लाख रुपयों में)	फ्लैटों/मकानों की संख्या			प्लाटों की संख्या		टिप्पणी
				श्रार्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	निम्न श्राय वर्ग	मध्यम श्राय वर्ग	मध्यम श्राय वर्ग	दुकानें	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	केरल राज्य श्रावास बोर्ड की मेडिकल कालेज वास श्रावास योजना, त्रिवेन्द्रम	4.10.71	5.25	—	—	30	18	—	
2	केरल राज्य श्रावास बोर्ड की फेरुरकडा श्रावास योजना, त्रिवेन्द्रम	25.11.71	10.00	—	56	56	12	—	
3	केरल राज्य श्रावास बोर्ड की श्रराजपत्रित श्रधिकारी योजना, कालीकट	31.1.72	47.50	126	66	72	—	—	
4	केरल राज्य श्रावास बोर्ड के त्रिक्काकरा, कोचीन में श्रावास योजना	21.2.73	82.00	300	72	24	—	—	
5	केरल राज्य श्रावास बोर्ड का पुलिस कार्मिकों के लिये रिहायशी समूह, एर्नाकुलम	21.2.73	79.00	304 तथा एक पुलिस स्टेशन भवन	64	48	—	—	
6	केरल राज्य श्रवास बोर्ड की उल्लूर श्रावास योजना, त्रिवेन्द्रम	30.4.73	50.00	203	86	80	35	1	

त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय खेल-कूद संस्थान की स्थापना

979. **श्री वयालार रवि** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में एक क्षेत्रीय खेल-कूद संस्थान की स्थापना करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) सरकार ने, बंगलौर में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की दक्षिणी शाखा स्थापित करने के बारे में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान सोसायटी की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। दक्षिणी शाखा का उद्घाटन 2 अक्तूबर, 1974 को करने का विचार है।

दु:खी महिलाओं का पुनर्वास

980. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पति परित्याक्ताओं, वैश्याओं विधवाओं जैसे दु:खी महिलाओं का, चाहे वे सेवा में हों अथवा नहीं, पुनर्वास करने के लिए सरकार ने कोई नीति अपनाई है ताकि वे अपना तथा अपने बच्चों का निर्वाह कर सकें ;

(ख) क्या सरकारी रोजगार के अवसरों ने उनके लिए कोई प्राथमिकता निर्धारित की गई है ; और

(ग) क्या एसी महिलाओं के पुनर्वास के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से भी अनुरोध किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) से (ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का समाजिक आर्थिक कार्यक्रम दुखी स्त्रियों जैसे विधवाओं, निराश्रित स्त्रियों और परित्यक्त स्त्रियों का पुनर्वास करने तथा उन्हें रोजगार देने के लिए है। वदस्क स्त्रियों के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों की योजना के अधीन शैक्षिक प्रगति के लिए अवसर विद्यमान हैं, वेश्याओं पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 के अधीन आश्रमों की स्थापना की जाती है।

ऐसी स्त्रियों को सरकारी नौकरी देने में कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती है और न ही गैर-सरकारी क्षेत्र से इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध किया गया है।

उड़ीसा में कालेज अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान

981. **श्री शाम सुन्दर महापात्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार कालेज के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क वेतनमान के अनुसार वेतनमान देने को सहमत हो गई है और यदि हां, तो कब से ये वेतन दिये जायेंगे ; और

(ख) क्या इन वेतनों का भुगतान करने के लिये भारत सरकार का हिस्सा 80 प्रतिशत होगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 1-1-1973 से विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के वेतन-मानों का परि-शोधन हाल ही में स्वीकार किया है। योजना के कार्यान्वयन के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं तथा उन्हें शीघ्र ही सभी राज्य सरकारों को भेज दिए जाने की सम्भावना है। ब्यौरे भेजे जाने के बाद ही राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लिये जाने की संभावना है। भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि जो राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों और कालेजों में इन वेतनमानों को अपनाएगी, उन्हें परिशोधित वेतनमाननों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कन्द्र से सहायता के रूप में दिया जाएगा बशर्ते कि (1) राज्य सरकारें व्यय की पूरी बकाया राशि को वहन करेंगी तथा उसके किसी अंश का दायित्व विश्वविद्यालयों अथवा प्राइवेट कालेजो के प्रबन्धकों पर नहीं डालेगी ; तथा (2) राज्य सरकारें, 1 जनवरी, 1978 के बाद परिशोधित वेतन-मान देने की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगी।

बालासोर में छोटे पत्तन के विकास के लिए योजना

982. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बालासोर में जहां कभी नौवहन पत्तन था, एक छोटे पत्तन का विकास करने की कोई योजना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : जी, नहीं। पांचवीं पंच वर्षीय योजना प्रारूप में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए व्यस्था मुख्यत: उन योजनाओं के लिए अग्रेनीत व्यय के कारण हैं, जिन्हें चौथी पंच वर्षीय योजना काल में स्वीकृत किया गया था। छोटे पत्तनों के विकास के लिए अन्य नवीन कार्यों पर राज्य सरकारों द्वारा अपनी योजनाओं में शामिल करने के लिए विचार करना होगा। राज्य सरकार न बताया कि बालासौर में कोई योजना शुरू नहीं की गई है।

प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी नीति

983. **श्री हरिकिशोर सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार ने कोई नीति बनाई है, यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या प्राइवेट पब्लिक स्कूल प्रणाली इस नीति के अन्तर्गत आती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसी प्रणाली का विद्यमान रहना हमारे घोषित सामाजिक उद्देश्यों से किस प्रकार मेल खाता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) से (ग) सरकार की, शिक्षा के सम्बन्ध में सामान्य रूप से तथा प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष रूप से, नीति का उल्लेख, 1968 में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है । दश म शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति में निम्नलिखित सिद्धान्त शामिल किए गए हैं :—

14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कि जाने से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत निर्देशात्मक सिद्धान्त की शीघ्र पूर्ति करने हेतु भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिएं ।

समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु भरसक प्रयत्न किए जाने चाहिएं ।

सामाजिक सम्बद्धता तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु, शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश की गई आम शिक्षा प्रणाली अपनाई जानी चाहिएं ।

पब्लिक स्कूलों जैसे सभी विशेष स्कूलों में दाखिला योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए और समाजिक वर्गों के अलगाउपन को दूर करने के लिए निर्धारित अनुपात में फीस माफ की जानी चाहिए । तथापि, इसका संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा ।

शिक्षा राज्य विषय होने के नाते राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को ही प्राथमिक शिक्षा नीति कार्यान्वित करनी है ।

देश की शिक्षा पद्धति में सरकार, स्थानीय निकायों तथा प्राइवेट प्रबन्धकों द्वारा चलाए जाने वाले स्कल शामिल हैं । अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनको संचालन करने की संवैधानिक व्यवस्थाओं के अलावा, अधिकांश राज्य सरकारों का यह मत है कि यदि प्राइवेट प्रबन्धक, यदि उनका नियंत्रण ठीक हो, तो वे देश में शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ।

Damage to Crop due to Frost

984. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether frost caused a great damage to the last Rabi crop ;

(b) whether not only the crops of Arhar, peas and grams, but the crop wheat was also badly damaged ?

(c) if so, the total production of this crop ; and

(d) the extent of which it will meet the country's demand for food grains ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) Frost in the northern parts of the country during the first fortnight of February 1974 caused some damage to Rabi Crops. Wheat and Rabi pulses were affected mainly in unirrigated areas. However, it is difficult to assess the extent of damage caused by frost.

(c) and (d) Final estimates of production of Rabi foodgrains for 1973-74 have not yet become available. In the absence of these estimates and also because of the fact that the demand for different foodgrains is elastic to a considerable extent being influenced by a number of factors such as, levels of incomes, substitutability in consumption among different foodgrains and other foodstuffs and their relative prices, etc., it is difficult to indicate the extent to which production of Rabi foodgrains in 1973-74 would meet the country's demand.

राज्यों में संकट ग्रस्त डेरियों को केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव

985. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1974 के समाचार पत्र में '4 यू०पी० डेरीज क्लोज ड्यू टू लैक आफ फंड्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या विभिन्न अन्य राज्यों तथा विशेषकर राजस्थान को इस प्रकार की कठिनाइयां महसूस हो रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो देश में दूध की समुचित सप्लाई बनाए रखने हेतु डेरियों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० पी० मोर्य) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान सहित अन्य राज्यों में ऐसी कोई वित्तीय कठिनाइयां सामने नहीं आई हैं ।

(ग) सभी राज्य सरकारो को ब्लाक ऋण और अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है और यह अलग-अलग कार्यक्रम या क्षेत्र के लिए नहीं होती है । यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करे ।

दिल्ली में पुलिस से खाद्य भंडारों की जाँच करने का अधिकार वापिस लिया जाना

986. श्री **नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली गेहूं लाइसेंस तथा नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार पुलिस से वापस ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्यान्नों के जमाखोरों पर नियंत्रण रखने के पुलिस के अधिकार पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेशों का जारी करना ऐसे जमाखोरों को रियायत देना है ;

(ग) यदि हां, तो जमाखोरों के पक्ष में ऐसे आदेश जारी करने के कारण क्या हैं ; और

(घ) सरकार एसे आदेशों को कब तक रद्द कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) व्यापारियों को अनुचित रूप से परेशान न करने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली गेहूं (लाइसेंसिंग तथा नियन्त्रण) आदेश, 1974 की धारा 17(1) में यह व्यवस्था करने के लिए 17 जून, 1974 को संशोधित किया है कि कोई भी पुलिस का अधिकारी जोकि उप निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, केवल खाद्य तथा सम्भरण आयुक्त द्वारा प्राधिकृत होने पर दाखिल, तलाशी, जब्त करने आदि के अधिकार का प्रयो कर सकता है। दिल्ली प्रशासन ने फिर पूर्ववत स्थिति पर आने के लिए, जिसमें कोई भी पुलिस का अधिकारी जोकि उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, खाद्य तथा सम्भरण आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किए बिना दाखिल तलाशी, जब्त करने आदि के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा, आदेश की धारा 17(1) का फिर संशोधन करने का निश्चय किया है। वे आदेश में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

"119 हाउसिंग स्कीम्ज सैंक्शन्ड"

987. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1974 के एक दैनिक समाचार पत्र में "119 हाउसिंग स्कीम्ज सैंक्शन्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उन राज्यों की सूची में राजस्थान का नाम शामिल नहीं किया गया है जहां इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है/किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां।

(ख) आवास तथा नगरविकास निगम द्वारा मंजूर की गई "119 आवास योजनाओं" में राजस्थान की 6 योजनाएं शामिल हैं जिनमें ऋण की राशि 723.80 लाख रूपये है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्य को समीक्षा करने के लिये समिति की स्थापना

988. **श्री रामभक्त पासवानः** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्य को समीक्षा करने के लिए हाल ही में एक समिति स्थापित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी हां।

(ख) विवरण I तथा II में दिये अनुसार।

विवरण I

समिति के सदस्यों के नाम

1. श्री आर० गोपालस्वामी,　　　　　　　　　　अध्यक्ष
संयुक्तसचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय,
नई दिल्ली

2. श्री वी० रामकृष्णन,　　　　　　　　　　सदस्य
प्रतिनिधि, भारत का प्रशासनिक स्टाफ कालेज,
हैदराबाद

3. श्री देव राज,　　　　　　　　　　सदस्य
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन अनुसंधान,
भारतीय लोक प्रशासन संस्था,
नई दिल्ली

4. श्री जे० एम० बेंजामिन,　　　　　　　　　　सदस्य
मुख्य वास्तुक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
नई दिल्ली

5. श्री प्रेम नाथ,　　　　　　　　　　सदस्य
वित्तीय सलाहकार,
वित्त मंत्रालय, **नई दिल्ली**

6. श्री एल० सी० गुप्त,　　　　　　　　　　सदस्य
निदेशक, (नगर विकास)
निर्माण और आवास मंत्रालय,
नई दिल्ली

विवरण II

समिति के निर्देश-पद

इस समिति का विचारार्थ विषय दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यों का समग्र रूप से मूल्यांकन करना तथा दिल्ली के विकास के लिए और अधिक उपाय सुझाना है। विशेषरूप से, य समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :–

(i) यह मूल्यांकन करना कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के विकास कार्य को बृहत्त योजना तथा क्षेत्रीय योजनाओं के अनुसार कहां तक आगे बढ़ा सका है।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकान निर्माण कार्यक्रम का तथा इसके लिए वित्त-व्यवस्था के कार्य का मूल्यांकन करना।

(iii) रिहायशी, वाणिज्यिकी तथा औद्योगिक और अन्य प्रयोजनार्थ भूमि के निपटान तथा मूल्य निर्धारण करने सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करना।

(iv) विभिन्न आय वर्गों के लिए भूखण्डों का विकास/फ्लैटों के निर्माण सम्बन्धी मामले पर बल देने को दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति का पुनरीक्षण।

(v) निर्मित आवास अर्थात मकानों/फ्लैटों, दुकानों, पणन केन्द्रों, बहुमंजिले वाणिज्यिक भवनों आदि का मूल्य निर्धारण करने तथा उनके आबंटन के सम्बन्ध में नीति का मूल्यांकन करना।

(vi) इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या विभिन्न योजनाओं में सेवारत कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य भत्तों को प्रदर्शित करने वाले ऊभरी प्रभार उचित हैं ; तथा

(vii) उपर्युक्त किन्हीं पहलुओं के सम्बन्ध में आगे और कदम उठाने के सम्बन्ध में सिफारिश करना।

दक्षिण दिल्ली की प्रविजन मर्चैंट्स एसोसियेशन द्वारा हड़ताल

989. श्री वरके जार्ज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जुलाई, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र के अनुसार दक्षिण दिल्ली के प्राविजन मर्चैण्ट्स एसोसिएशन ने 7 जुलाई, 1974 से तीन दिन की हड़ताल करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या जमा अनाज बाहर निकालने तथा मुनाफाखोरी के विरुद्ध मारे गए छापों के दौरान पुलिस और सिविल अधिकारियों द्वारा की गई कथित ज्यादतियों तथा अत्याचारों के विरोध में ऐसा निर्णय किया गया है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन से सूचना प्राप्त हुई थी।

(ख) हड़ताल इस कारण हुई थी।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, खान मार्केट में मार्किट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के हस्ताक्षेप के कारण 5–7–1974 को हल्ला गुल्ला हुआ था। इन पदाधिकारियों ने नरीक्षण कर्मचारियों के उनकी सरकारी ड्यूटी के निर्वाह करने के कार्य में हस्ताक्षेप किया था।

हैदराबाद से बिजयबाड़ा को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग

990 डा० के० एल० राव : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद से विजयबाड़ा को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नगर में प्रवेश करने पर बहुत ही तंग और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से गुजरता है,

(ख) क्या सरकार को वहां होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं के बारे में पता है जो कि इन तंग क्षेत्रों में भारी यातायात होने के कारण होती है ;

(ग) क्या गत छह वर्षों से वहां उपमार्गों का निर्माण करने की योजना विचाराधीन है ;

(घ) उपमार्गों का निर्माण करने की परियोजनाओं को आरम्भ करने तथा भीड़-भाड़ और उससे होने वाली क्षति को दूर करने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही कब की जायेगी ; और

(ङ) उपमार्ग का अंशतः उपयोग कब से प्रारम्भ हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) विजयवाड़ा की नगरपालिका सीमाओं के अन्तर्गत हैदराबाद विजयवाड़ा सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग 9) का भाग राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है और इसलिए इस नगर के इस भाग की सही स्थिति और उस पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है।

(ग) जी, हां। विजयवाड़ा उप-मार्ग, केवल हैदराबाद-विशाखापत्तनम यात्रा मार्ग के साथ साथ यातायात के लिए ही है।

(घ) कुछ कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है अर्थात विजयवाड़ा उप-मार्ग के एक भाग के लिए भूमि अधिग्रहणार्थ दो अनुमानों की स्वीकृति दे दी गई है और पहुंच मार्ग की शेष लम्बाई के लिए सरेखण के चुनावहेतु कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) इसके पूरे करने के लिए कोई निर्धारित तारीख नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। धन की काफी कमी है।

मद्रास से अंडमान तक जहाज चलाना

991. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे हड़ताल के दौरान 18 अप्रैल, 1974 से 8 जून, 1974 तक मद्रास और अंडमान के बीच कोई जहाज नहीं चलाया गया था जबकि कलकत्ता और अंडमान के बीच एकमात्र उपलब्ध जहाज को चलाया गया था जिसका कि संबंध विमान द्वारा भी जुड़ा हुआ है तथा इसके परिणामस्वरूप दक्षिण वासियों को अवकाश के दौरान परेशानी उठानी पड़ी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 18 अप्रैल को टी० एस० एस० 'रगंत' (जोकि 2 मई, 1974 को लौटा) की यात्रा के बाद मद्रास से अंडमान तक किसी यात्रा की व्यवस्था न की जा सकी, जब तक निम्नलिखित कारणों से 8 जून, 1974 को एस० एम० 'मुजफ्फरी' ने यात्रा न की (जो कि 4 जून, 1974 को अंडमान से मद्रास पहुंचा) ।

(1) टी० एस० एस० 'रगंत' रद्द करने के लिए हटाना, क्योंकि उसकी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र अप्रैल, 1974 को समाप्त हो गया था ।

(2) लगभग पांच सप्ताहों की प्रत्याशित सामान्य अवधि की अपेक्षा 18 मार्च, 1974 से लगभग नौ सप्ताहों तक वार्षिक सर्वेक्षण और मरम्मत के लिए कलकत्ता में रूके रहने के कारण एम० वी० "अंडमान" की तैयारी में देरी ।

नेशनल स्टूडण्टस यूनियन आफ इंडिया द्वारा कार्यवाही करने की धमकी

992. **श्री वरके जार्ज** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 जुलाई, 1974 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के अनुसार नेशनल स्टूडेण्ट्स यूनियन आफ इण्डिया नें सरकार को चेतावनी दी है कि यदि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें तथा लेखन सामग्री सस्ते मूल्य पर न दी गई, तो उन्हें सीधी कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ेगा;

(ख) क्या उन्होंने राज्य सरकारों को पाठ्य पुस्तक निगम स्थापित करने का भी सुझाव दिया है जिसे पाठय पुस्तकें और कापियां तैयार करने तथा वितरित करने का काम सौंपा जाये ;

(ग) क्या उनके अध्यक्ष ने काला धन, मूल्य वृद्धि तथा घिसीपिटी शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने के बारे में समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ करने की भी धमकी दी है; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या सहानुभूतिपूर्ण कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) जी हां।

(घ) भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा उपरोक्त मामलों के सम्बन्ध में पहले ही अनेक कदम उठाये जा चुके हैं।

सरकारी तथा सहकारी बीज भंडारों के माध्यम से घटिया किस्म के बीजों की कथित बिक्री

993. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का ध्यान पंत कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर के उपकुलपति द्वारा दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि लगभग 25 करोड़ रूपये मूल्य के घटिया बीज प्रतिवर्ष सरकारी तथा सहकारी बीज भंडारों द्वारा बेचे जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से पता चला है कि वे बीजों के धोखेबाजी से बेचे जाने के बारे में हाल ही में समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए सभी सम्बन्धित आरोपों के सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं। बीज अधिनियम को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो बीज बाजार में बेचे जाते हैं वे अधिनियम के अंतर्गत अंकुरण तथा शुद्धता की दृष्टि से न्यूनतम स्तर को पूरा करते हैं, राज्य सरकारें ही मुख्यतः उत्तरदायी है। राज्यों में बीज अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को लागू करने से पहले पुनरीक्षण करते समय पता चला कि इस काम के लिए कई राज्यों के पास अलग से कोई गुणा नियंत्रण मशीनरी नहीं है। अतः भारत सरकार ने सभी कृषि आदानों (जिनमें बीज भी शामिल हैं) के लिए अलग से एक गुण नियंत्रण मशीनरी स्थापित करने के विषय में राज्यों को सहायता देने का निर्णय किया है। इस कार्य के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की जा रही है।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड में श्रमिक विवाद को केरल को भेजी जाने वाली खाद्यान्न की सप्लाई के प्रश्न के साथ जोड़ना

994. श्री वरके जार्ज : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जुलाई, 1974 के एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र के अनुसार केरल सरकार ने फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड में श्रमिक विवाद को उस राज्य को भेजी जाने वाली खाद्यान की सप्लाई के प्रश्न के साथ जोड़ने के बारे में केन्द्रीय सरकार को विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या उचित कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार देखा है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर के कोचीन स्थित यूनिट में यूरिया का कुछ स्टाक फैक्ट्री में हड़ताल होने के कारण रुक गया था। केरल सरकार के अभ्यावेदन पर, उनको जुलाई, 1974 के लिए चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। इस अतिरिक्त आवंटन को सप्लाई करने के लिए अधिशेष राज्यों से केन्द्रीय पूल के लिए और चावल का प्राप्त करना आवश्यक था और यदि इन राज्यों को उर्वरकों का सभी उपलब्ध स्टाक तुरन्त आबंटित नहीं किया जाता तो अतिरिक्त चावल उपलब्ध नहीं हो पाता। इस स्थिति को केरल सरकार के ध्यान में ला दिया गया था और उनको यह सूचित कर दिया गया था कि जब तक वे फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर के कोचीन स्थित यूनिट से उर्वरक के स्टाक के निकलवाने के लिए हस्तक्षेप करने के बारे में तुरन्त पग नहीं उठाते हैं, तब तक केन्द्रीय सरकार के लिए उनको जुलाई मास के लिए चावल की अतिरिक्त मात्रा सप्लाई करना संभव नहीं हो पाएगा। इस पर केन्द्रीय सरकार को सूचित किया गया कि यूरिया के स्टाक की ढुलाई के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। केरल को चावल की सप्लाई बंद नहीं की गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थान प्रस्ताव पर इसलिए जोर नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि कल इस प्रस्ताव को ले लिया जाएगा क्योंकि यह बहुत गंभीर विषय है।

विशेषधिकार के प्रश्न के बारे में
Re: Question of Privilege
विदेश मंत्री द्वारा बजट सम्बन्धी केन्द्रीय जानकारी का कथित भेद खोला जाना

अध्यक्ष महोदय : अगर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो जाता तो मैं आपका नाम बुला लेता अब हम एक ध्यानाकर्षण मामले पर विचार करेंगे।

चार माननीय स्दस्यों ने विदेश मंत्री द्वारा कही गई किसी बात पर विशेषाधिकार का नोटिस दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय मुझे आपके सचिवालय ने सूचना दी है कि इसम मेरा भी नाम है। मैं संक्षेप में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

यह अनेक समाचारपत्रों में छपा है कि विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने एक सभा में भाषण करते हुए कहा है कि निर्माण कार्य में काम आने वाले सीमेंट और इस्पात पर एक सप्ताह में और पाबंदियां लगने वाली है उन्होंने दोहरी मूल्य नीति का स्पष्ट संकेत दिया है यह दूसरी बार है कि 31-7-74 को पूरक बजट प्रस्तुत होने के ठीक पहले सरकार के एक वरिष्ठ प्रवक्ता नें ऐसी बातें कही हैं। जोकि विशेषाधिकार भंग करती हैं और बजट के भेद का रहस्योदघाटन करती है। मुझे संदेह है कि यह जानबूझ कर किया जा रहा है ताकि जनता को भारी करों को सहन करने के लिए तैयार कर लिया जाए और इससे मूल्यों में और वृद्धि होगी यह साफ विशेषाधिकार हटने का मामला है और इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए।

श्री सेझियान (कुम्बाकोणय) : विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह ने 27 जुलाई 1974 को नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एक बैठक का उदघाटन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण नीति सम्बधी घोषणाएं की है। अनेक समाचारपत्रों ने उनके वक्तव्य को प्रकाशित किया है। देश के मुख्य समाचारपत्रों के अनुसार उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में सीमेंट और इस्पात की सप्लाई पर पाबंदियां लगायी जा रही है। यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय मंत्री ने लोक सभा की सगावधि के दौरान नीति निर्णय की घोषणा सदन से बाहर की।

इस मामले में विशेषाधिकार के प्रश्न पर उसी आधार पर विचार करना होगा जैसा कि केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन के मामले में किया गया है जोकि तीन दिन पहले विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है, यह मामला भी विशेषाधिकार समिति को भेजा जाने योग्य है और आप विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय ले सकते हैं।

श्री श्यामनदन मिश्र (बेगुसराय) : मंत्री महोदय ने हाल ही में पेश होने वाले बजट के सम्बंध में सुझाव देकर विशेषाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। उन्होंने दोहरी मूल्य नीति की ओर संकेत किया है इसका कराधान से भी सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता है। इससे संसद के वितीय तथा कराधान संबधी मूल्य अधिकार भी प्रभावित हुए हैं। सदन द्वारा इसी मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह ने सगावधि के दौरान नीति निर्णय की घोषणा सदन से बाहर की है। उन्होंने इस आशय का वक्तव्य दिया है कि देश में पहले ही काफी वस्तुओं की कालाबाजारी हो रही है। मंत्री महोदय का यह वक्तव्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने वाला तथा इस्पात और सीमेंट को कालाबाजारी कराने में सहायक है। अतः यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए।

विदेश मंत्री (श्री स्वंण सिंह) : नैशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन की स्थापना के 20 वर्ष पुरे होने के उपलक्ष में जो समारोह आयोजित किया गया था उसमें मैंने भी भाग लिया था और वहां जो कुछ मैंने कहा संवाददाताओं द्वारा उसकी गलत ढंग से व्याख्या की गई।

नैशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन एक तकनीकी संगठन है जिसका एक कार्य मंहगे सामान के बदले में वैकल्पिक सामान का पता लगाना है अतः बजट या मूल्यों अथवा कराधान के संबंध में मेरा कुछ कहने का सवाल ही नहीं उठता। संवाददाताओं ने जो कुछ कहा है वह मेरे वक्तव्य से भिन्न है। मैंने यही कहा कि इंजीनियरों, तकनीशियनों और वास्तुविदों को देश की वर्तमान आर्थिक स्थितियों पर विचार करना चाहिए और यही बात में अब भी 20 बार दोहराने के लिए तैयार हूं। मैंने जो कुछ कहा है उस के लिए उत्तरदायी हूं उस व्याख्या के लिए उत्तदायी हूं जो किसी संवाददाता द्वारा की गई है। जो कुछ मैंने कहा है उसे मैं दुबारा कहने के लिए तैयार हूं क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं है और मैं परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हूं।

माननीय सदस्य श्री जी० विश्वनाथन ने कहा है कि मैंने नीति निर्णय की घोषणा सदन से बाहर की है। मैं यह जानना चाहता हूं यह किस नीति निर्णय का उल्लेख कर रहे हैं। हमने देश की आर्थिक

स्थिति पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव में कहा है कि देश में जिन वस्तुओं का अभाव है, जिसे सीमेंट और स्टील इत्यादि, उनका उपयोग केवल क्रियाशील बिल्डिंगों के लिए ही दिया जाए। हम इस बारे में भाषण देते हैं कि स्टील और सीमेंट आदि के उपयोग को कम किया जाए। टैकनिकल पदार्थों, चूना सुरखी आदि, का उपयोग किया जाए। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह गंभीरता से इस प्रश्न पर विचार करें कि यह विशेषाधिकार भंग का मामला है या नहीं वह इस बात को देखें कि जो कुछ इस संबंध में कहा जा रहा है उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं अथवा किसी के द्वारा की गई उसकी व्याख्या।

एक सप्ताह के भीतर वाक्यांश का उल्लेख किया गया है। किसी भी पदार्थ पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध का बजट के साथ कुछ संबंध नहीं है। श्री बसु तो हम जो कुछ भी कहें उसका संबंध बजट से जोड़ लेते हैं। उदाहरणार्थ यदि मैं कहूं कि एक सप्ताह के भीतर पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के साथ एक बैठक होगी तो वह इसको भी बजट के साथ संबंध करेंगे। यदि सप्ताह शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसको अनावश्यक रूप से बजट के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

इसके पीछे क्या तर्क है मैं इसे समझने में असफल हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके लिए विशेषाधिकार भंग करने के लिए दोषी ठहराया जाऊं अगर इस तरह नोटिस जारी करके हमें सफाई देने के लिए कहा जाए तो यह हमारे उन अधिकारों का हनन है।

श्री सेझियान : मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा कि नई नीति के अनुसार क्रियाशील भवनों के निर्माण पर बल दिया जाएगा। जब एक नई नीति बनाई जा रही है और नए प्रतिबंध लगाए जाने वाले हैं तो क्या मंत्री महोदय का यह कर्त्तव्य नहीं है कि बाहर इस संबंध में कुछ कहने से पहले वह इस तथ्य से सदन को अवगत कराएं? मंत्री महोदय द्वारा सदन से बाहर की गई घोषणा अनुचित और संसदीय प्रजातंत्र के विरुद्ध है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr speaker, Sir a similar matter had been raised last week also. It was connected with an official and we had referred it to the Privileges Committee. Before giving any decision you should keep this in mind that there should not be two yards sticks for judging such things one for the officials and another for the Ministers.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय मंत्री ने 'एक सप्ताह के भीतर' वाक्यांश को गोल मोल करने का यत्न किया है। उनके इस वक्तव्य और आगामी बजट के बीच स्पष्ट संबंध दिखाई पड़ता है किसी भी नई नीति की घोषणा सदन के बाहर नहीं की जा सकती। मंत्री महोदय सारा दोष समाचार ऐजंसी पर डालने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री एस० एम० बेनर्जी (कानपुर) : श्री स्वर्ण सिंह ने जो कुछ कहा है वह ठीक है अथवा प्रैस संवाददाता की बात ठीक है। इस बात को हम नहीं जानते। यदि उनके वक्तव्य की गलत व्याख्या की गई है तो प्रैस संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश होगा पर किसी भी हालत में सरदार स्वर्ण सिंह को अपनी जिम्मेदारियों से जी नहीं चुराना चाहिए। उन्हें हिम्मत से विशेषाधिकार समिति के समक्ष जाना चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगजीत सिंह के मामले का उल्लेख किया गया है। बाह्य रुप से देखने में श्री जगजीत सिंह के और इस मामले में कोई साम्य नहीं है। अतः मैं अपना विनिर्णय देने से पहले उस दिन की कार्यवाही देखना चाहता हूं। इस मामले को स्थगित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
Papers Laid on the Table

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944, विदेश यात्रा कर (संशोधन) नियम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून 1973 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) सा० सां० नि० 759, जो भारत राजपत्र दिनाक 20 जुलाई 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 760 जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 जुलाई, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन :
(ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 8067/74)

(2) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अन्तर्गत विदेश यात्रा कर (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 जुलाई 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 734 में प्रकाशित हुए थे।
(ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 8068/74)

(3) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1973 को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा निगम की आस्तियां और दायित्व तथा लाभ और हानि लेखे दिखाने वाला विवरण।
(ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8069/74)

चीनी (वर्ष 1973-74 के उत्पादन के लिए मुल्य निर्धारण) संशोधन आदेश 1974

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) क अन्तर्गत चीनी (वर्ष 1973—74) के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण, छठा संशोधन आदेश,

1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक, 24 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 279 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 8070/74)

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत और अधिसूचनाएं और महाराष्ट्र कृषि—उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 196 (ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) उर्वरक (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1974, जो भारत के राजपत्र दिनांक 28 जून, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 292 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 8071/74)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत महाराष्ट्र कृषि—उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1972—73 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 8072/74)

समुद्रनाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड (संशोधन) नियम 1974 और विशेष अधिसूचनाओं को रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं सभा-पटल प निम्नलिखित पत्र रखता हूं :

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समुद्रीनाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 4 मई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 444 में प्रकाशित हुये थे ।

(ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 8073/74)

*अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 339 तथा सा० सां० नि० 374 जो क्रमशः भारत के राजपत्र दिनांक 30 मार्च, 1974 और 6 अप्रैल, 1974 में प्रकाशित हुई थी को सभा-पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 8074/74)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (7वां संशोधन) नियम 1974

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं सभा-पटल पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (7वां संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 336 (ङ) में प्रकाशित हुये थे, रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 8075/74)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
Calling attenton to a matter of urgent Public Importance

आसाम के विभिन्न भागों में भूख से मृत्यु तथा लाचारी के कारण बच्चों को बेचे जाने का समाचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, I had given notice of an adjonrnment motion regarding food situation in the Country whereas this motion is only about Assam. Therefore you may either admit the adjournment motion or allow us to ask question about other States also or a special debate may be allowed thereon.

Mr. Speaker : We can consider that in the Business Advisory Committee.

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : श्रीमन् मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"आसाम के विभिन्न भागों विशेषकर नागालैंड के सीमावर्ती उत्तर तारम क्षेत्र, ग्वालपाडा और कामरूप ज़िलों में भूख से मृत्यु तथा लाचारी के कारण बच्चों को बेचें जाने का समाचार।"

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : आसाम के कुछ भागों में भुखमरी से मौतों और लाचारी में बच्चों को बेचने की कुछ कथित घटनाएँ होने के बारे में समाचार सरकार के ध्यान में आया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विशेषतया आसाम के गोलपारा

*अधिसूचनाएँ क्रमशः 30 अप्रैल, 1974 और 3 मई, 1974 को सभा पटल पर रखी गई थी।

और कामरूप जिलों में यथाकथित भुखमरी से मौतों और लाचारी में बच्चों को बेचने की कोई वारदात नहीं हुई है। तथापि, इस मामले में किसी प्रकार का सन्देह न रहने देने के लिये, राज्य सरकार प्रेस में छपे मामलों की बारीकी से जांच कर रही है।

आसाम चावल की दृष्टि से प्राय: अधिशेष राज्य है। वहां खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता सामान्य बतायी जाती है यद्यपि खाद्यान्नों के मूल्यों का मौजूदा स्तर ऊंचा चल रहा है और हाल ही की बाढ़ों से भी प्रभावित क्षेत्रों में कुछ संकट पैदा हुआ है। 1974 की पहली छमाही के दौरान राज्य सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लगभग 1.31 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का वितरण किया था। इस वर्ष बाजार में मोटे अनाजों और गेहूं की उपलब्धता में भी सुधार हुआ है क्योंकि व्यापारिक खाते में कुछ स्टाक भेजा गया है और भेजा जा रहा है।

सामान्य मानसून से खरीफ की बुवाई अनुकूल परिथिस्तियों में हुई है। आसाम में खड़ी फसलों की स्थिति भी संतोषजनक बतायी जाती है। तथापि राज्य सरकार के परामर्श से खाद्य स्थिति की बराबर समीक्षा की जा रही है और यथावश्यक स्थिति का मुकाबला करने के लिये राज्य सरकार को यथा अपेक्षित सहायता प्रदान की जाएगी।

***श्री अजीत कुमार साहा** (विष्णुपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि भूख के कारण किसी व्यक्ति को मृत्यु नहीं हुई। उनके इस उत्तर से मुझे बड़ी हैरानी हुई है क्योंकि हम रोज समाचारपत्रों में इस बारे में पढ़ते है। सरकार को इस मामले को स्पष्ट करना चाहिये। लोगों को खाने के लिये अच्छे पदार्थ नहीं मिल रहे वह न खाने योग्य पदार्थ खा रहे है और परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो रही है।

कांग्रेस सरकार का कहना है कि वह देश को समाजवाद की ओर ले जा रही है लेकिन इस समाजवाद में लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है मां भूख की खातिर बच्चों को बेच रही है दिन प्रतिदिन कीमतें बढ़ रही है जीवन आवश्यक वस्तुएं भी आम जनता की पहुंच से बाहर हो गई है सैकड़ो हजारों ग्रामीण बेकार हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं। ऐसा सब कुछ सरकार की जन विरोधी नीति के कारण है।

आसाम में ही नहीं अपितु देश के अन्य भागों में भी लोगो के भूख से मरने के समाचार प्राप्त हुए है लेकिन आसाम और पश्चिम बंगाल के जिलों जैसे बांकुरा और पुरुलिया में स्थिति ज्यादा ही खराब है। चावल 4 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। आसाम और पश्चिम बंगाल की सरकार अपने लक्ष्य के अनुरुप प्रर्याप्त खाद्यान्न की वसूली करने में बिल्कुल असमर्थ सिद्ध हुई है लेकिन मुनाफाखोरी और चोर बाजारी करने वालों को स्थानीय मंत्रियों और विधान सभा के सदस्यों से सहायता प्राप्त हो रही है। सरकार लाचार है और गरीब लोग चोर बाजारी करने वालों की दया पर निर्भर है। गोल पाड़ा और कामरूप जिलों की उचित दर

***बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।**

***Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.**

की दुकानों में हफ्तों तक सामान नहीं आता और मोटे किस्म का चावल भी 4 रुपय प्रति किलों तक बिकता है इसी प्रकार पश्चिम बंगाल ने चावल की न्यूनतम औसतन कीमत तीन रुपये प्रति किलो है अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में इस की कीमत 3.50 रुपये प्रति किलो है जो कि एक भूमिहीन श्रमिक की एक दिन की मंजूरी से ज्यादा है और ऐसे श्रमिकों का अनुपात वहां की कुल जन संख्या का एक तिहाई है ।

धनाभाव एक मुख्य रुकावट है । बांकुरा और पुरलिया के कुछ क्षेत्रों में सैकंड़ों की संख्या में लोग गांव में भोजन लूट रहे है । अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है । बंगाली समाचार पत्र जनशक्ति के अनुसार बांकुरा में 40 व्यक्तियों की भूख से मृत्यु हुई । राजग्राम की एक औरत ने अपने 3 साल के बच्चे को 5 रुपये और एक साड़ी की खातिर बेच दिया । इससे आप अनुमान लगा सकते है कि आसाम और पश्चिम बंगाल के लोगों की स्थिति कितनी दयनीय है ।

मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस गंभिर स्थिति से निपटन के लिये वहां तुरन्त पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेजेगी वहां के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में राशन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु क्या उपाय किए जा रहें हैं ? क्या कन्द्र सरकार ने आसाम में राज्य सरकार को निशु:ल्क रसोई खोलने के लिये निर्देश दिए हैं ताकि वहां की 20 प्रति शत अति निर्धन जनता को खाना दिया जा सके ? क्या सरकार इन सभी क्षेत्रों को जहां लोगों की भूख से मृत्यु हो रही है अकाल पीड़ीत क्षेत्र घोषित करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : समाचार पत्रों में जब ऐसी घटनायें प्रकाशित की गई तो सरकार ने मामले की जांच की और आसाम सरकार को भी जांच करने के लिये कहा । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूख से लोगों की मृत्यु होने का कोई समाचार नहीं मिला फिर भी इस मामले में किसी प्रकार का संदेह न रहने देने के लिये राज्य सरकार प्रेस में छपे मामलों की बारीकी से जांच कर रही है ।

माननीय, सदस्य ने कहा है कि आसाम में उचित दर की दुकानें नही है । उनका यह कथन सही नहीं । इस समय राज्य में 11,500 उचित दर की दुकानें हैं । वितरण व्यवस्था ठीक उसी स्तर पर चल रही है जिस प्रकार पिछले वर्ष अथवा पिछले महीने तक चल रही थी । खाद्य निगम के पास 85,000 टन का स्टाक है । सामान्यता महीने में 20,000 से 25,000 टन का वितरण होता है । स्टाक की स्थिति संतोषजनक है और इसकी तात्कालिक आवश्यकता पूरी हो जायेगी ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मूल्यों में वृद्धि हुई है किन्तु ऐसा आसाम राज्य के संबंध में ही नहीं अपितु देश के सभी भागों में हुआ है ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य विधान सभा के सदस्य और मंत्री चोर बाजारी करने वालों की सहायता कर रहें है । यह बहुत अनुचित वक्तव्य है । जहां तक इस संबंध में

की गई कार्यवाही का प्रश्न है में माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि हम राज्य सरकार से इस बारे में सम्पर्क बनाये हुए है । जब भी आवश्यक्ता पड़ी हम आसाम सरकार की अधिकतम सहायता करेंगे ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मंत्री महोदय ने कोई नया वक्तव्य नही दिया वही घिसा पिटा वक्तव्य है जिसे हम अंग्रेजों के काल से सुनने के आदी हो चुकें हैं । जब भी किसी के भूख के कारण मरने का समाचार मिलता है सरकार उस समाचार को गलत बताकर उससे इन्कार करती है । लेकिन यह समाचार हमारा मनगढंत नहीं है और न ही साम्यवादी दल का है । यह समाचार उस प्रैस का है जोकि सतारूढ़ दल की हिमायती है । उसकी समर्थक है जोकि उसकी हां में हां मिलाती है क्योंकि सतारूढ़ दल ही एकाधिकारियों की रक्षा करता है । जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है मैं उनके नाम बता सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय पीनसीन हुये ।
Mr. Deputy Speaker in the Chair

आसाम की स्थिति बहुत गंभीर है मंत्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण को पढ़ने पर ऐसा ज्ञात होता है जैसा कि वहां स्थिति बिल्कुल सामान्य है। चावल 4 रुपये प्रति किलो बिक रहा है पर सरकार को स्थिति सामान्य लग रही है । समाचार पत्रों में अभी भी लोगों के भूख से मरने के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। नागालैण्ड के सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर तारम में महिलाओं और दो बच्चों के मरने का समाचार प्राप्त हुआ है ।

आसाम में राशन की व्यवस्था भी ठीक नहीं । गोहाटी में कार्ड धारियों को प्रति व्यक्ति 2.8 किलो चावल और 2.8 किलो आटा प्रति माह दिया जा रहा है । गांवों में तो स्थिति और बदतर हैं । उन्हें तो प्रति व्यक्ति 300 ग्राम चावल और 300 ग्राम आटा प्रति समाह दिया जाता है। सरकार के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेने से भी स्थिति में कोई विशेष परिर्वतन नही आया। सरकार वसूली करने में असमर्थ रही है । वसूली लक्ष्य 24 लाख क्विंटल था जबकि वास्तविक वसूली केवल 16 से 17 लाख क्विंटल तक हुई। यदि निर्धारित लक्ष्य की वसूली हो जाती तो भी मुश्किल से 6–8 प्रतिशत जनसंख्या को लाभ पहुंचता । यह सच है कि उत्पादन पिछले वर्ष 24 लाख मीटरी टन था । लेकिन यदि उचित वसूली और वितरण हो जाता तो 1.60 करोड़ जनता को 500 ग्राम राशन प्रति दिन मिल जाता । राज्य तंत्र जमाखोरों और मुनाफाखोंरो के चुंगल में फंसी हुई है ।

जिन लोगों की भूख से मृत्यु हुई मैं उनके नाम बता सकता हूं। 'हिन्दुस्तान टाइम्ज' 'टाइम्ज आफ इंडिया' 'ट्रिब्यून' आदि सभी समाचार पत्रों में लोगों के भूख से मरने के समाचार दिये गये हैं ।

अत: मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी और आसाम की आवश्यकतानुसार वहां खाद्यान्न की सप्लाई की जायेगी ताकि लोगों ो मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसाकि मैंने पहले भी बताया हमने आसाम सरकार से इन मामलों की जांच करने का अनुरोध किया है और राज्य सरकार ने बताया कि यह समाचार सही नहीं ।

यह कहना भी सही नहीं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में वसूली असफल रही है । उदाहरण स्वरुप 1970–71 में 83,000 टन की वसूली हुई, 1971–72 में 87,000 टन, 1972–73 में 89,000 टन और 1973–74 में 1,12,000 टन की वसूली हुई । अत: यह अनुमान नितान्त रूप से गलत है कि वसूली पूर्णतया असफल रही । समस्या केवल ऊंची कीमतों की है और हाल ही में वहां बाढ़ भी आई है । आसाम में बाढ़ों का आना कोई नई बात नहीं । ब्रह्मपुत्र के प्रकोप से जरूर कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं । परन्तु आसाम सरकार स्थिति से अवगत है और जहां राहत की आवश्यकता है वह सहायता दे रही है । यदि आसाम सरकार को केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता पड़ी तो केन्द्र सरकार अवश्य उनकी सहायता करेगी ।

जहां तक समाचार पत्रों में भूख से मरने वाले व्यक्तियों के नामों का संबंध है प्रत्येक के मामले में पृथक पृथक रूप से जांच की गई है । इन व्यक्तियों की मृत्यु किन्ही अन्य कारणों से हुई है ।

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : विरोधी पक्ष के नेता समाचार पत्रों के संपादको के साथ मिलकर देश के प्रत्येक राज्य में जे० पी० टाइप के आन्दोलन का बीजारोपण करना चाहता है । इसलिए वह भूख के कारण हुई मृत्यु का इतना प्रचार कर रहे ह ताकि देश की सरकार के विरूद्ध जनता के मन में विरोध की भावना भरी जा सके ।

यह कहा गया है कि खरीफ की वसूली का निर्धारित लक्ष्य 24 लाख क्विटल था किन्तु 17 लाख क्विटल की वसूली हुई । पिछले वर्ष राष्ट्रीय वसूली के लक्ष्य के केवल आधे की प्राप्ति होने पर भी उसे सफलता का चरण माना गया । यहां तो 24 लाख क्विटल में से 17 लाख क्विटल की वसूली हुई है ।

गोहाटी में जितना अनाज कार्ड धारियों को मिलता है उतना ही बम्बई और कलकत्ता में भी मिलता है । मुझ से पहले वक्ता के भाषण से तो एसा प्रतीत हुआ जसे कि देश में अकाल पड़ा हो और हर कोई भूख से मर रहा है मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य किस विषय पर बोलना चाहते थे क्या वह अनाज क अधिग्रहण के विरूद्ध है अथवा अनाज की वितरण प्रणाली के अथवा भारत में अपनाई जाने वाली सहकारी पद्धति के विरूद्ध है। उद्धृत किए गए समाचार मनगढ़न्त है, बनाए हुए हैं और इनका उद्देश्य केवल सरकार की निन्दा करना है ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है हमें इसका सामना करना है । किन्तु विरोधी पक्ष का कार्य तो सरकार द्वारा इस संबंध में अपनाए जाने वाले सभी उपायों की भर्त्सना करना है । क्या सरकार ऐसे गढ़ हुए समाचारों को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

समितियों के लिए निर्वाचनन
Elections o Committees

(एक) समुद्री नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि समुद्री नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4(ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन समुद्री नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि समुद्री नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन समुद्री नाविक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

(दो) राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के दिनांक 9 सितम्बर 1966 के संकल्प संख्या एफ० 10–1/65–फेट के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त संकल्प के उपबन्धों के अध्याधीन राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता के दिनांक 9 सितम्बर, 1966 के संकल्प संख्या एफ० 10–1/65–फेट के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें उक्त संकल्प के उपबन्धों के अध्याधीन राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन, समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
Matter under Rule 377

(एक) कोसी तथा गंगा में बाढ़ के कारण बिहार में भूमि-कटाव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को लेंगे । श्री ज्योतिर्मय बसु ने भारत के उत्तर-पूर्व भाग में हुई कुछ गंभीर घटनाओं की ओर जिनका देश की सुरक्षा से बहुत महत्वपूर्ण संबन्ध है, ध्यान आकर्षित किया है अत: मैं उसको स्वीकार करता हूं और नियम 377 के अन्तर्गत दिए गए मामले को निपटा कर बाद में हम उक्त मामले को लेंगें ।

Shri G.P. Yadav (Katihar) : Mr. Deputy speaker, Sir a very serious situation has arisen in Khagaria, Navgachia and Katihar sub-divisions of Bihar on account of floods in the Kosi. The Government had a plan to make Manymore village of Nangachia sub-division as an ideal village in 1971. I want to know what has happened to that plan. Floods in Kosi has eroded a large tract of cultivable land while floods in Ganga are threatening National Highway No. 31 and the railway station near Mansi. The water there has reached the danger mark and if the Highway is submerged we will be totally cut off from Assam, therefore I request that the Irrigation Minister should pay attention to this. Every year thousands of acre of cultivable land of these subdivisions is eroded. I want to know whether Government has any scheme to help those farmers who are hit by land erosion.

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : The Government of Bihar is quite alive to the situation and has been taking steps to save the people from land erosion. So far as the dangers to National Highway No. 31 and the nearby station is concerned the Central Government has appointed a Committee to look into the matter and it has submitted a report. According to that report necessary work has to be taken this year and next year. All efforts will be made to see that the work is completed in time.

(दो) मेघालय में बार्डर रोड स्टाफ फोर्स के कर्मचारियों द्वारा लोगों पर हमले

मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हैं । हो सकता है सदस्य उत्तर से संतुष्ट न हो ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेघालय विधान सभा के सदस्य श्री पोहसना तथा जयन्तिया हिल्स मूवमेंट के अध्यक्ष से कल एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया था कि सीमा सड़क संगठन की पायनियर कम्पनी ने उत्सव मना रहे भोले-भाले लोगों पर गोलियां चलाई जिसके परिणाम स्वरूप दो व्यक्ति मारे गए और कई लोग घायल हो गए । इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाए ।

मामले के तथ्य इस प्रकार हैं । जवाई-वदरपुर से आठ मील दूर सांडों की लड़ाई देखने के लिए जयन्तिया हिल्स की जनता 11 जुलाई को एकत्र हुई थी । उस समय वहां सीमा सड़क कर्मी

दल के सदस्य भी उपस्थित थे। पता लगा है कि सांडों की लड़ाई के बाद कर्मी दल के सदस्यों ने लड़कियों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके परिणाम स्वरूप वहां झगड़ा हो गया और कई आदमी मारे गये तथा अन्य घायल हो गए। हालांकि इस घटना को 16 दिन बीत गए हैं फिर भी न तो संसद में ही कुछ बताया गया है और न अखबारों में कोई खबर छपी है। हम यह जानना चाहते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है? क्या दोषियों को पकड़ा गया और सजा दी गई है? सीमा सड़क संगठन ने सड़कों के सुधार की ओर ध्यान न देकर वहां के शान्तिप्रिय लोगों को तंग करना शुरु कर दिया है। क्या सरकार इस संगठन को वहां से वापिस बुलाएगी? मणिपुर, नागा हिल्स में भी ऐसी ही घटनाएं हुई है। सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे अल्प सूचना प्रश्न पर रक्षा मंत्री वक्तव्य नहीं दे सकते। यदि माननीय सदस्य ने सही बताया है तो तथ्य बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इस घटना से न केवल लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है बल्कि देश की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। संसदीय कार्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह सदस्य द्वारा कही गई बात को रक्षा मंत्री तक पहुंचा दें। रक्षा मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए और बताना चाहिए कि घटना के तथ्य क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है?

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर 30 मिनट म. प. तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बजकर तेंतीस मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई।

The lok Sabha reassembled after Lunch at thirty-three minutes past Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।
Mr. Deputy Speaker in the Chair.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक पर पुनः चर्चा करेंगे :

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Thousands of people have been rendered unemployed due to closure of bakeries. I want that Government should supply one million tonnes of wheat to Uttar Pradesh.

चलचित्र (द्वितीय संशोधन) विधेयक
Cinematograph (Second Amendment) Bill

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : किसी भी अच्छ और सुसभ्य समाज म सेंसर का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। परन्तु प्रजातांत्रिक देश में यह सुनिश्चित करना बहुत कठिन होता है कि सेंसर बोर्ड को किस सीमा तक काय करना है और उसको जन रुचि का कहां तक ध्यान रखना

चाहिए। सेंसर बोर्ड को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो जनमत को काबू में रखे अथवा जनमत जन-रुचि अथवा जनशिक्षा को नियन्त्रित करे। मंत्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संसद के कानून और नियम तथा विनियम और परम्पराओं के अन्तर्गत सेंसर बोर्ड का कार्य इस प्रकार हो कि वह चलचित्रों पर युक्तिसंगत नियन्त्रण से नागरिकों के मूल अधिकारों और स्वतन्त्रता को न छीने।

सेंसर का कार्य अत्यन्त नाजुक और उत्तरदायित्वपूर्ण है। कुछ सीमा तक इसका कार्य नकारात्मक भी है। यह बोर्ड जनता को कुछ चलचित्र न देखने की सलाह देता है तो कुछ चलचित्रों को देखने से उन्हें वंचित करता है। यह नकारात्मक कार्य जनता को पसन्द नहीं है। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि बोर्ड को नए जमाने की जिम्मेदारियों और चुनौतियों का सामना करना चाहिए। युग परिवर्तन के साथ लोगों की रुचियां भी बदलती जा रही हैं। कल जो बुरा समझा जाता था आज उसे अच्छा कहा जाता है और कल जिसे अच्छा समझा जाता था आज उसे बुरा कहा जाता है। हो सकता है कि सेंसर बोर्ड के सदस्यों के विचार अब अप्रचलित हो चुके हों।

आज हमारा देश और विश्व ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां स्वच्छंद समाज न केवल चर्चा बल्कि अनुभव का विषय बन गया है। हमें युवकों को समझने में उदारता से काम लेना चाहिए। इसलिए युवकों को ऐसी फिल्में देखने की अनुमति दी जानी चाहिए जो उन्हें रुचिकर लगती हों। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने टेलीविजन में शिक्षाप्रद कार्यक्रम दिखाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सृजनात्मकता, कला और कल्पना को सेंसर बोर्ड द्वारा दबाना नहीं चाहिए। सभ्यता, शिष्टाचार तथा समग्रता की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। फिल्म और टेलीविजन अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण साधन हैं। इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki) : I rise to support the Bill. The object of All India Congress Committee is not only to abolish social and economic inequality but also to protect culture, traditions, ideals and values of the country. I congratulate Shri Gujral for bringing a Comprehensive Bill after giving serious thought to it.

Our Film Industry is an important industry in the country and it is a media of entertainment for all age-groups.

Board of Censors was set up under the Cinematograph Act, 1952, with a view to ensure that no films are produced which adversely affect our security and relations with other countries and not to encourage in immorality in any way.

Board of Censors held its meeting on 2nd February, 1970 in which question of kissing and nudity was considered and it was decided that such film should not be exhibited. The Khosla Committee has also considered this question and observed that such films can be permitted for exhibition provided they are not in bad taste.

The policy of Government is evident as regards the exhibition of films in public yet different meanings are given to the morality, decency, good taste and art in different context by the members of the Board of Film Censors. It is also a fact that one member of the Board takes one particular scene as obscene while the other takes the same as artistic one. One scene in a particular picture is regarded as obscene while the similar scene in other picture is given clearance for exhibition. Probably for these reasons, the hon. Minister has brought forward this Bill and it will help eradicate evils presently rampant in the Board of Censors. Moreover, in answer to a question it was told that Government propose to accept the recommendations of Khosla Committee which observed that kissing and nudity could be shown if they were not in bad taste. But Government do not want that vulgar and indecent films should be produced. Inspite of this certain indecent films are produced. It is due to the fact that production of films is covered by the fundamental right of expression whenever our Government refused permission to such films the courts came in for their rescue. So it is no use blaming the Government for their policy in this regard.

I hope that this Bill will remove the existing shortcomings. The provision of a full time Chairman, members and assessors in the Board of Film Censors will result in greater control on the film. I also hope that only men of strong and good character and integrity will be appointed on the Board and they will act in the manner which will promote national interest with these words, I support the Bill.

श्री एन. टोम्बी सिंह (ग्रान्तरिक मणिपुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक विस्तृत है ग्रौर इसके फिल्म सैंसर बोर्ड के पुनर्गठन की व्यवस्था है किन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान बोर्ड के पुनर्गठन से या नया बोर्ड बना देने मात्र से समस्या हल हो जायेगी ?

जहां तक जन रूचि का सम्बंध है, एक विचित्र विरोधाभास नजर ग्राता है। पिछले कई दर्शकों से फिल्म उद्योग पर कोई नियंत्रण नहीं था ग्रौर उसका विकास ग्रपने ढंग से होता रहा। ऐसा लगता है कि एक ऐसी संकट किस्म की जनरूचि पैदा हो गई है जो न तो शुद्ध भारतीय हो ग्रौर न पाश्चात्य। जो चित्र दर्शाये जाते हैं उनका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है। ग्रत : मुख्य ग्रधिनियम में संशोधन करते समय इन सभी बातों पर सरकार ने ध्यान दिया है। सरकार ने इस दिशा में जो कार्यवाही की है, उसका स्वागत करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहुंगा। यह उचित समय है जब कि सरकार को फिल्म उद्योग के बारे में राष्ट्रीय नीति घोषित करनी चाहिए। जहां तक फिल्म उद्योग के राष्ट्रीय-करण का प्रश्न है, इस पर हमें सामाजिक मांग, कातिपय मूल्यों के संरक्षण तथा फिल्म उद्योग में एक नया मानक लाने की ग्रावश्यकता के संदर्भ में करना होगा। विदेशी फिल्मों के साथ भारतीय फिल्मों की तुलना में हमें यह स्वीकार करना होगा कि उनके ग्रपन नैतिक पहलू रुचि के साथ-साथ उनके तक-नीकी पूर्णता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास पूर्णत लम्बित होता है। ग्रत : मेरा ग्रनुरोध है कि सैंसर बोर्ड को यह ग्रनुदेश दिये जायें कि वह मूल्यों सुरुचि एवं कलापूर्णता के साथ-साथ चित्र की बैज्ञानिक दृष्टि से परिपूर्णता पर भी ध्यान दे।

एक अन्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या फिल्म उद्योग में वर्तमान प्रवृति को चलने दिया जाये फिल्म निर्माताओं और फिल्म सैंसर बोर्ड में शमुता रहती है क्योंकि निर्माता फिल्म के वाणिज्यिक पहलू और बोक्स आफिस पहलू पर ध्यान देता है। ऐसी बोकस आफिस सामग्री से भरपूर चित्र हमारे बच्चों पर दुषित प्रभाव डालती है। इस संदर्भ में फिल्म उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर पुन: विचार करना चाहिए। फिल्म उद्योग में ऐसा विकास किया जाना चाहिए जिससे भावी पीढ़ी के उत्थान में सहायक हो। इस बात का भी अध्ययन किया जाना चाहिये कि पर्दे पर प्रदर्शित चित्र और समाज के यथार्थ में कितना अन्तर है। यह अन्तर जितना हमारे देश में उतना अन्य देशों में नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इन सब पहलूओं की ओर आर्कषित करना चाहता हूं।

***श्री जे. माता गौडर** (नीलगिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री आई० के० गुजराल ने बताया कि खोसला समिति की सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक लाया गया है, इसके माध्यम से केन्द्रीय फिल्म सैंसर बोर्ड के गठन में परिवर्तन किया जायेगा और इससे उसके कार्यकरण में सुधार होगा। परन्तु मुझे इसमें संदेह है। मेरे विचार से यह विधेयक पुराने कानून में सुधार नहीं लायेगा। आप इस बात से सहमत होंगे कि सैंसर बोर्ड में अभी तक सेवा निवृत्ति आई० सी० एस० और आई० ए० एस० के अधिकारी रहे हैं बोर्ड में ये लोग नहीं रखे जाने चाहिये। संस्कृति, नैतिकता, सदाचार के आदर्श सामाजिक जीवन के तत्व हैं और इन पर सरकार की अपेक्षा समाज का नियंत्रण होना चाहिये। इस दृष्टि से फिल्म सैंसर करने का काम केन्द्रीय सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए बल्कि ये काम राज्य सरकारों को सौंपा जाना चाहिये क्योंकि भारत में अनेकताएं हैं। यहां अनेक भाषाएं संस्कृतियां, प्रथाएं और परम्पराएं हैं और वे एक राज्य से दूसरे राज्य से भिन्न है। इस लिये फिल्म सैंसर करने का काम राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिये। जहां तक क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का सम्बन्ध है, उनके लिये राज्य फिल्म सैंसर बोर्ड पर्याप्त है। ऐसी ही मांग तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री के० करूणानिधि ने की है। मुझे विश्वाश है कि केन्द्रीय मंत्री यह मांग स्वीकार कर लेंगे। विधेयक के खंड 11 (ग) में केन्द्रीय सरकार को असीम शक्तियां दी गई है। केन्द्रीय सैंसर बोर्ड बिना कारण बताये किसी भी चित्र पर प्रतिबंध लगा सकती है। जन व्यवस्था सदाचार, सुरूची आदि स्पष्टीकरण से परे है। इससे केन्द्रोय सरकार के हाथ में अनियंत्रित शक्ति आ गई है। और मै इसका विरोध करता हूं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें और फिल्म सैंसर करने का काम राज्य सरकारों को सौंप दें।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : I welcome the amendment brought by the Ministry of Shri Gujral. The censorship job will be set in proper order with this amendment. Under the provisions of the amending Bill Government will appoint wholetime Members for the purpose of streamlining the functioning of the Board, which remained a subject of much criticism. In this connection my submission is that the Members of the Board should

---

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

be learned and experienced persons. They shoud represent the different regions of the country so that they may be able to do justice to the films produced in regional languages also.

Regarding the standard of films. I state with regret that it has deteriorated in the recent years. It is having an adverse effect on formative minds of the teenagers. It is therefore imperative that obscene films are not allowed to be exhibited. At the same time proper attention should be paid to the script or story on which the film in based. This can help is avoiding many complications.

Lastly, I want to submit that a number of films are being smuggled to foreign Countries. Government should take necessary steps to stop "this drain of our foreign exchange effectively.

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुर) : वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा। इसके अनुसार बोर्ड में एक अध्यक्ष सहित, 6 पूर्णकालिक सदस्य होंगें। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान प्राक्कलन समिति के 1973-74 के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं। समिति द्वारा इसमें अनुरोध किया गया है कि फिल्म सेंसर बोर्ड तथा अपीलीय न्यायधिकरणों में सदस्यों की नियुक्ति करते समय सरकार इस बात की ओर ध्यान रखे कि केवल ईमानदार तथा इस उद्योग से सम्बद्ध व्यक्तियों को ही यह सदस्यता प्रदान की जाये। इसके साथ ही समिति ने यह भी चाहा है कि इन निकामों में फिल्म उद्योग के लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये।

आज तक इस सम्बन्ध में अनेक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। इनमें से एक खोसला समिति का प्रतिवेदन भी है। मेरा सुझाव यह है कि वर्तमान कानून में संशोधन करने के साथ साथ हमें बोर्ड को कुछ अधिकार भी देने चाहियें ताकि किसी प्रकार की आवांछनीय बातें सामनें न आयें।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे हिंसा और अश्लीलता पर रोक लगेगी।

Shri T. Sohan Lal (Delhi—Karol Bagh): Mr. Deputy Speaker, Sir, While welcoming the Cinematograph Bill, I want to make some suggestions for the considerations of hon. Minister. Today, most of the producers made films with their eyes on the post-office. My suggestion is that until and unless this industry is nationalised it is difficult to change the main object of film production. However vigilant our Government and the Censor Board may be, still some people succeed in getting such films passed as are obscene end are against our culture and civilization.

Now Television has become a common household thing in big cities of India. When a T.V. set is on, all the Members of the family see it. Therefore it increases the need of screening clean films on T.V. so that they could be enjoyed by all the Members of the family.

(**Shri Jagannath Rao Joshi in the Chair**)

(**श्री जगन्नाथराव जोशी पीठासीन हुए**)

My other suggestion is that Government should appoint only those persons as Members of the Board who have got sufficient knowledge of our art and culture. The appointment of simple I.A.S. officers is not going to serve much purpose. At the same time I endorse the suggestion made by Shri M. Ram Gopal Reddy that the script should be censored before the start of actual production of the film.

A huge amount is being spent on film Industry in India. Everybody who works in this industry is money mad whether he is an actor, a director or a producer. Vulgar scenes which one cut by the Censor Board are sold in black and shown as blue films. Sex is getting prominence in this industry. The girls of good families are being attracted towards by this industry for its name and fame. My suggestion is that Government should ensure that films of only good moral, national and cultural values are produced in our country. I do not mind if Cinema Houses are taken over by the Government for the purpose.

The Government has come forward for amending the Cinematograph Act after 24 years but I think that the working of this industry can be amended every year on the basis of our past experience and changed circumstances.

Shri R.R. Sharma (Banda) : Mr. Chairman, Sir, while presenting this Bill the hon. Minister has made certain references to Khosla Committee report and hence these amendments should also be seen in the same context. Today the films produced in our country have failed to achieve the objectives of national integration and character building. On the other hand, the films have propogated violence and vulgarity which has resulted in more serious crimes in the society. It is something very serious and Government should take serious note of it.

In committe report expressing opinion about a young boy of 23, it has been stated that Movies showed him the way to steel automobiles.

There is no use in bringing out piece meal Amendment. Cinematograph Act; it was enacted during 1952. Censorship rules were framed during 1958. Khosla committee report was presented during 1969 and this amendment was brought here during 1973. If the Government is actually serious to make references in standard of Films and that of Film industry it should bring about a comprehensive Bill. As has been stated in the Financial Memoranda, a sum of Rs. 2,75,000 would be spent on the implementation of this Bill. I feel that there is no necessity for incurring this huge sum.

As per section 5 of the Bill sanction for the film as a fit film for exhibition outside India is to be abandoned. How strange it is that the Films for exhibition outside India be closely examined and the standard of these for exhibition in the country is not so carefully examined.

Through the amendment I have preferred that there should be only five law members.

I stress upon the Minister to withdraw this Bill and bring a comprehensive Bill.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): I support this Bill in which it has been proposed that the Censor Board shall consist of 5 permanent paid members and 6 honorary members of which 3 shall be the representatives of the employees of the Film Industry.

This amendment has become necessary as so far the members were honorary and did not devote as much time as was needed.

The aim and theme of our Films 20—25 years hence was religious and social reforms. To-day our films, books and periodicals are going on without any aim and object. Our Films and literature should aim at propogation of our history, ideals and traditions. Even the story of the Films should be properly secrutinized.

What to talk of effect of Films even the posters displayed on the walls etc. and the dresses and hair style of the school and college girls and boys and the activities of the youth give a picture of the society in the formation. Our civilization and culture is very old. Even foreign civilization could not affect it, inspite of the fact that it came in touch with various foreign civilizations. So, we should try our best to preserve our culture. We should put a ban on persons who wear peculiar dresses and roam in the schools, cities and in the society and if necessary we should enact a law for the purpose. With these words I support the Bill.

श्री आई. के. गुजराल : मैं सभा के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस विषय पर सदस्यों ने बड़ी रूचि प्रदर्शित की है और चर्चा बड़ी फायदेमंद रही है। चर्चा से यह सपष्ट हो गया है कि फिल्म प्रचार के माध्यम का एक सशक्त साधन बन गई है और उनका सीधा प्रभाव मस्तिष्क विशेषकर युवा मस्तिष्क पर पड़ता है। दुर्भाग्य से आज सभी ललित कलायें चलचित्रों से प्रेरणा ले रहीं और चलचित्र कलाओं से प्रेरणा नहीं ले रही है। मेरे विचार से चलचित्र कलाओं से प्रेरित होने चाहियें न कि चलचित्र कलाओं के लिये मानक आदर्श बनें।

चलचित्रों का प्रभाव मस्तिष्क पर और विशेषकर बच्चों के मस्तिष्क पर कितना पड़ता है इसका अध्ययन खोसला समिति ने विस्तृत आधार पर किया। श्री फोरमैन द्वारा लिखित "अवर मुवी मेड चिल्ड्रन" नामक पुस्तक से उन्होंने अपने इस मत समर्थन में विभिन्न उदाहरण दिये है कि चलचित्रों का प्रभाव बड़ों या व्यस्कों की अपेक्षा बच्चों पर अधिक पड़ता है । अब प्रश्न उटता है कि क्या यह पूरे समाज के लिये विचारणीय प्रश्न नहीं है। क्या समाज इस संचार के माध्यम की उपेक्षा कर सकता है।

अब तक कुछ फिल्म निर्माता इस बात का प्रयास करतें रहें हैं कि कैसे वे शीघ्र से शीघ्र इस माध्यम का दुरूपयोग करके धनी बन जायें। उन्होंने सभ्यता, संस्कृति और समाज सुधार की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है। अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया था। अब समय आ गया है जबकि इस माध्यम पर समाजिक दृष्टि से नियंत्रण होना चाहिये। मैं समझता हुं कि उन फिल्म निर्माताओं को अधिक से अधिक अवसर दिये जाने चाहिये जो अपने आपको समाज के प्रति उत्तरदायी समझते हैं और समाज के प्रति जागरूक है और उस में सुधार लाना चाहते है। क्योंकि भारत जैसे देश में जहां संस्कृति और शिक्षा के प्रचार प्रसार की बहुत अधिक आवश्यकता है, यह दृश्य प्रचार का माध्यम बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है, यदि इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो पुरे समाज का मूल्दों की दृष्टि से विखंड़न हो जायेगा जैसा कि पाश्चात्य देशों में हुआ है। मैं यह दावा तो नहीं करता कि इस विधेयक के पारित हो जाने पर या फिल्म सैंसर बोर्ड के पुर्नगठन से चलचित्र उद्योग में एक दम आमूल परिर्वतन हो जायेगा परन्तु उस पर कुछ नियंत्रण अवश्य हो जायेगा। यदि फिल्म निर्माता यहां मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूं, लाभ की प्रवृति त्याग दें, तो समस्या का समाधान हो सकता है फिल्म उद्योग में लगे लोग इसे 'कामधेनू' समझते है। कई अच्छी कहानियां केवल इसलिये फिल्म नहीं बन पाती कि निर्माताओं की दृष्टि से वे लाभप्रद नहीं होंगी। जब तक फिल्म उद्योग को वित्त उपलब्ध नहीं होगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा।

इस दिशा में फिल्म वित्त निगम बनाकर हमने एक प्रयोग किया है और फिल्म उद्योग पर इसका बहुत हद तक अच्छा प्रभाव पड़ा है। जब तक सरकार यह निर्णय नहीं लेगी कि मनोंरजन कर का कुछ भाग फिल्म उद्योग पर लगाया जाये तब तक फिल्मी दुनियां में सुधार नहीं होगा। श्री सत्यजीत राय जैसे कुछ फिल्म निर्माताओं ने फिल्म उद्योग में एक नयी दिशा की शूरूवात की है। 'रिजनल सीनेमा और माईनोरिटी सीनेमा' तथा फिल्म चित्र निगम के प्रयासों से इस दिशा में कुछ सफलता मिली है। लोगों की प्रवृति में कुछ परिर्वतन आया है। सामाजिक मूल्यों में परिर्वतन केवल इच्छा मात्र से नहीं आ सकता। इसके लिये हमें पूंजी निवेश करना होगा और इसमें सरकार की जिम्मेदारी भी है। राज्य सरकारें मनोंरजन कर से प्रतिवर्ष लगभग 60 करोड़ रूपये की राशि कमाती है और गत 15 वर्षों में सरकार ने केवल एक करोड़ रूपये की राशि फिल्म वित्त निगम के माध्यम से खेंच की है। मुझे एसा लगता है कि जब तक सरकार की ओर से पूंजी निबेश नहीं बढ़ेगा तब तक फिल्म उद्योग से समाज को कोई लाभ नहीं होगा।

आज फिल्म उद्योग के क्षेत्र मे भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यहां सर्वाधिक फिल्में बनती है। हमारे फिल्म निर्माताओं ने कई समारोहों और प्रतियोगिताओं में यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे देश में भी कठिनाईयों के बाबजूद अच्छी फिल्में बन सकती है। इस विधेयक के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो सैंसर बोर्ड के सामने इस समय आती है सैंसर बोर्ड के सदस्यों को अब शक्ति दी जा रही है कि वे असभ्यता, नग्नता, कामुकता, कुरूचि, गुंडाषन, मानवीय मूल्यों के ह्रास से बलपुर्वक लड़ सकें। और सभ्यता संस्कृति, सुरूचि और कला की रक्षा कर सकें, यह सुनिश्चित कर सकें कि समाज में बच्चों और महिलाओं को उपयुक्त स्थान मिलेगा। किन्तु फिल्म सैंसर करने का सबसे

अधिक प्रभावी माध्यम है जनरूचि। इस दृष्टि से हमें जनरूचि में सुधार लाना होगा जनमत को शिक्षित करना होगा । इस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है । उदाहरणार्थ पहले फिल्म निर्माता 'ए' सर्टीफीकेट की मांग करते थे जबकि अब हम से वे 'यू' सर्टीफिकेट की मांग करतें है। आजकल मलायलम कन्नड़ और बंगला क्षेत्रिय भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रन्थों का आधार लेकर या सामाजिक समस्याओं को लेकर बनाई जा रही है वे लोकप्रिय होती जा रही है । आज देश में अच्छी फिल्मों की आवश्यक्ता है, बच्चों और युवकों के लिये विशिष्ट चित्रों की आवश्यक्ता है साथ ही अधिक सिनेमाघरों की भी आवश्यक्ता है। सस्ते सिनेमाघरों की भी आवश्यकता है जहां आम आदमी झुग्गी झोंपड़ी वाला भी चित्र देख सकें । हमने दिल्ली में एक खुला सिनेमा घर रविन्द्र रंगशाला में खोला है जहां 50 पैसे और 1 रूपये का टिकट है । इसमें 8000 सीटें है। प्रतिदिन पूरे टिकट बिक जाते है ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि सैंसर बोर्ड किन सिद्धांन्तों के आधार पर चित्रों को प्रमाणपत्र देता है या उन्हें सैंसर करता है, मेरा निवेदन है कि चित्रों में अश्लीलता, अभद्रता और हिंसा को रोका जाता है। गत वर्ष इन्हीं आधारों पर 15 चित्रों को प्रमाणपत्र नहीं दिये गये और इस वर्ष के पहले पांच महीनों में 3 फिल्मों के प्रमाणपत्र नहीं दिये गये । वर्ष 1973 में लगभग 15,000 मीटर फिल्म काटी गई । परन्तु फिल्म का आपतिजनक भाग काटना आदि समस्या का समाधान नहीं है । ये ऋणात्मक तरीके हैं जबकि हमें धनात्मक तरीके अपनाने चाहिये ।

श्री श्रीकान्तन नायर ने कहा है कि फिल्म सैंसर बोर्ड का गठन जटिल बना दिया गया है। मेरे विचार से यह और अधिक सरल बन गया है। अब उसमें 6 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और कम से कम एक सदस्य हरेक फिल्म को देखेगा और उसके साथ सम्बन्धित भाषा का मूल्यांकन करने वाला होगा और सदस्य उसी समय दृश्य आदि के बारें में निर्णय करेगा। जहां तक फिल्म उद्योग में काम करने वालों की ओर ध्यान देने का प्रश्न है, मैं आशा करता हूं कि उनकी सहायता के लिए शीघ्र ही एक विधेयक सभा में लाऊंगा। प्रो० मुखर्जी ने उचित राष्ट्रीय फिल्म उद्योग नीति की आवश्यक्ता पर बल दिया इस बारे में मैं विस्तृत चर्चा कर चुका हूं। श्री ज्योतिर्मय बसु ने मेट्रो सिनेमा का उल्लेख किया था। इसके बारे में एक समझौता समिति बना दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। मुझे आशा है कि यह मामला शीघ्र ही हल कर दिया जायेगा। श्री नाहारा ने फिल्म निगम और अच्छी फिल्मों की मांग की । मैं बताना चाहता हूं कि दो दिन पूर्व ही राष्ट्रीय फिल्म निगम बनाने को मंत्री-परिषद न स्वीकृति दी है और इसकी शीघ्र ही स्थापना हो जायेगी ।

डा० कर्णी सिंह ने पारिवारिक फिल्मों के निर्माण की बात कही है। मैं भी अनुभव करता हूं कि स्वस्थ पारिवारिक फिल्मों की आवश्यक्ता है। श्री मधु दंडवतें ने कला और कलापूर्ण फिल्मों के बारे में सुन्दर भाषण दिया है। परन्तु एक पीढ़ी के अन्तर की जो बात उन्होंने कही, मैं उससे सहमत नहीं हूं । हम चाहतें है कि बच्चों और युवकों के लिये उपयुक्त फिल्में बनाई जायें। क्या अकलापूर्ण बातों को भी कलापूर्ण मान लिया जाता है । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि सभी फिल्में कलापूर्ण नहीं होती। क्या कला पर नियंत्रण लागू करने से कला की

मौलिकता समाप्त नहीं हो जाती। मैं इसका उत्तर हां, या 'ना' में देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं यह आश्वासन देता हूं कि हमारी ओर से कोइ ऐसा प्रयास न होगा जिससे कला पर प्रतिबंध लग जाये या कला कुंठित हो जाये। श्री रूद्र प्रताप सिंह ने सैंसर बोर्ड के सदस्यों में एकरूपता के अभाव की शिकायत की। उन्होंने नग्नता और चुम्बन पर लम्बा भाषण किया। इस पर खोसला समिति ने विस्तार से विचार किया है। इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार परामर्श दात्री समिति में वयक्त कर चुका हूं। बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य होने से सैंसर के काम में एकरूपता आयेगी। श्री गौडेर ने सैंसर करने का काम राज्य सरकारों को सौंपने की बात कही। इस पर संविधान सभा में विस्तार से विचार किया गया था और इस विषय को समवर्ती सूची से निकाल कर संघ सूची में लिया गया था, ताकि फिल्मों के मानक में पूरे देश में समान मानक बना रहे और किसी फिल्म निर्माता को इसी आधार पर हानि न हो। फिल्म सैंसर बोर्ड के बारे में हमारी नीति यह होगी कि अध्यक्ष और दो सदस्य बम्बई में हो, दो सदस्य मद्रास और दो सदस्य कलकत्ते में हों। इन सदस्यों को क्षेत्रिय भाषा का ज्ञान होना चाहिये। जहां तक रेड्डी की इस मांग का सम्बन्ध है कि बोर्ड में सभी भाषाओं के सदस्य होने चाहिये। हम इसके लिये प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि मूल्यांकन करने वाले पूर्णकालिक सदस्य की सहायता के लिये होंगे।

As regards the suggestion of Shri Sohan Lal that Cinema houses should be taken over by State Governments, I want to say that they should construct their own cinema houses instead of taking over private ones.

मैंने पांच-छः राज्यों को सिनेमा निगम स्थापित करने के लिए राजी किया है ताकि वे नये सिनेमा घर खोल सकें। जहां तक सेंसर के काम होने वाले अत्यधिक खर्च का सम्बन्ध है, उसकी कुछ हद तक पूर्ति प्रस्तावित सैंसरशिप फीस से हो जायगी और अन्ततः इससे कोई हानि सरकार को नहीं होगी। अन्त में मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य सरकार और समाज की एक राष्ट्रीय फिल्म नीति बनाने में गम्भीरतापूर्वक सहायता करेंगे। प्राक्कलन समिति क प्रतिवेदन में भी ऐसी नीति के बारे में चर्चा की गई है। उसका आधार लेकर हम ऐसी नीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में, और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्री आई० के० गुजराल : अब तक की प्रक्रिया यह रही है कि अपीलों का निपटारा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मंत्री या तो स्वयं फिल्म देखकर अथवा विशेषज्ञ क परामश पर निणय लेते।

है। अब इस कार्य के लिये बारह व्यक्तियों का पैनल वना दिया गया है। इस प्रकार इस कार्य के लिये संस्था का गठन किया गया है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 16 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 (धारा 3 का संशोधन)

श्री रामरत्न शर्मा (बांदा) : मैं अपने संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अपने संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मनोरंजन हाजरा : मैं अपने संशोधन संख्या 17, 18 और 19 प्रस्तुत करता हूं।

Shri R.R. Sharma : I have suggested in my amendment that in place of 5 whole time and 6 honorary members There should be only 5 honorary members. I feel that more financial involvement may not be undertaken. Instead, the Government should spend money on persons disabled while performing their duties.

As my amendments, are important I request the Government to accept them.

श्री मूल चन्द डागा : खंड में यह व्यवस्था की गई है कि 5 सदस्य तथा 6 अवैतनिक सदस्य होंगे। ग्यारह सदस्यों को 3 हजार रुपए तथा चेयरमैन को 4 हजार रूपये मिलेंगे। अवैतनिक सदस्यों की आर्हताओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसका उद्देश्य समझ में नहीं आता। आपकी समिति की क्या रिपोर्ट है।

चेयरमैन के अतिरिक्त 11 अन्य सदस्यों के रखे जाने का उद्देश्य समझ में नहीं आता।

Film industry would be required to go to six Governmental agencies for getting a Film approved. No time limit has been fixed for this process.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : प्रत्येक स्तर पर कितना चन्दा अपेक्षित है ?

श्री मूल चन्द डागा : इसमें उल्लेख किया गया है कि सेंसर बोर्ड के निर्णय बदले जा सकते हैं। वर्तमान सेंसर बोर्ड स्वतंत्र निकाय नहीं है। सरकार इसके निर्णय बदल सकती हैं।

A film would have to go through five committees. What is the logic behind that? Why Government wants to increase the number of Members of the Board ? Then, there is no limit as to how much here a committee will take. I want the hon. Minister to reconsider the matter.

श्री मनोरंजन हाजरा (ग्रारामबाग) : मैंने ग्रपने संशोधन में प्रस्ताव किया था कि 5 पूर्णकालिक तथा 12 ग्रवैतनिक सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने चाहिएं ग्रौर इन सदस्यों को 5 क्षेत्रीय समितियों के कार्य-निष्पादन की देखभाल करनी चाहिए। फिल्म उद्योग का हित भी इसी में है।

सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्री (श्री ग्राई० के० गुजराल) : फिलहाल एक पूर्णकालिक चेयरमैन तथा ग्रवैतनिक सदस्यों का एक बोर्ड है। जांच तथा संशोधन समितियां भी गठित की गई हैं। इस समय समिति ने ग्रवैतनिक सदस्यों की एक तालिका बना रखी है ग्रौर ये सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित हैं। हमारे ग्रनुरोध पर समय बचाकर वे फिल्म देखने ग्राते हैं। ग्रब हम 1 चेयरमैन तथा 5 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति करेंगे ताकि प्रत्येक फिल्म किसी न किसी सदस्य द्वारा देखी जा सके। इसके ग्रतिरिक्त हमने विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों से 7 मूल्यांकन कर्त्ताग्रों को नियुक्त किया है। प्रत्येक फिल्म एक सदस्य तथा दो मूल्यांकन कर्त्ताग्रों द्वारा देखी जाएगी। यदि इन दोनों में मतभेद होगा तो फिल्म पुनरीक्षण समिति को भेजी जाएगी।

बोर्ड में एक चेयरमैन, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 3 व्यक्ति फिल्म उद्योग से तथा 3 शिक्षाविद तथा संस्कृति ज्ञाता होंगे।

बोर्ड प्रत्येक महीने 40 या 50 फिल्मों की जांच करता है। काम की ग्रधिकता को ध्यान में रखते हुए खोसला समिति ने सिफारिश की थी 20 पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए जाने चाहिए। लेकिन बचत की दृष्टि से हमने 6 सदस्य ही पर्याप्त समझे हैं।

जहां तक प्रक्रियाग्रों का सम्बन्ध है, वे नियमों तथा निर्देश पदों में दिए गए हैं।

श्री मनोरंजन हाजरा ने सुझाव दिया है कि ग्रवैतनिक सदस्यों को नियुक्त किया जाना चाहिए : परन्तु हमारा ग्रनुभव रहा है कि इन सदस्यों पर पूरी तरह निर्भर नहीं किया जा सकता।

श्री मूल चन्द डागा : मंत्री महोदय ने तीन सदस्यों की योग्यताग्रों के बारे में बताया है, ग्रन्य सदस्यों को नहीं।

Shri I. K. Gujral : Others will be eminent men of letters, cultured and educated.

सभापति महोदय : ग्रब मैं खंड 3 के संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा ग्रस्वीकृत हुये।

The amendments were put and negatived.

श्री मनोरंजन हाजरा : श्री डागा के संशोधन पर अलग से मतदान होना चाहिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : वह अपने संशोधन पर जोर नहीं दे रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । संशोधन पेश करते समय श्री डागा ने प्रभावशाली भाषण दिया था । परन्तु बाद में मंत्री महोदय ने उन पर जोर डाला और अब वह कह रहे हैं कि श्री डागा अपने संशोधन पर जोर नहीं दे रहे हैं । क्या सदन में ऐसा होना चाहिए ।

सभापति महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । श्री डागा, क्या आप अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : जी, नहीं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

Clause 4

श्री रामरतन शर्मा (बांदा) : मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 9 और 10 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मनोरंजन हाजरा : मैं संशोधन संख्या 20, 21 और 22 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri R.R. Sharma: Mr. Chairman, Sir, it will create unnecessary expenditure. I press my amendment and request the hon. Minister to accept it.

श्री मूल चन्द डागा : धारा 3क में कहा गया है कि नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएंगी यह बात समझ नहीं आई कि काम तो बोर्ड करे और नियुक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएं । धारा में यह भी कहा गया कि केन्द्रीय सरकार औचित्य के आधार पर जितने मर्जी मूल्यांकन कर्त्ताओं की नियुक्ति कर सकती है । मेरे विचार में तीन मूल्यांकनकर्त्ता पर्याप्त हैं ।

उप-खंड (2) में कहा गया है कि मूल्यांकनकर्त्ता को वेतन नहीं मिलेगा लेकिन उन्हें फीस अथवा भत्ते मिलेंगे । 'मेरे विचार में वेतन नहीं मिलेगा' शब्द निकाल दिए जाने चाहिएं । सरकार इस पर विचार करे ।

श्री मनोरंजन हाजरा : मेरा संशोधन संख्या 21 बिल्कुल स्पष्ट है । संशोधन संख्या 22 में मैंने कहा है कि प्रत्येक क्षेत्रीय समिति में बोर्ड के दो पूर्णकालिक वैतनिक सदस्य होंगे और उन्हें साहित्य, इतिहास, संस्कृति तथा सम्बन्धित क्षेत्र की परम्पराओं का ज्ञान होगा और कम से कम

दो क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किए जायेंगे जो क्षेत्रीय समितियों का गठन करेंगे जिनमें अवैतनिक सदस्य होंगे ।

संशोधन संख्या 22 में मैंने कहा है कि पृष्ठ 3 में 13 से 20 पंक्तियां हटा दी जाएं ।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इनका स्पष्ट उत्तर दें ।

श्री आई० के० गुजराल : श्री मनोरंजन हाजरा ने बार-बार उन्हीं संशोधनों को दोहराया है । जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि विधेयक का उद्देश्य खोसला समिति की सिफारिशों के अनुरूप पूर्णकालिक सदस्य नियुक्ति करना है । अवैतनिक सदस्यों पर निर्भर नहीं किया जा सकता । श्री हाजरा का संशोधन मान लिया जाए तो विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है । श्री डागा को इस उलझन में नहीं पड़ना चाहिए कि मूल्यांकनकर्त्ताओं को वेतन दिया जाए अथवा नहीं। मूल्यांकनकर्त्ताओं को तभी बुलाया जाएगा जब किसी फिल्म का मूल्यांकन करना होगा और उसके लिए उन्हें भत्ता दिया जाएगा ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 5, 9, 10, 20, 21 तथा 22 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

---

*जनवरी–जून, 1974 के दौरान राज्यों को खाद्यान्न आवंटित करने का मापदंड तथा उन्हें आवंटित किये गए खाद्यान्न की काया

**Criteria for Allotment and Quality of Foodgrains Allotted to States During January-June, 1974

डा. हेनरी आस्टिन पीठासीन हुए

Dr. Henry Austin in the Chair

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I am raising this discussion arising out of Question 9 dated 22nd July.

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

**Half-an-Hour Discussion.

Even after 27 years of independence, our country is facing acute food crisis. We had hoped that we would be self-dependent in the matter of foodgrains but our hopes have shattered into pieces. Starvation deaths are taking place in the various parts of the Country but Government have failed to find out any solution to it.

The criterion of the Central Government in regard to allocation of foodgrains to various states is not proper. Deficit states have not been provided with foodgrains according to their needs. Government should make a definite policy in regard to allocation of foodgrains and implement it.

It was decided to supply 210 thousands tonnes of foodgrain to Bihar from January to June but only 179 thousand tonnes have been supplied. Some states did not get full supply and other states were supplied more than their requirement. Therefore, I request the Government to form policy regarding allocation of foodgrains.

Bihar is a deficit state. People are on the verge of starvation. 60 percent people of Patna take one time meal.

Bihar needs 17 lakhs metric tonnes of foodgrain besides its own production whereas only 35 thousand tonnes is supplied. It is evident from the figures that starvation could not be checked. August, September and October are the months of crisis and if Government do not supply 1 lakh ton foodgrain to Bihar, they will not be able to save Bihar from crisis. I request the Government to supply more and more foodgrains to the state.

Government should take stern action against hoarders and profiteers. Railway Minister has stated that arrangement will be made to supply foodgrains to railway workers from fair Price Shops. I would like to know whether negotiations with them have taken place and if so, the details thereof ?

Apart from what I have asked earlier, I would also like to know the total production and demand of foodgrains in the Country and whether decision have been taken to import foodgrains and if so, the quantity thereof and names of the Country from which foodgrains will be imported along with the expenditure to be incurred in this regard? Have the Government received a memorandum from Bihar Government regarding scarcity of foodgrains, and if so, the reaction of the Government thereto ?

The hon. Minister should take the House into confidence and tell us how he wants to save people from starvation and other sufferings ?

The Government should adopt the policy of state trading in foodgrains and other essential commodities. These commodities should be supplied to the people through public distribution system.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र को कुल आवंटन का 25 प्रतिशत दिया है और दिल्ली को सबसे कम खाद्यान्न आवंटित किया गया है। क्या इसमें भी कोई राजनीतिक उद्देश्य है ?

मंत्री महोदय ने बताया कि केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही आवंटन किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कमी वाले राज्यों का किस प्रकार अनुमान लगाया जाता है ? क्या मूल्यों को ध्यान में रखकर कमी का पता लगाया जाता है ? सरकार की वितरण प्रणाली क्या है ? देखने में आया है कि समृद्ध वर्ग को तो आसानी से खाद्यान मिल जाता है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में और कमजोर वर्गों को खाद्यान नहीं मिल पाता। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार गांवों में खाद्यान के उचित वितरण को किस प्रकार सुनिश्चित करना चाहती है ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : उत्तर प्रदेश में छिपे खाद्यान का पता लगाने के बावजूद भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने कितना खाद्यान मांगा था और वर्ष 1973–74 में केन्द्रीय सरकार ने कितना खाद्यान सप्लाई किया। उत्तर प्रदेश में बिस्कुट लघु एकक बन्द होने की स्थिति क्योंकि उनको मैदे का कोटा नहीं दिया गया है। 50 हजार व्यक्ति इस कारण बेरोजगार हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि खाद्यान्न की सप्लाई के बारे में मंत्री महोदय ने राज्य मुख्य मंत्री अथवा खाद्य मंत्री को क्या वचन दिया गया था और क्या वचन को पूरा किया गया है और यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा किया जाएगा ?

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): The main question was of a serious nature but it has not been replied with seriousness. Important points have not been covered. I would like to know what are the factors which are kept in view while making allocation of foodgrains to states. What are the steps being taken to solve deplorable food situation in Bihar ? I would also like to know the basis on which allocation is made to deficit states. Factor of population should also be considered while making allocation. Arrangements should be made to supply available foodgrains to the rural areas also.

We observe from the figures that there is a difference between allocation and supply. May I know the reasons for the same ?

Scarcity of foodgrains can only be met by increasing production of foodgrains. May I hope from the hon. Minister that he will make efforts for providing more and more tubewells so that production could be increased?

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : I would like to know why step mother's treatment is being meted out to Bihar by the Central Government ? Although Bihar fulfils mineral demands of the country yet its demand for foodgrains is not being fulfilled.

Is it a fact that Bihar Government has totally failed in the matter of procurement of foodgrains and centre has not issued any direction to the State to enhance procurement ? It is also a fact that there have been an acute

shortage of foodgrains in Bihar for the last two three months and keeping in view the same centre is considering to give special quota to the state for August, September and October? Have the Centre discussed with Food Minister and other Ministers of Bihar in regard to making the State self-sufficient in the matter of foodgrains ? May I know whether Central Government have taken steps to supply power and fertilizers to Bihar ?

From the figures, it is clear that Bihar has been supplied less foodgrains as compared to the preceeding year. What are the reasons for that ?

Assistance should be given by the Centre for completion of irrigation schemes in Bihar. Land Reform Laws should be implemented. Will the Central Government discuss the matter with Bihar Government ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : केन्द्र सरकार द्वारा बिहार राज्य को दी जाने वाली सहायता के बारे में सदस्यों को काफी गलतफहमी है। बिहार को अपनी खाद्य संबंधी स्थिति ठीक करने के लिए सरकार अधिकत्तम सहायता देने का प्रयास करेगी, किन्तु बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में कुछ स्वार्थी दल राज्य की खाद्य स्थिति को बिगाड़ने का यत्न कर रहे हैं। बिहार में खाद्यान्न की इतनी अधिक कमी नहीं है जितनी कि बताई जा रही है।

श्री शास्त्री का कहना है कि बिहार में 10 लाख टन खाद्यान्नों की प्रति वर्ष कमी पड़ती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर एक लाख टन प्रति माह दिया जाए तो यह कमी पूरी हो सकती है। परन्तु बिहार को एक लाख टन के लगभग खाद्यान्न की सप्लाई की जाती है। बिहार को 75,000 से 80,000 टन तक खाद्यान्न भेजा जाता है। हमने बिहार के कोटे में कमी नहीं की है। अगस्त के महीने में बिहार का कोटा 40,000 टन से बढ़ाकर 45,000 टन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 84,000 टन गेहूं के परमिट भी जारी किए गए हैं। राज्य में मोटे अनाज को लाने ले जाने पर भी प्रतिबंध नहीं है। अतः बिहार को अपनी स्थिति ठीक करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

किसी भी राज्य की खाद्यान्न संबंधी समस्या केवल उत्पादन के साधनों को बढ़ाकर और उत्पादन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके हल की जा सकती है। इस समूचे उपमहाद्वीप में उत्तरी बिहार की भूमि बहुत उपजाऊ है किन्तु वहां की प्रति एकड़ उपज देश में सब से कम है। किन्तु अब, कठिनाइयों के बावजूद, बिहार का उत्पादन बढ़ रहा है। वर्ष 1970–71 में उत्पादन 78 लाख था 1971–72 में यह बढ़ कर 90 लाख टन और 1972–73 में 93 लाख टन हो गया। चालू वर्ष का उत्पादन 1970–71 की अपेक्षा कहीं अधिक है। अतः केन्द्रीय पूल से पर्याप्त नियतन होने से बिहार को अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेनी चाहिएं। हम इस संबंध में राज्य सरकार से निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं।

लोगों में कुछ गलत फहमी है कि भारत सरकार ने मनमाने ढंग से आवंटन किए हैं। वस्तु स्थिति यह है कि हमने मनमाने ढंग से आवंटन नहीं किए। देश में कुछ अत्यधिक कमी वाले क्षेत्र हैं जैसे, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार। दिल्ली की श्रेणी अलग है क्योंकि यहां उत्पादन नहीं होता। यह शहरी क्षेत्र है। खाद्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह समस्या वाले क्षेत्र हैं और कुल खाद्य उत्पादन का 80 प्रतिशत आवंटन इन्हीं पांच राज्यों को इनकी समस्याओं के अनुरूप किया जाता है।

देश में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति खपत राज्यों में अलग-अलग है। सबसे कम प्रति व्यक्ति खपत केरल में और सबसे अधिक हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर में है। खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति के आधार पर या समान मात्रा में वितरण करना अत्यंत कठिन है। खपत में अन्तर जलवायु में भिन्नता, लोगों की अलग अलग आदतों और विभिन्न राज्यों में लोगों की भिन्न आर्थिक स्थिति के कारणों से है। भारत सरकार का प्रयास है कि इस असमानता को दूर किया जाए लेकिन ऐसा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमी लाकर नहीं किया जाएगा। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। इसलिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी। हमें इस वसूली से सम्बद्ध करना होगा। वसूली को भी पूरा पूरा महत्व देना बहुत आवश्यक है। जब तक हम आवश्यक मात्रा में खाद्यान्नों की वसूली नहीं करते और काफी मात्रा में खाद्यान्न केन्द्रीय पूल में जमा नहीं होता, तब तक हमारे लिए कमी वाले राज्यों को अनाज उपलब्ध कराना बड़ा कठिन है। हमें वसूली तथा वितरण प्रणाली को संगत रूप में जोड़ना होगा।

सरकार कुछ सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य करती है। हम आवंटन करते समय स्थानीय उत्पादन, राज्य के उत्पादन, खपत का ढंग, जनसंख्या इत्यादि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार बिहार को हर संभव सहायता देगी। बिहार की स्थिति वर्तमान राजनीतिक आन्दोलन के कारण जटिल हो गई है। हमें समस्या को बढ़ाना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि बिहार में भुखमरी की नौबत नहीं आयेगी। आगामी चार महीनों में बिहार को अनाज की सप्लाई गत कुछ महीनों की अपेक्षा बहुत अधिक होगी।

इस वर्ष उत्तर प्रदेश में कुछ कठिनाइयां रही हैं। उत्पादन में कमी हुई है। किन्तु वहां खरीफ की फसल बहुत अच्छी होने की आशा है, क्योंकि वहां पर काफी वर्षा हुई है।

जहां तक बिस्कुट बनाने वाली कम्पनियों को आवंटन करने का प्रश्न है, यह राज्य सरकार का निजी मामला है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के बीच आवंटन करने का दायित्व हम पर नहीं अपितु राज्य सरकारों पर है।

जहां तक रेल कर्मचारियों का संबंध है, उनके बारे में यह तय हुआ था कि यदि रेल कर्मचारियों की सहकारी समितियां खरीदना चाहें तो अधिक अनाज वाले राज्यों से अनाज खरीदने में हम उनकी सहायता करेंगे, ताकि वे सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण कर सकें।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 30 जुलाई, 1974/8 श्रावण, 1896 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Loke Sabha then adjourned till eleven of the clock on **Tuesday, July 30, 1974/Sravana 8, 1896** (Saka).

M/J(N)5LSS—490—4-12-74—GIPS